Wednesday, 19 July, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

दूसरा सत्र
Second Session

Preservation ... Parliament Library

खंड VII में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 41 to 50

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

बुधवार , 19 जुलाई , 1967 । 28 आषाढ़ , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
5791	नीचे से छटी पंक्ति में 'Shri Prakash Vir Shastri ' के स्थान पर ' Shri Sidheshwar Prasad ' पढ़िये ।
5802	नीचे से छटी पंक्ति में ` Shri Kanwar Lal Gupta ' के स्थान पर ' Shri Ram Charan ' पढ़िये ।
5802	नीचे से चौदहवीं पंक्ति में ` 82½ % ` के स्थान पर ` 12½ % पढ़िये ।
5874	`द पोस्ट ऑफिस कैश सार्टीफिकेट , एक्ट 1979 ` के स्थान पर `द पोस्ट ऑफिस कैश सार्टीफिकेट , एक्ट 1917 ` पढ़िये ।
5875	दूसरी पंक्ति में `एक्ट 1955 ` के स्थान पर `एक्ट 1952 ` पढ़िये ।
5875	दूसरी पंक्ति के पश्चात `द इंडियन सीटीजनशिप एक्ट , 1955 `पढ़िए ।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 43 बुधवार, 19 जुलाई, 1967/28 आषाढ, 1889 (शक)

No 43–Wednesday, July 19, 1967/Asadha 28, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
1231	कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना	Separation of Judiciary from Executive	5785–5787
1232	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का भारत में निश्चित अवधि से अधिक ठहरना	Pak. Nationals Over Staying in India ..	5787–5790
1233	पूर्वोत्तर खण्ड में विश्वविद्यालय	University in N. E, Region	5790–5793
1234	राजनैतिक दलों के लिये अनुशासन संहिता	Code of Discipline for political Parties	5793–5797
1235	वैदेशिक तेल कंपनियों में छंटनी	Retrenchment in Foreign Oil Companies ...	5797–5798
1236	विज्ञान नीति के सम्बंध में प्रतिवेदन	Report on Science Policy	5798–5800
अल्प–सूचना प्रश्न / S. N. Q·			
31	दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज	Delhi College of Engineering	5800–5803
प्रश्नों के लिखित उत्तर		/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
1237	विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Foreign Christian Missionaries	5803
1238	अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	Teachers' Training Programme	5803–5804

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
1239	अन्तराष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी भारतीय स्कूल (इंयिडन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज)	Indian School of International Studies ...	58 4
1240	आसाम का पुनर्गठन	Reorganisation of Assam	5804-5805
1241	आसाम में बेरोजगारी	Unemployment in Assam ..	5805-5806
1242	दिल्ली नगर निगम	Delhi Municipal Corporation	5806
1243	मद्य निषेद	Prohibition ...	5806-5807
1244	सयुक्त परामर्श समिति (ज्वाइन्ट कंसल्टेटिव मशीनरी)	Joint Consultative Machinery	5807-58: 8
1245	उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिये गृह विज्ञान संस्था	Home Science Institute for women in U. P.	5808
1246	बम्बई में मजदूर संघों के कार्यालयों से विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Foreign Currency form Trade Union Offices in Bombay	5808-5809
1247	चौथी योजना की क्रिया–न्विति के लिये भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी	I. A. S. personnel for implementation of Fourth Plan	5809
1248	मिनिकाया द्वीप समूह में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान	Insult to National Flag in Minicoy Islands	5809-5810
1249	मिजो पहाड़ियों का अलग राज्य बनाने की मांग	Demand for Separate State for Mizo Hills ...	5810
1250	विद्रोही मिजो लोगों द्वारा 30 जून, 1967 को किया गया आक्रमण	Attack by Mizos on 30th June, 1967 ...	5810
1251	आसाम पाकिस्तान सींमा पर सक्रिय पाकिस्तानी जासूस गिरोह	Pak Spy ring operating on Assam-Pak Border	5810-5811

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

ता. प्र. संख्या/S.Q. Nos. विषय	Subjec	पृष्ठ/ Pages
1252 तीन भाषा फार्मूला	Three Language Formula	5811
1253 चंडीगढ तथा भाखड़ा नागल परियोजना के संबंध में प्रधान मंत्री द्वारा मध्यस्थता	Arbitration by P. M. on Chandigarh and Bhakra Nangal Project	5811–5812
1254 आसाम-नागालैण्ड सीमा विवाद	Assam–Nagaland Border Dispute ... —	5812
1255 संदेहपूर्ण राष्ट्रीयता के बहाने भारत में रह रहे पाकिस्तानी लोग	Pakistanis residing in India under doubtful Nationality .. —	5812
1256 नौभरक प्रणाली की समाप्ति	Abolition of the Institution of Stevedores..	5813
1257 पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation of East Pak Displaced Persons in Tripura	5813–5814
1258 संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वित्त नियम	Finance Rules regarding Union Territory ...	5814–5815
1259 आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pak Infiltration in Assam	5815
1260 भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता	Indian Museum, Calcutta	5815

अता.प्र. संख्या / U. S. Q. Nos.

5995 उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले	Arrears in High Court	5816
5996 गुजरात के भारतीय प्रशासनिक सेवा पदालि का प्रतिनियुक्ति का कोटा	Deputation Quota of I. A. S. Officers of Gujarat — ...	5816
5997 गुजरात में चलते फिरते डाकघर	Mobile P. Os. in Gujarat	5816–5817

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
5998	गुजरात में अन्तर्देशीय पत्रों की कमी	Shortage of Inland letters in Gujarat ..	5817
5999	गुजरात राज्य में किराये की इमारतों में डाकघर	P. Os. in rented buildings in Gujarat State	5817
6000	संसद् सदस्यों को दिये जाने वाले प्रकाशन तथा स्टेनोग्राफरों की व्यवस्था	Literature Supplied to M. Ps and Provision of Stenographers ...	5817–5818
6001	वरिष्ठ कर्मचारियों से पहले कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति	Supcr ession by Juniors	5818
6002	आई. पी. ओ. तथा आई. पी ओ. (सी) का मानक	Standard for I. P. Os. and I. P. Os (C) ...	5818
6003	राज्यपालों के वेतन	Salary of State Governors	5819
6004	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी प्रशिक्षण कालेज	Hindi Teachers' Training Colleges in Non-Hindi States	5819
6005	वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुओं की खुदाई	Archaeological Excavations under Sanskrit University, Varanasi	5819–5820
6006	विद्रोही मिजो तथा नागा लोगों की समस्या	Problem of Naga and Mizo Rebels ...	5820
6007	सीमा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति पर राज्यों की बटालियनें	State Battalions on Deputation to Border Areas	5820–5821
6008	उड़ीसा की सैनिक पुलिस बटालियन	Military Police Battalion of Orissa ..	5821
6009	प्रतिनियुक्ति पर राज्यों से सीमा क्षेत्रों में भेजी गई बटालियनें	State Battalions on Deputation to Border Areas	5821-5822
6010	प्योर ड्रिंक्स (एन. डी.) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	Pure Drinks (N. D.) Private Ltd. New Delhi	5822

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.- Contd

अता. प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
6011	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति का आधार	Basis of Promotions of Class IV Employees	5823
6012	मैट्रिक से कम शिक्षित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Undermatric Class IV Employees	5823–5824
6013	अहमदाबाद के लिए ट्रंक काल में अनियमितता तथा उनका बीच में टूटना	Irregularity and Breakdown of Trunk Calls for Ahmedabad	5824
6014	शिक्षा मंत्रालय में निःसंवर्ग पद	Posts in Education Ministry	5824–5825
6015	संचार मंत्रालय में निःसंवर्ग पद	Ex-Cadre Employees in the Ministry of Communications	5825
6016	प्रथम द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के निःसंवर्ग पद	Ex-Cadre Posts-Class I, II and III	5825–5826
6017	स्मृति में डाक टिकटें	Postal Com–memoration Stamps	5826
6018	मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृतियां	Scholarships awarded to Students of Madhya Pradesh	5826
6019	मध्य प्रदेश में हिन्दी का प्रचार करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान	Grants to Voluntary Organisation engaged in the propogation of Hindi in Madhya Pradesh	826–5827
6020	मध्य प्रदेश तथा गुजरात की पंचायत समिति कार्यालय में टेलीफोन सेवा	Telephone connections in Panchayat Samiti Offices in M. P. and Gujarat...	5827
6021	संस्कृत के विकास के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान	Grants to Voluntary Association for Development of Sanskrit	5827
6022	ऋण-छात्रवृत्ति योजना	Loan Scholarships scheme	5827–5828
6023	डाक निरीक्षक	Postal Inspectors ...	5828

अता. प्र संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
6024	कोचीन बन्दरगाह के कर्मचारी	Cochin Port Workers	5828-5829
6025	दार्जिलिंग जिले में पाई गई पाषाण युग की बस्तियाँ	Neolithic settlements traced in Darjeeling District	5829-5830
6026	भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिय भर्ती के नियम	Rules for Appointment in Indian Administrative Service ...	5830
6027	दिल्ली में अश्लील साहित्य के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध	Ban on Display of Obscene literature in Delhi	5831
6028	दिल्ली में अनधिकृत शराब बनाने वाली भट्टिया	Unathorised Distilleries in Delhi	5831
6029	पटना में केन्द्रीय जांच विभाग के कर्मचारी	C. B. I. Staff in Patna	5832
6030	विभिन्न उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Boards for Various Industries	5832-5833
6031	राष्ट्रीय भाषाओं में लिखे आवेदन पत्रों पर कार्यवाही	Action on Applications written in National Languages	5833
6032	उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु	Age of Judges of High Courts and Supreme Court	5833-5834
6033	विदेशी भाषाओं का अध्यापन	Teaching of Foreign Languages ...	5834
6034	भारत सुन्दरी का चुनाव	Selection of "Miss India"	5834
6035	नव नालंदा का महाविहार और हुवेन सांग स्मारक का पुनःसंस्थापन	Reorganisation of Nav Nalanda Mahavihar and Huen Tsang Memorial	5834-5835
6036	संस्कृत को बढावा देना	Promotion of Sanskrit	5835
6037	जीवन निर्वाह व्यय देशनांक	Cost of Living Index Numbers ...	5835

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

6038	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	Allahabad High Court	5835–5836
6039	अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	National Awards to Teachers — ..	5836
6040	जाली हुंडियों के जालसाजों का गिरोह	Bogus Hundi Racketeers ...	5836
6041	मंत्रियों का विदेशों का दौरा	Visits by Ministers Abroad	5836–5837
6042	केन्द्रीय गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय जाच विभाग के कर्मचारियों की संख्या	Strength of C. B. I. and C. I. D S taff ..	5837
6043	विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के संबंध में नीति	Policy Re. Rehabilitation of Displaced Persons ..	5837–5838
6044	पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्	Eastern Zonal Council	5838
6045	दक्षिण क्षेत्रीय परिषद्	Southern Zonal Council ..	5838
6046	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के काम का मूल्यांकन	Evaluation of work of National laboratories	5838–5839
6047	सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी	C. I. A.	5839
6048	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में शब्दावलि एकक	Glossary Unit in Hindi Directorate ...	5839–5840
6049	भजन मण्डलियां	Bhajan Mandlis	5840
6050	उड़ीसा डाक व तार सर्किल में प्रथम श्रेणी के अधिकारी	Class I Officers in Orissa P. & T. Circle ...	5840
6051	नेपाल होकर चीन समर्थक लोगों का प्रशिक्षण के लिये चीन जाना	Pro Chinese Elements going to China for Training via Nepal	5841
6052	प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारी	Employees of Education Ministry on Deputation	5841

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6053	शिक्षा मंत्रालय में राजपत्रित अधिकारी तथा स्टेनोग्राफर	Gazetted Officers and Stenographers in Education Ministry	5842
6054	हिन्दी शब्दावली	Hindi Glossary ..	5842–5843
6055	हिन्दी में कार्य	Work in Hindi ..	5843
6056	मंत्रियों की परिलब्धियां	Perquisites of Ministers ...	5843–5844
6057	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था	Central Food Technological Research Institute	5844
6058	इडियन स्कूल ऑफ इन्टरनेशनल स्टडीज	Indian School of International Studies ...	5844–5845
6059	इण्डियन स्कूल ग्रॉफ इन्टरनेशनल स्टडीज	Indian School of International Studies	5845
6060	बम्बई-बुरहानपुर में डायल घुमाकर सीधे सम्पर्क स्थापित करने की टेलीफोन व्यवस्था	Bombay-Burhanpur Direct Dialling System ...	5845–5846
6061	सरकारी स्कूल मदनगीर, दिल्ली के अध्यापक	Teachers of Government School, Madangir, Delhi	5846
6062	राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा घुसपेठ	Pak Infiltration on Rajasthan Border ...	5846–5847
6063	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशिक्षण	I. L. C. Training Centres in India ..	5847
6064	दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जातियों के कान्सटेबल	Scheduled Castes Constables in Delhi Police	5847–5848
6065	रेलवे डाक सेवा के 'टी' डिविजन (मद्रास सर्किल) का विभाजन	Bifurcation of R. M. S. 'T' Division (Madras Circle) ...	5848
6066	हिन्दी का प्रचार करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय अनुदानों का अपव्यय	Wastage of Central Grant by Voluntary Institutions engaged in the Propagation of Hindi ...	5849

अता प्र संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

6067	शिक्षा मंत्रालय में अहिन्दी भाषा – भाषी लोगों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence course to non-Hindi people in Ministry of Education	5849–5850
6068	ब्रिटेन के संग्रहालय में वस्तुएं	Articles in the British Museum	5850
6069	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत व्यक्तियों की हत्या	Killing of Kidnapped persons by Pakistanis	5850
6070	चीनी मिलों के कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड, 1962	Wage Board for Sugar Mill Workers, 1962 ...	5850–5851
6071	सीमा सुरक्षा दल	Border Security Force	5851
6072	भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन क्रम	Pay Scalees of I. C. S. Officers	5851–5852
6073	दिल्ली में गुड़ की मण्डी में विस्थापित व्यक्ति	Displaced persons in Gur-ki-Mandi ..	5852-5853
6074	आसाम में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of East Pak. Displaced persons in Assam	5853
6075	केरल में भारतीय प्रशासन सेवा / भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I. A. S. /I. P.S.Officers, Kerala	5854
6076	उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध	Cultural relations between the northern and Southern India	5854
6077	जयपुर में टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Telephone Arrears in Jaipur	5854–5855
6078	राजस्थान में डायल घुमा कर सीधे सम्पर्क स्थापित करने की टेलीफोन व्यवस्था	Direct dialling system in Rajasthan	5855

अता. प्र. संख्या / U. S.Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ/Pages
	प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd		
6080	प्रधान मंत्री की काश्मीर के मुख्य मंत्री से बात-चीत	P. M. 'S talks with Kashmir Chief... ..	5855–5856
6081	आई. सी. एस. अफसरों की तुलना में आई. सी. एस. से भिन्न अफसर	I. C. S. Vis-a-vis non I. C. S. Officers ..	5856
6082	पर्यटकों की रुचि के डाक टिकट	Stamps for Tourist Interests	5856–5857
6083	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृति की आयु	Retirement age of Central Government Employees	585/
6084	अंगोला और मोजम्बीक में भारतीय राष्ट्रजनों की सम्पत्ति	Property of Indian Nationals in Angola and Mozambique ...	5857–5858
6085	अन्दमान द्वीप समूह में एकाधिकार से भिन्न व्यापार	Non-monopolist trade in Andamans ...	5858
6086	श्रम कल्याण उपकार	Labour Welfare Cess	5869
6087	गोआ प्रशासन के कर्मचारियों का अभ्यावेदन	Representation of Goa Administration Employees	5869
6088	प्रादेशिक भाषाओं का विकास	Development of Regional Languages –	5859–5861
6089	पानवालों पर बिक्री कर	Sales Tax on Panwalas .. –	5861
6090	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के कर्मचारी	D. G. H, S. Employees	5861–5862
6091	हिन्दी कक्षाए	Hindi Classes	5892
6092	राष्ट्रजन अभिलेखागार का पुस्तकालय	National Archives Library ..	5862–5863
6093	गृह-कार्य मंत्री द्वारा हैलीकोप्टर विमान का प्रयोग	Use of Helicopter by Home Minister ...	5863
6094	लड़कियों का अपहरण	Kidnapping of Girls ..	5864–5865

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.-Contd.

अता. प्र. संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6095	सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानियों की घुसपैठ	Pakistan Infiltration in Border Areas ...	5865
6096	दिल्ली में बिक्री कर प्रणाली में सुधार	Reforms in Sales Tax System in Delhi	5865–5866
6097	भारत में पुरातत्वीय स्मारक	Archaeological Monuments in India ...	5866–5867
6098	केन्द्रीय सरकार के महिला कर्मचारी	Female Central Government Employees ...	5867–5868
6099	काश्मीर में श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय और गिरजा घरोंपर लोगों की भीड़ द्वारा आक्रमण	Attack by Mob on U. N. Office and Churches in Srinagar in Kashmir ...	5868
6100	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, बम्बई	Mahindra & Mahindra, Bombay ..	5868
6101	उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध ज्ञापन	Memorandum against Orissa Chief Minister	5869
6102	आसाम में ईसाई धर्म प्रचारक	Christian Missionaries in Assam ...	5869–5870
6104	सरकारी नौकरियों के अभ्यार्थियों के पूर्ववृत तथा चरित्र का सत्यापन	Verification of antecedents of applicants for Government jobs ..	5870
6105	अमरीकी धर्मप्रचारक	American Missionary ..	5870–5871
6106	आसाम में भारतीय नागरिकों का पकड़ लिया जाना	Rounding up of Indians in Assam ...	5871
6107	टेलीफोन के तार की चोरी	Theft of Telephone wire ...	5871–5872
6108	संघ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	S. C. and S. T. Employees in the U. P. S. C.	5872–5873

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
6109	नक्सलबाड़ी की स्थिति	Naxalbari Situation ...	5873
6110	प्रतिभाशाली व्यक्तियों का निकाय (टैलेन्ट बैंक)	Talent Banks	5873
6111	पुर्तगाली कानूनों के स्थान पर भारतीय कानूनों को लागू करना	Replacement of Portuguese Laws by Indian Laws ...	5873-5876
6112	पाकिस्तान के विजय टिकट	Pakistan Victory Stamps ...	5876-5877
6113	भारतीय प्रबन्ध संस्था, (इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट) कलकत्ता	Indian Institute of Management, Calcutta —	5877
6114	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये लोअर डिवीजन क्लर्कों के पदों का आरक्षण	Reservation of L. D. Cs' Posts for Class IV Staff ...	5877-5878
6115	अपना टेलीफोन लगवाइये योजना	Own Your Telephone Scheme ...	5878
6116	शिक्षामंत्रालय में कमरों को शीतल करना	Cooling of rooms in the Education Ministry	5879
6117	शिक्षा मंत्रालय द्वारा हिन्दी में जारी किये गये परिपत्र	Circulars issued by Education Ministry in Hindi	5879
6118	हाई स्कूल की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन	Change in High School Education System ...	5879-5880
6119	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में सहायक शिक्षा अधिकारी तथा गवेषणा सहायक	Asst. Education Officers and Research Asstts. in the Central Hindi Directorate	5880
6120	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices by Central Government Consumer Cooperative Stores Ltd. New Delhi ...	5880-5881

प्रश्नों के लिखत उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd

6121	तिहाड़ जेल लाठी चार्ज	Lathi charge in Tihar Jail ..	5881
6122	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन	Publication of Books by Central Hindi Directorate ..	5882
6123	राजनैतिक पेंशन पानवाले व्यक्ति	Political Pensioneers ...	5882
6124	निजी थैलिया	Privy Purses ...	5882–5883
6125	विद्रोही मिजो लोगो की गिरफ्तारिया	Arrest of Mizo Rebels ...	5883
6126	दिल्ली म शवो को फेंकने की जगह	Dumping places for Dead Bodies in Delhi ..	5883–5884
6127	सर्वोच्च पदों पर नियुक्त	Filling up top level positions ..	5884
6128	राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, वाशिंगटन के साथ भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखपोषण केन्द्र का करार	INSDOC Agreement with National Science Foundation, Washington ...	5884–5886
6129	अखिल भारतीय रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ तृतीय श्रेणी केरल सर्किल	All India R. M. S. Employees Union Class III, Kerala Circle ...	5886
6130	केरल में चीनी साहित्य का बेचा जाना	Sale of Chinese Literature in Ke ala ...	5886
6131	गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) योजनाएं	Dock Workers (Regulation of Employment Schemes ...	5887
6132	गोदी कर्मचारियों की सलाहकार समिति	Dock Workers Advisory Committee ...	5887–5888
6133	गुजरात में डाक व तार विभाग द्वारा किराये पर इमारतें ली जाना	Hiring of Accommodation by P. & T. Department, Gujarat ...	5888

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
6134	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Displaced persons in Tripura ..	5888–5889
6135	मिर्जा अफजल बेग की गति–विधियां	Movement of Mirza Afzal Beg ..	5889
6136	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	Jamia Millia Islamia, New Delhi ...	5889–5890
6137	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का चयन	Selection of I. A. S. Officers ..	5890–5891
6138	दिल्ली में अपराधों के मामले	Criminal Cases in Delhi ...	5891
6139	श्रमिकों में अनुशासनहीनता	Labour Indiscipline	5892–5893
6140	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ब्रिटिश स्वामित्व वाली कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी का अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of the British owned Calcuttal Tramway Co by the West Banga Govt.	5893
6141	एर्नाकुलम में स्वचालित टेलीफोन	Automatic Telephones in Ernakulam	5893–5894
6142	नि:शुल्क शिक्षा	Free Education	5894
6143	भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष को पुर्ननियुक्ति	Re-employment of former chariman, Fertilizer corporation of India ...	5894–5895
6144	सिनेमा हालों में राष्ट्र गान का रिकार्ड बजाया जाना	Playing of National Anthem in Cinema Halls	5895
6145	हरयाना के मुख्य मंत्री द्वारा आरोप	Allegations by Chief Minister of Haryana...	5895
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	5896

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले में भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे के समाचार	Reported illegal occupation of Indian territory by Pakistan in Nadia District of West Bengal	5896
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ...	5896
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह	Shri Surenderpal Singh ...	5896
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	5897
विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges ...	5899
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report ...	5899
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee ...	5899
सातवां प्रतिवेदन	Seventh Report ..	5899
औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी जांच समिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Committee of Inquiry on Industrial Licensing ...	5899
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed ..	5899
विधेयक को पुरःस्थापन के बारे में	Re Introduction of a Bill ..	5899
तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Tuticorin Harbour Project ...	5900
डा. वी के आर. वी राव	Dr. V. K. R. V. Roa ...	5900
विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के बारे में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	Statement on Media of Education at University Stage ...	5902
श्री त्रिगुण सेन	Shri Triguna Sen ...	5902
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee ...	5904
पांचवां प्रतिवेदन	Fifth Report ...	5904
केन्द्रीय विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक 1967 पुरःस्थापित	The Central Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Bill 1967 Introduced. ...	5906

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants,	..	5906
श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय	Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation	...	5906
डा मैत्रेयी बसु	Dr. Maitreyee Basu	...	5925
श्रीमती सुचेता कृपलानी	Shrimati Sucheta Kripalani	..	5926
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	...	5927
डा. मेलकोटे	Dr. Melkote	...	5928
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	...	5930
श्री ल. ना. मिश्र	Shri L. N. Mishra	...	5931
श्री कडप्पन	Shri S. Kandappan	..	5933
श्री प्र. कु. घोष	Shri P. K. Ghosh	...	5934
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	..	5935
श्री तामस्कर	Shri Tamaskar	..	5936
श्री स. कुन्डू	Shri S. Kundu	..	5936
श्री काशी नाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	...	5937
श्री वि नरसिम्हा राव	Shri V. Narasimha Rao	...	5938
श्री गु. सिं. ढिल्लो	Shri G. S. Dhillon	..	5939
डा रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	...	5940
श्री भगवती	Shri Bhagvati	..	5941
डा. सूर्य प्रकाश पुरी	Dr. Surya Prakash Puri		5942
श्री सेक्वीरा	Shri Sequeira	...	5942
श्री शिव चन्द्रिका प्रसाद	Shri Shiv Chandika Prasad	..	5944
श्री अचल सिंह	Shri Achal Singh		5944
श्री शिंकरे	Shri Shinkre		5944

लोक-सभा
LOK SABHA

बुद्धवार, 19 जुलाई, 1967/ 28 आषाढ़, 1889 (शक)
Wednesday, July 19, 1967/*Asadha* 28, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker ***in the Chair***

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Separation of Judiciary From Executive

***1231. Shri Bibhuti Mishra :**
+
Shri K. N. Tiwary :
Shri Ramachandra Ulaka :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri Heerji Bhai :
Shri K. Pradhani :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Executive and Judiciary have been separated in all the States and Union Territories ;

(b) if so, the names of Union Territories and the States where these have not been separated ; and

(c) the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) The Judiciary has been separated from the Executive in Bihar, Gujarat, Kerala, Madras, Maharashtra, Mysore, Punjab, Haryana and the Union territory of Chandigarh. It has also been separated over large areas of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh and in some parts of Assam, Rajasthan and Himachal Pradesh.

(b) There has been no separation in Jammu and Kashmir, West Bengal and Nagaland and the Union territories other than Chandigarh and parts of Himachal

Pradesh. However, a law has been enacted in Jammu and Kashmir and the West Bengal Government are considering enacting a law for the purpose. The question of introducing separation in Delhi and the rest of Himachal Pradesh either through legislation or executive orders, is under consideration.

(c) Inadequacy of personnel, financial stringency and non-availability of necessary accommodation have stood in the way of extending the reform.

Shri Bibhuti Mishra : It has been the demand of the people prior and after independence that the Judiciary should be separated from the Executive. The Minister of Home Affairs has told that due to financial strigencies it has not been done. How long it will take to make up these financial difficulties and to separate the Judiciary from the Executive throughout the country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The policy of separation of the Judiciary from the Executive has been laid down in the Directive Principles of the Constitution and we are following it. In most of the States the separation has been effected and in States like West Bengal and Jammu and Kashmir this question is being pursued vigorously. We want that such separation should take place as soon as possible to implement our national policy as declared in our Constitution.

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Government have written to the Chief Minister of Andhra Pradesh where it has been done in part and whether the Government will give financial assistance to such States ?

Shri Vidya Charan Shukla : Yes, Sir, the Home Minister has written to the Chief Ministers of such States. As far as the Andhra Pradesh is concerned, there are some scheduled areas where the separation has not been done. No financial aid has been asked by this State for this purpose.

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that at all the places, where the Judiciary has been separated from the Executive, separate cadres have not been created and the magistrates of executive side are frequently transferred to the judiciary side and vice versa ? I would also like to know whether the Government is considering to make a separate permanent cadre for the Judiciary or whether such advice is being given to the States.

Shri Vidya Charan Shukla : It is a fact. It is our presumption that the proper separation is that where separate cadres for the Judiciary and the Executive have been formed. Where there is no such arrangement we try that separate cadres should be created there.

Shri Dhuleshwar Meena : May I know whether it is a fact that the executive officers and the political leader intervene in the affairs of judicial authorities ; if, what steps are being taken the Government to check it ?

Shri Vidya Charan Shukla : Separation is being done to do away with these things.

Shri K. Pradhani : May I know whether the Judiciary and the Executive are working successfully at all, the palaces, where they have been separated.

Shri Vidya Charan Shukla : Yes, Sir.

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : May I know whether the cases are being disposed of expenditiously after the separation or whether the disposal of a case takes the same time as it took before separation ?

Shri Vidya Charan Shukla : As far as I know the cases now are being disposed of expeditiously.

Shri Brij Bhushan Lal : Will the Minister be pleased to state why the Judiciary and the Executive have not been separated in U. P. ?

Shri Vidhya Charan Shukla : In this respect U. P. Government have prepared a phased programme in 1949 and since then it has been implemented in most parts of the State. Only some hilly districts are there where this scheme has not been implemented. The Home Minister has written to the the State for it.

Shri Sarjoo Pandey : Is it a fact that some State Governments are reluctant to separate the Judiciary and the Executive, because in that case they will not be in a position to penalize the people in arbitrary manner ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is not a fact. All the States have agreed for separating the both organs and they are rapidly doing it in accordance with the circumstances, which exist there.

श्री कंडप्पन : स्वस्थ लोकतंत्र के लिये यह आवश्यक है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक हो। परन्तु दुर्भाग्य से भारत में यह अभी तक न हो सका। इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस कार्य को शीघ्रता से करने के लिये हर सम्भव सहायता देगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हां, हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Rabi Ray : Does not the hon. Minister feel that an ordinary man does not get fair justice if the Judiciary and the Executive are not separate ? Will the hon. Minister give us assurance in terms of time by when the Judiciary will be separated from the Executive in whole country ?

Shri Vidya Charan Shukla : This process has been finished in most parts of the country. Efforts are being made to complete it as soon as possible in rest parts of the country.

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों का भारत में निश्चित अवधि से अधिक ठहरना

\+
*1232. **श्री बृजभूषण लाल :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री आत्म दास :**
श्री राम सिंह अग्रवाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय भारत में ऐसे बहुत से पाकिस्तानी राष्ट्रजन रह रहे हैं जिनकी यहां रहने की निर्धारित अवधि बीत चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) ऐसे पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की संख्या जो भारत में रहने की अवधि बीत जाने के बाद भी भारत में रह रहे थे 31 मई, 1967 को 12,603 थी। इनमें से 5,261 ने अवधि को बढ़वाने के लिये आवेदन दिया है और 832 ने भारतीय नागरिकता का दावा किया है। शेष 6,510 व्यक्तियों के विरुद्ध विदेशी अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

Shri Brij Bhushan Lal : Is the Minister aware of the fact that a large number of Pakistani nationals are overstaying in Uttar Pradesh, especially in Bareilly, due to carelessness of the Police and they are doing anti-national activities ? If so, how many and what steps are being taken to deport them ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have not got the figures statewise. There are 1650 people who are overstaying in Uttar Pradesh. Out of them 123 people belong to minorities of Pakistan. Some have applied for the extension of Visa some other want that they should be declared Indian citizens. But the State Government is proceeding with the matter properly.

Shri Brij Bhushan Lal : May I know whether the Governmeet is aware of the flows in Foreigners' Act and these Pakistani nationals are taking advantage of these flaws in overstaying here ? If so, whether the Government propose to amend this Act to removo those defects.

Shri Vidya Charan Shukla : We have not come across to any such flaw. If it is found there, certainly the Act will be amended.

Shri Manubhai Patel : Some of those who are overstaying, do spying for Pakistan. What arrangements the Government have made to have a strict look on them ?

Shri Vidya Charan Shukla : All such arrangements have already been made.

Shri George Fernandes : A large number of Pathans have been living in different parts of the country since pre-independence days and some of them have asked for Indian citizenship. May I know whether the Government consider them Pakistani nationals and whether the Government intend to grant them Indian citizenship ?

Shri Vidya Charan Shukla : If the hon. Member is using 'Pathans' word for the nationals of Afghanistan, I want to tell him that they are taken as Afghanistani nationals and not Pakistani nationals. If they duly apply for Indian citizenship, their applications are considered according to rules.

Shri George Fernandes : I am mentioning about those Pathans who belong to Pakhtoonistan, the land of Badshah Khan. They have been living here since long, even before division of the country.

Shri Vidya Charan Shukla : As I have already mentioned that we give due consideration to the applications of such people for citizenship. We do not want to send such people out of India who are entitled to be citizens of India.

श्री अनन्तराव पाटिल : राज्यवार पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की संख्या क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक राज्य में

श्री हेम बरुग्रा : क्या सरकार को पता है कि कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो निर्धारित अवधि बीत जाने पर भी भारत में ठहरे हुए हैं, वे जासूसी का काम कर रहे हैं ? यदि हां तो, उनकी निगरानी के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसे जिन लोगों के बारे में संदेह होता है उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और ऐसा प्रयत्न किया जाता है जिससे वे जासूसी न कर सकें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार को इस बात का पता है गाजियाबाद के समीप हिंडन हवाई अड्डे के पड़ौसी गांव वालों से हजारों सूक्ष्मदर्शी यंत्र मिले हैं और पाकिस्तानी राज दूतावास के कर्मचारी प्राय उस क्षेत्र में शिकार खेलने जाते रहते हैं ? क्या इस बारे में सरकार ने छानबीन की है ? दूसरे वहां बूचड़ दुकानें खोली गई हैं जिनसे वहां गिद्ध एकत्र हो जाते हैं जो विमानों की उड़ान आदि में बाधक होते हैं । क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह प्रश्न मूल प्रश्न से नहीं उठता । फिर भी इस बारे में जांच की जायेगी ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether some Pakistani infiltrators are found in areas of Rajasthan border who are engaged in espionage activities, and whether some such Pakistani citizens are overstaying in Delhi also, against whom the High Court has given its decision, because they are being guarded by some big political leaders.

Shri Vidya Charan Shukla : Some such Pakisiani nationals are found there also. Those who are doubted, are kept under strict vigil and legal actions are taken against them where required. As far as the existence of such a man in Delhi is concerned, the High Court have expressed its opinion about a man that he is a citizen of Pakistan. We have allowed him to stay here by extending his visa year after year.

Shri S. M. Joshi : The matter raised by Shri George Fernandes has not been clarified by the answer given by the hon. Minister. I woule like to know whether it is a policy of the Government to allow these Pathans belonging to Pakhtoonistan, the land of Badshah Khan, which is now a part of Pakistan, to stay in India.

Shri Vidya Charan Shukla : I have already said that the Pakhtoons, who apply for Indian citizenship, are given due consideration according to laws.

Shri Ram Kishan : May I know whether the Government of India have issued the instructions to the State Governments regarding fixation the limit of stay of Pakistani nationals in the States, and whether some such Pakistani nationals are found engaged in espionage activities during Indo-Pak conflict ; if so the action taken against them ?

Shri Vidya Charan Shukla : Pakistani nationals also can stay in India according to Foreigners' Act, Pass Port and visa rules. Some cases of espionage have come to our notice.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर 15 मिनट समाप्त हो चुके हैं। यह प्रश्न उन पाकिस्तानी लोगों के बारे में हैं जो भारत में ठहरे हुए हैं। मेरे विचार से प्रश्नकाल के दौरान इस सम्बन्ध में आपको इससे अधिक जानकारी न मिल सकेगी।

Shri Ram Singh Ayarwal : I would like to know whether any permanent solution has been found to put an end to the continuous infiltration of Pakistani nationals into India and whether there is any proposal to set up the check posts within area of 5 miles on both sides of the border so that infiltration may be stopped.

Shri Vidya Charan Shuk'a : We are not considering any such proposal.

पूर्वोत्तर खण्ड में विश्वविद्यालय

\+
*1233. **श्री मधु लिमये :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या शिक्षा मन्त्री 23 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर खण्ड में एक नया विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में इस बीच निर्णय किया जा चुका है ; और

(ख) क्या यह विश्वविद्यालय पर्वतीय लोगों के कल्याण सम्बन्धित समस्याओं तथा पहाड़ी और मैदानी इलाकों के लोगों के सामाजिक एकीकरण के बारे में विशेषता प्राप्त करेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का लक्ष्य पर्वतीय लोगों की शैक्षिक तथा सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने का है। आशा है कि यह इस इलाके के लोगों में शेष देश के साथ एकीकरण के भाव को बढ़ा सकेगा।

Shri Madhu Limaye : Has the attention of the hon. Minister been invited to the fact that restriction are being imposed upon the hill people for having matrimonial relations with the people of the plains ? May I know whether with a view to forging social and cultural bonds between the hill people and the plains people, a faculty will be established in this University ?

डा० त्रिगुण सेन : पूर्वोत्तर प्रदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए वर्तमान सुविधाओं की जांच करने और इस बात पर विचार करने के लिये कि उस क्षेत्र के लोगों के लिये किस प्रकार की शिक्षा सर्वोतम होगी और क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन तक विश्वविद्यालय या स्वायत्तशासी संस्थान स्थापित करना वांछनीय होगा, शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक समिति नियुक्त की गई थी। पहाड़ी

लोगों और मैदानी लोगों के बीच किस तरह संपर्क स्थापित किया जा सकता है, इस पर विचार करने के लिए उनसे कहा गया था। समिति विचार करने के बाद उस नतीजे पर पहुंची कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय को शिलांग में स्थापित किया जा सकता है। समिति ने यह सिफारिश की थी कि गहन अध्ययन होने चाहिये ताकि पहाड़ी और मैदानी लोगों में सामाजिक एकता लाई जा सके।

Shri Madhu Limaye : May I know whether this University will be established independently of the implementation of the recommendations given for the reorganisation of Assam, since it will not be advisable to interlink both the issues ?

डा० त्रिगुण सेन : प्रस्वावित विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिये, संविधान के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि सम्बन्धित विधान मण्डल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये केन्द्र से प्रार्थना करने सम्बन्धी हम संकल्प पारित करें। अब हम प्रतीक्षा कर रहें कि नागालैंड का विधान मण्डल ऐसा एक संकल्प पारित करें।

Shri Madhu Limaye : Does it not include Manipbr and Tripura ?

डा० त्रिगुन सेन : हमें बताया गया है कि नागालैंड का विधान मण्डल अगस्त 1967 में संकल्प पारित करेगा। ज्यों ही यह हो जायेगा, हम विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम चालू कर देंगे।

Shri George Fernandes : Can the hon. Minister give an assurance that the medium of instruction in this university will be the regional language of that area and not English ?

डा० त्रिगुन सेन : यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा, पहाड़ी जिलों के लोग मांग करते हैं कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि जबकि पिछले वर्ष सरकार ने इस विश्वविद्यालय और दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के लिये एक करोड़ रु० का बजट उपबन्ध किया गया था, इस बार दोनों विश्वविद्यालयों के लिये 75 लाख रु० का उपबन्ध किया गया हैं ? केवल 75 लाख रु० में दोनों विश्वविद्यालय किस प्रकार स्थापित हो जायेंगे ?

डा० त्रिगुण सेन : यह बजट उपलब्ध का प्रश्न नहीं है। हमने हिसाब लगाया है कि इस वर्ष वास्तविक रूप से कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। राशि के बढ़ाने का कोई फायदा नहीं हैं। हम इस राशि को काफी समझते हैं।

Shri Prakash Vir Shastri : What are the snages, whether political or financial in the way of taking a final decision regarding the opening of this University ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं आरम्भ में ही बता चुका हूं कि इस विश्वविद्यालय के लिए शिलांग का स्थान निश्चित किया गया है। मैंने यह भी बताया था कि संविधान के अन्तर्गत नागालैंड की विधान सभा द्वारा एक संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है जिसमें केन्द्र से विश्वविद्यालय खोलने के लिये अनुरोध किया गया हो। उन्होंने अभी ऐसा नहीं किया है।

श्री स० कुन्डू : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि भारत में 'मुख्य विश्व विद्यालय स्थापित किये जायें ? क्या मन्त्री महोदय पूर्वोत्तर प्रदेश, विशेष रूप से मणीपुर में ऐसा एक विश्वविद्यालय स्थापित करना उचित समझते है ?

डा० त्रिगुण सेन : शिक्षा आयोग की इस सिफारिश पर विचार किया गया था। मन्त्रालय वहां पर कोई छोटा या बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। हमने 'मुख्य' की परिभाषा यह दी है। विभिन्न विषयों में उच्च अध्ययन का केन्द्र।

Shri O. P. Tyagi : Are Government framing any scheme to give special facilities to the hill students to encourage them to study in other Indian Universities in order to foster national integration ?

डा० त्रिगुण सेन : इस पर हमने अभी विचार नहीं किया है।

श्री हेम बरुआ : यह विश्वविद्यालय एक समूचे भारतीय दष्टिकोण का निर्माण करेगा या पृथक्कारी मनोवृत्ति को बढ़ावा देगा ? यदि इसके द्वारा समूचे भारतीय दष्टिकोण के निर्माण करने का विचार है तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं समझता हूँ कि इसके लिये इस संसद को पहले शिक्षा सम्बन्धी एक राष्ट्रीय नीति रखनी चाहिये जिस पर कि हम विचार करने जा रहे हैं। इसके होते ही शिक्षा मन्त्रालय इसको क्रियान्वित करेगा।

श्री वासुदेवन नायर : यह प्रस्ताव पहले पहल श्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। मैं जानना चाहता हूँ कि जब उस प्रस्ताव के अध्ययन करने और उसकी क्रियान्विति में इतना समय लगता है तो विश्वविद्यालय के स्थापित होने में कितना समय लगेगा।

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य को दिये गये विवरण में दिया गया है कि अगस्त 1963 में आदिम जातीय समिति के प्रतिनिधियों की बैठक में यह संकल्प पारित किया गया कि इस बारे में भारत सरकार से अनुरोध किया जाये। उसी वर्ष वे दिसम्बर में पंडित जवाहर लाल नेहरू से मिले। एक समिति बनाई गई थी और उसने अपना प्रतिवेदन दिया जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर : एक समिति के प्रतिवेदन में चार वर्ष लग गये ?

श्री त्रिगुण सेन : जैसा कि मैंने बताया जब तक संविधान के अनुसार विधान सभा संकल्प पारित नहीं करती हम इसे कैसे कर सकते हैं ?

श्री कार्तिक ओराओ : एक ओर तो आप सामाजिक, सांस्कृतिक और भावात्मक एकता की बात करते हैं. और दूसरी ओर आप विशेष विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की बात करते हैं। क्या देश के अन्य भागों में भी इस प्रकार के विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है यदि हां, तो वे कहां स्थापित की जायेंगी ?

डा० त्रिगुण सेन : यदि उसकी आवश्यकता हुई तो हम इस पर विचार करेंगे ।

श्री दे० प्रभात : यह विश्वविद्यालय पहाड़ी आदिम जातियों के कल्याण में विशेष रूप से शिक्षा देते हैं देती हूँ । उड़ीसा की पहाड़ी आदिम जातियों के दो विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में दाखला देने से इन्कार कर दिया गया था । फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह पहाड़ी आदिम जाति के कल्याण के लिये है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें उत्तर देने की क्या बात है । माननीय मन्त्री इस पर विचार करेंगे ।

Shri Rabi Ray : Is the hon. Minister in a position to give an assurance that subsidy will be given for the education of the hill children ?

डा० त्रिगुण सेन : अब भी ऐसा उपबन्ध हैं । मैं समझता हूं पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गोहाटी विश्वविद्यालय में निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य ने दाखले के बारे में शिकायत की थी ।

डा० त्रिगुण सेन : यदि वह मुझे लिख भेजें तो मैं उसकी जाच करूंगा ।

राजनैतिक दलों के लिये अनुशासन संहिता

+
***1234. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक दलों के लिये एक अनुशासन संहिता लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Ram Kishan Gupta : Is it a fact that the Home Minister had convened a meeting of the Political parties to consider this matter and if so, what were the views of the various political parties ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पिछले आम चुनावों से पहले मैंने चुनावों के लिये आचार संहिता तैयार करने के लिये प्रतिपक्षी दलों के नेताओं को आमन्त्रित किया था । कुछ राजनीतिक दल आचार संहिता तैयार करने के लिये तैयार हो गये थे । मैं समझता हूं उनमें से अधिकांश ने इसका पालन करने का प्रयत्न किया था ।

श्री राम कृष्ण गुप्त : उस बैठक में किन विशिष्ट मदों पर चर्चा की गई ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जैसा कि मैंने बताया मुख्य उद्देश्य चुनाव के दौरान एक प्रकार की आचार संहिता तैयार करना था ।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या जन संघ के अखिल भारतीय सचिव ने सभी दलों की एक बैठक बुलाने के लिये गृह-मन्त्री को लिखा था ताकि न केवल चुनाव की अवधि के लिये ही अपितु हमेशा के लिये भी एक आचार संहिता बनाई जा सके, यदि हां, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : वास्तव में इस विषय पर सबसे पहले राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन में 1961 में चर्चा की गई थी। फिर. इस विषय पर 1962 में राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन में अग्रेत्तर चर्चा की गई थी। परन्तु मैं देखता हूँ कि इस मामले का आगे अनुसरण नहीं किया जा रहा है।

केवल आचार संहिता बना लेना ही काफी नहीं है। जब तक सभी राजनीतिक दल उसको दिल से क्रियान्वित नहीं करना चाहती तब इसके होने का कोई फायदा नहीं है । हम चाहते हैं कि एक आचार संहिता हो, परन्तु जब तक सभी राजनीतिक दल ऐसा न चाहे सरकार के पहल करने पर कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

श्री पीलू मोडी : चुनावों के दौरान मन्त्रियों को जो सुविधाएं उपलब्ध थीं, क्या उनके विनियमन के लिये पिछली आचार संहिता में कोई विनियम था ? उदाहरणार्थ. मेरे निर्वाचन क्षेत्र में गृह-मन्त्री वहां पर सात मोटरगाड़ियों, सशस्त्र सैनिकों और 700 पुलिस सिपाहियों के साथ आये थे। क्या वह आचार संहिता का भाग था ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र में नहीं गया था। परन्तु मैंने एक निजी कार में यात्रा की थी। यदि वहां पुलिस के सिपाही थे, तो वे माननीय सदस्य की रक्षा के लिये भी थे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I think the need to have a Gode of Conduct has become more pronounced]in view of the defection which most of ten culminate in the changing of State Governments. What steps Government propose to take to put an effective check on this tendency to cross the floor ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह ऐसा मामला नहीं जिसमें सरकार को पहल करनी चाहिये। व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूं कि निश्चय ही ऐसी आचार संहिता का होना वांछनीय है।

श्री विश्वनाथ राव : क्या सरकार कुछ ऐसे तरीकों को अपनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसके द्वारा एक राजनीतिक दल द्वारा दूसरे पर झूठे आरोपों के लगाये जाने को रोका जा सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है। आचार्य कृपलानी ने हाल ही में एक लेख लिखा है। जिसमें उन्होंने ऐसी संहिता की आवश्यकता को बताया है। यह सारे राजनीतिक दलों का प्रश्न है। यदि सरकार का।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : संथानम समिति ने यह सिफारिश की थी कि राजनीतिक दलों के वित्तीय साधनों की सार्वजनिक जानकारी दी जानी चाहिये और जांचे हुए लेखे प्रकाशित किये जाने चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय गृह मंत्री ने देश में कार्य कर रहे दलों के सम्बन्ध में इस प्रश्न के पहलू पर दूसरे राजनीतिक दलों से बातचीत की है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : केवल पिछले ही सप्ताह या उससे पिछले सप्ताह सभा में इस सम्बन्ध में एक तारांकित प्रश्न पूछा गया था और मैंने इस सम्बन्ध में सरकार के रवैये का उल्लेख किया था। संथानम समिति ने इस सम्बन्ध में एक सिफारिश की है और वह सिफारिश विचाराधीन है। हम इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Shri S. M. Joshi : Hon. Minister has told rightly that the work could not be done only by framing Code of Conduct. Whether he would also tell that when some body breaks the Code of Conduct, what should be the punishment he should get, because it had also happened. We framed Code of Conduct in Bhatdhar, they were also included in that, but the Congress party broke that Code of Conduct and we could do nothing. I want to know whether the authority who wants to frame, is aware of its design.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने कुछ विशेष बातों के सम्बन्ध में उल्लेख किया है। यद्यपि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, फिर भी मैं इसकी जानकारी दूंगा। उन्होंने भाटधर आचार संहिता का उल्लेख किया था। इसको नहीं तोड़ा गया था क्योंकि उस ही सभा में कांग्रेस दल ने अनुमति ले ली थी। संयुक्त महाराष्ट्र परिषद के प्रस्ताव रखने के बाद राजनीतिक स्थिति बिल्कुल बदल गई थी अतः 1962 तक...

श्री एस० एम० जोशी : 1962 के बाद आपने उसे तोड़ा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमने नहीं तोड़ा।

श्री हेम बरुआ : पिछले निर्वाचनों के पश्चात् प्रजातन्त्र ने घरने का रूप ले लिया है। प्रत्येक दिन यही सुनाई देता है कि हरियाना मंत्री मंडल बढ़ाया जा रहा है। एक दिन मुझे पता लगा कि हरियाना मंत्री मंडल में छः मंत्रियों को शामिल किया गया था आज सुबह मुझे पता लगा कि उसमें एक और मंत्री को शामिल कर लिया गया हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय गृह मंत्री, जो एक शक्तिशाली दल के नेता हैं, इस विशेष मामले में आचार संहिता बनाये रखने का कार्य करेंगे। उन्हें और उनके दल को एक उदाहरण रखना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह यह कार्य करने जा रहे हैं अथवा नहीं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह मेरे चाहने या इच्छा करने का प्रश्न नहीं है। यह देश के राजनीतिक जीवन में इच्छा उत्पन्न करने का प्रश्न है और इसके लिये सब राजनीतिक दलों को कार्य करना होगा और आचार संहिता का पालन करना होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री को यह विदित है कि भूतपूर्व मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने कोई आचार संहिता का निर्माण किया और उसको व्यवहार में लाये।

क्या मैं यह जान सकता हूँ कि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि इन आचार संहिताओं ने किस प्रकार सफलता प्राप्त की और इसकी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् क्या वह ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि माननीय सदस्यों द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करने के लिये आचार संहिता का गठन कर सकें ।

श्री सेभीयान : प्रजातन्त्र का ऊंचा और स्वच्छ स्तर बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लिये अनुशासन संहिता का आरम्भ किया जायेगा । भारतीय प्रजातन्त्र में कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों की सहायता कर जो वातावरण उत्पन्न किया जाता है, वह बहुत हानिकारक है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कम्पनियों द्वारा इस प्रकार की पूरी सहायता को समाप्त करने के लिये कोई सुझाव विचाराधीन है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : संथान्म समिति की यह भी एक सिफारिश है, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था । यह विचाराधीन है और विभिन्न मंत्रालयों में इस सम्बन्ध में जांच की गई । इस सम्बन्ध में हम विशेष कर निर्वाचन आयोग के विचारों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या एक दल से दूसरे दल में शामिल होने की घटनाओं और राजनीतिक दलों में हुए मतभेदों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस बात की वांछनीयता या आवश्यकता पर विचार करेगी कि, यदि एक दल छोड़ने वाले सदस्य दूसरे दल में शामिल होना चाहेंगे तो उन्हें फिर से चुनाव लड़ना होगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आजकल शायद एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना शायद संसदीय विशेषाधिकार हो गया है । वास्तव में मुझे इस विषय में ठीक से पता नहीं है कि क्या हम इस मामले में कुछ कार्यवाही कर सकते हैं ।

परन्तु यदि एक व्यक्ति लोगों के पास एक उद्देश्य से जाता है और निर्वाचित हो जाता है, उसके पश्चात् यदि वह उसमें बदली करता है तो यह वांछनीय है कि वह फिर से चुनाव लड़े ।

श्री हेम बरुआ : हम इस प्रयोजन के लिये संविधान में संशोधन कर सकते हैं ।

Shri Yashpal Singh : The principles of human religion are applicable to all. The human religion is based on truth and honesty. There, the question for a new Code of Conduct for joining any parts does not arise ? Code of Conduct is not necessary for a work which is against human religion. If I become a member after defeating the Congress and I want to join Congress, it is my religious duty that first of all I must resign from membership and then got the confidence of the public. God and human religion do not permit me to deceive Public.

The principles of human religion are the same for all. Therefore, Code of Conduct is not necessary for any political Parties.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत हूँ लेकिन मैं आशा करता हूं कि वह ऐसा अपने राज्य से ही आरम्भ करेंगे । यदि वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने वाले किसी सदस्य को ऐसी सलाह देते हैं तो सब बात ठीक से चलने लगेगी ।

श्री रंगा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारे देश के लोग अधिकतर शक्ति से चिपके रहना चाहते हैं और सौभाग्य से सब राज्यों में एक दल का एकाधिकार समाप्त हो गया है तो क्या सरकार हमारे दल द्वारा दिये गये सुझावों पर, जिसका और दलों ने भी समर्थन किया है, विचार करेंगे। जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन से कुछ महीने पूर्व सत्तारूढ़ दल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिये और राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना चाहिये ताकि निर्वाचन के समय किसी भी एक दल को लाभ न हो।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि संसदीय प्रजातन्त्र में इस प्रकार नहीं होता।

श्री मनोहरन : हम संसार के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां ऐसा क्यों नहीं किया जाये ?

श्री वेदव्रत बरुग्रा : अब राज्यों की सब बुराईयों और कठिनाइयों के लिये केन्द्रीय सरकार पर दोष डाला जाना इस सीमा तक पहुंच गया है कि इससे देश की एकता को खतरा हो सकता है। अतः क्या माननीय मंत्री सब राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों की एक बैठक बुलाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ताकि वित्तीय आवंटन इत्यादि के सम्बन्ध में ऐसे नियम बनाये जा सकें जो सब राज्यों के लिये संतोषप्रद हो ताकि कठिनाइयों का कोई कारण न हो और राज्यों में घटने वाली घटनाओं के लिये केन्द्र पर दोष न डाला जाये।

ग्रध्यक्ष महोदय : इसका मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Jagannath Rao Joshi : Democracy cannot function only on the basis of principles. Democracy can only function if on implementing the principles of democracy some new and healthy conventions may be established. The party in power has a specific responsibilities in this respect. Some allegations were made in this House against R. S. S. and Jan Sangh in which 7th November incidents have been quoted. But after inquiry it came out that these two parties were not connected with those mishappenings. Now, whether it is not the responsibility of the hon. Minister to apologise for the charges be made against Jan Sangh and R. S. S.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं मैं ऐसा वक्तव्य नहीं दे सकता।

Retrenchment in Foreign oil Companics

+

*1235. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagnnth Rao Jhshi :
Shri C. Janardhan :
Shri Vasudevan Nair :

Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state;

(a) whether the Committee set up to enquire into the retrenchment in foreign oil companies have made enquiries about all the foreign oil companies ;

(b) if so' the details thereof ; and

(c) if not, the time likely to be taken insubmitting the report ?

The Minister of Labour & Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b) The Commission was set up only on July 4, 1867 and is expected to start its work shortly.

(c) The Commission has been asked to submit its report with in a period of six months.

Shri Hukam Chand Kachwai : Whether the Government is considering to provide employment to those who have been retrenched from the foreign oil companies, in newly under constructing Companies in Gujrat and Gauhati.

Shri Hathi : They are not Government Companies, but the companies would definitely be asked to employ those persons who have been retrenched.

Shri Hukam Chand Kachwai ; Hon. Minister has told that the inquiry is going on and the report would be submitted after six months. I want to know the time you would take to implement that report ?

Shri Jagannath Rao Joshi : Whether any guarantee has been given to the labourers in this matter that no retrenchment will made amongs them and whether it has also been included in the terms of reference of the Committee.

Shri Hathi : A suggestion has been received like that so for as guarantee is concerned the oil companies have said that they would not make voluntary retrenchment, but they should be given the sanction in case of any surplus. But our workers have not accepted it,

श्री वासुदेवन नायर : कर्मचारियों ने पहले ही कहा है कि उसकी शर्तें उचित नहीं है और उन्हें उस पर आपत्ति है। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इस सम्बन्ध में कर्मचारियों के प्रति निधियों से फिर से बातचीत करेगी और टर्म्ज आफ रेफ्रेन्स का पुर्नविलोकन करेगी। जब तक आयोग जांच नहीं कर लेता या अपना निर्णय नहीं दे देता तब तक किस प्रकार कार्य किया जायगा क्या कोई ऐसी गारन्टी है कि तब तक उनकी छटनी नहीं की जायगी ?

श्री हाथी : जहां तक टार्म्ज आफ रेफ्रेंस का प्रश्न है, संसद सदस्य श्री मुहम्मद इस्माइल इस सम्बन्ध में मुझ से कल मिले थे। मैंने उन्हें बताया था कि यदि ऐसा पता लगा कि टर्म्ज आफ रेफ्रेंस अपने उद्देश्य के सफल नहीं हुआ है तो हम इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे। यदि उसकी शर्तें उद्देश्य भी पूर्ति नहीं करेंगी तो हम उस सम्बन्ध में अवश्य विचार विमर्श करेंगे और मामले पर पुर्नविचार करेंगे। जहां तक कर्मचारियों के अधिक होने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में मेरी कर्मचारियों और प्रबन्धकों से भी बात चीत हुई है। कालटैक्स कम्पनी के कुछ लोग भी मुझ से मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि कलकत्ते में कुछ स्थान खाली है और वह 24 व्यक्तियों को शीघ्र रखने के लिये तैयार है।

+ विज्ञान नीति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

***1236. श्री स० चं० सामन्त :**
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव पेश किया है कि हर वर्ष विज्ञान नीति सम्बन्धी एक प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखा जाये।

(ख) क्या यह विशेष प्रतिवेदन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तैयार करेगी। और

(ग) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री डी० एस० कोठारी ने 26 अप्रैल, 1967 को नई दिल्ली स्थित सप्रू हाऊस में भाषण देते हुए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में एक सुझाव दिया था कि विज्ञान की प्रगति और विज्ञान की नीति के सम्बन्ध में एक वार्षिक प्रतिवेदन संसद में रखा जायेगा।

(ख) और (ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद द्वारा ऐसा कोई प्रतिवेदन तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है। वैज्ञानिक मंत्रणा समिति। मन्त्री मण्डल को वैज्ञानिक नीति संकल्प को क्रियान्वित करने और इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक घोषित करने के लिये वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने का सुझाव दे रही है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उनके मंत्रालय का कौनसा विभाग अन्तरराष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद सगठनों और संस्थाओं के साथ व्यवहार कर रहा है और क्या वह विभाग इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देने में समर्थ होगा।

श्री भगवत झा आजाद : इस सम्बन्ध में, इससे पहले संसद की प्राक्कलन समिति इस प्रकार की कार्यवाही करने की सिफारिश कर चुकी थी। जैसा विदित है मंत्री मण्डल की वैज्ञानिक समिति इस सम्बन्ध में विचार कर रही है और उसने यह निर्णय किया हैं कि वह देश की वैज्ञानिक नीति का पुर्नविलोकन करेगी। इसको प्रकाशित करने के सम्बन्ध से बाद में विचार किया जायेगा।

Shri Yashpal Singh : In our country research has not been made either on earth quake or on lunar eclips or on solar eclips. We do not possess either Atom bombs or Hyderogeon bombs, the crores of rupees have been spending on these committees ?

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद को किन आधारों पर मान्यता दी गई हैं क्योंकि इसको मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में बहुत चर्चा हुई है।

शिक्षा मन्त्री (श्री त्रिगुण सेन) : इसे उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मान्यता दी गई है। इसे उद्योग के साथ मिल कर कार्य करना चाहिये। इसको मान्यता देने का यह उद्देश्य है।

श्री प० गोपालन : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि केरल को छोड़कर भारत के प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय या प्रादेशिक प्रयोगशालाएं आरम्भ की गई है मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री ने 1960 में यह

सार्वजनिक घोषणा की थी कि देश के सब राज्यों में ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेगी । मै यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में केवल केरल ही की क्यों उपेक्षा की गई जब कि वह अपनी आय का $\frac{1}{3}$ भाग शिक्षा पर व्यय करता है और भारत में शिक्षा की दृष्टि से सबसे अग्रिम राज्य है ।

श्री त्रिगुण सेन : मेरे विचार से माननीय सदस्य का प्रश्न उत्तर दिये जाने वाले प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है । मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है कि 1960 में मन्त्री महोदय ने यह घोषणा की थी कि सब राज्यों में राष्ट्रीय या प्रादेशिक प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी ।

श्री रंगा : केरल में थम्बा राकेट स्टेशन है ।

श्री विश्वनाथ राय : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक गवेषणा के लिए केवल कुल धन राशि का 10 प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस ओर उचित ध्यान दिया जायेगा ?

श्री भगवत झा आजाद : हम यहां संस्कृति के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे है । कृषि के सम्बन्ध में कृषि मन्त्रालय से पूछा जा सकता है ।

दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग के इंजीनियरी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये कितने विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र दिए थे,

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 120 स्थान कम होने की सम्भावना है,

(ग) क्या स्थानों की संख्या में कमी 1965 में अंश-कालिक इंजीनियरी पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने के कारण हो रही है,

(घ) उपरोक्त कालेज में इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग तथा सिविल इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(ङ) इंजीनियरी पाठ्यक्रम में दाखिले के लिये अंकों की प्रतिशतता के बारे में क्या कसोटी निर्धारित की जाती है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के लिये 1641 ।

(ख) और (ग) : जी, हां ।

(घ) सरकार का प्रस्ताव है कि अशंकालिक पाठ्यक्रमों को जारी रखने के प्रश्न पर दिल्ली विश्वविद्यालय से बात की जाए ।

(ङ) पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों में दाखिले विशुद्धतः योग्यता के आधार पर इस शर्त के साथ होते है कि योग्य बनाने वाली परीक्षा में अंग्रेजी, गणित, मौखिक तथा रसायन शास्त्र में सामान्य स्थानों के लिये कम से कम कुल मिलाकर 60 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित कबिलों के लिए आरक्षित स्थानों के लिये 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हों।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon, Minister has told that 1641 students applied for admission and I want to know the number of students got admisson out of it and upto what numbers ? My second part of the question is that the ratio of seats in the Engineering College is insufficient as compared to the number seats in other colleges and the proportion of seats in Delhi is less as compared to other provinces. of it is so, the steps Government is taking to increase that proportion or ratio ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) :दिल्ली कालिज आफ इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों के दिन के पाठ्यक्रम के लिये इस समय 256 सीटें है और विद्यार्थियों को योग्यता अनुसार दाखिल किया जाता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the minimum percentage for getting admission ?

डा० त्रिगुण सेन : दाखिला प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : There were 1641 eligible candidates. Out them 200 and more have got the admission. I want to know the minimum number of the student the last got the admission ?

डा० त्रिगुण सेन : वह आंकड़े मेरे पास नहीं है। 1641 लड़कों ने दाखिले के लिये आवेदन पत्र दिए थे। उसमें से 250 लड़कों को योग्यतानुसार दाखिला किया गया था। अन्तिम दाखिल होने वाले लड़के के कितने नम्बर थे, इसका मुझे ज्ञान नहीं ;

श्री रंगा : क्या कोई प्रतियोगयात्मक परीक्षा हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उनके दाखिला नम्बरों के आधार पर किया गया था।

डा० त्रिगुण सेन : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मैंने एक वक्तव्य दिया था जिसमें बताया था कि जहां तक दिल्ली में दी जाने वाली इंजीनियरिंग शिक्षा का सम्बन्ध है, इस पर दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक धन व्यय किया जा रहा है। आज मुझे वास्तविक आंकड़ों का ज्ञान नहीं है। माननीय सदस्य को पता है कि मैंने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था।

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether the hon. Minister is aware that when the students of Delhi go for admission outside, the college authorities of those states tell them that since they are not the bonafide resident of that state they cannot admission there. I think this condition or restriction is against our constitution as well as against getting admission of the Delhi students in States. Whether Central Government would take some actions to remove these restrictions ?

There is no arrangement for teaehing. new course in the Delhi College of Engineering. There are only Mechanical, Electricial and Civil Engineering Courses. Whether the hon. Minister is making arrangement for starting some new courses there ?

डा० त्रिगुण सेन : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार वह ठीक नहीं है। भारत में आई. आई. टी. के सब दाखिलों के लिये खुली प्रतियोगिता होती है और मुझे बताया गया है कि चुने गये विद्यार्थियों में अधिकतर दिल्ली के ही होते हैं। उनका दाखिला प्रतियोगिता में प्राप्त योग्यता के अनुसार किया जाता है। इस प्रतियोगिता में कोई भी भाग ले सकता है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कैमिकल इन्जीनियरिंग का प्रशिक्षण देने के लिये कोई सुविधाए उपलब्ध हैं, यदि नहीं, तो सरकार कैमिकल इंजीनियरिंग के सब आवश्यक विषयों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में, जिसे विदेशों में भी इतना महत्व दिया जाता है, क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

डा० त्रिगुण सिंह : दिल्ली कालिज आफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम है। कैमिकल इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम आई. आई. टी. होजखास में उपलब्ध है। उसकी वहां व्यवस्था की गई है।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has just told that 60% aggregate marks have been fixed for the non scheduled caste candidates and 50% for the schedule caste candidates for admission. May I know the number of application received from the schedule caste candidates and the number of scheduled cast candidates selected and whether the reserved quota of 82½% for schedule caste candidates have been fulfilled ?

डा० त्रिगुण सेन : मेरे पास आंकड़े नहीं है।

Shri Madhu Limaye : The number of girl students got the admission out of it and whether you are giving them a special opportunity ?

डा० त्रिगुण सेन : मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं जिनसे मैं यह बता सकूं कि कितने लड़के तथा लड़कियों को दाखिला किया गया है।

श्री स० कुन्डू : क्या माननीय मन्त्री को यह विदित है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे 200 विद्यार्थियों को इंटरमीजियेट परीक्षा में रजिस्टर करने की अनुमति न देकर और यू. पी. एडल्ट ऐजूकेशन बोर्ड को परीक्षा लेने की अनुमति देकर विद्या परिषद ने उनसे धोखा किया है।

अध्यक्ष महोदय : वह जानकारी दे रहे हैं प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

श्री स० कुन्डू : मैं आप से पूछ रहा हूं। अब दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारी यह कहते हैं कि उन्होंने ऐसे आदेश नहीं दिये थे। मेरे विचार से मंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है।

डा० त्रिगुण सेन : यह अल्प सूचना प्रश्न दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज से सम्बन्धित है और मेरे विचार से मैंने इसका उत्तर दे दिया है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बन्धित भिन्न विषय है।

श्री स० कुण्डू : यह बहुत आवश्यक प्रश्न है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Activities of Foreign Christian Missionaries

***1237. Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state -

(a) whether the activities of the foreign Christian missionaries on the Indian border areas have been intensified ;

(b) whether any memorandum was submitted to Government by the Indian Christian missionaries in the past with a view to preventing Christian missionaries coming from abroad ; and

(c) if so, the nnmber of foreign missionaries since sent out of India so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charn Shukla) : (a) There have been reports of foreign missionaries trying to extend their activities in certain border areas Government have, however, no reasons to believe that there has been general intensification of their activities in all borderareas.

(b) Yes. Some memoranda to this effect have been received.

(c) There has been a gradual reduction in the number of foreign missionaries. Their number as on Ist January, 1962 was 4,516. Their number as on 1st January, 1967 was 3,915,

अध्यापकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

***1238. श्री अ० कु० किस्कु :**
श्री श० ना० माइती :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अब्दुल गनी दार :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण की जो कि स्कूलों में अध्यापन के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिये मूलभूत गुण है, पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उपेक्षा की गई थी,

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में अध्यापकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम पर बल देने के लिये सरकार का क्या विशेष कार्यवाही करने का विचार है, और

(ग) किस लक्ष्य तिथि तक कम से कम 50 प्रतिशत वर्तमान अध्यापक प्रशिक्षित हो जायेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। स्कूल अध्यापकों की संख्या 1950-51 में लगभग 7,50,000 से बढ़ कर 1965-66 में लगभग 20,00,000 हो गई थी, और इसी अवधि में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या लगभग 4,30,000 से बढ़ कर लगभग 14,00,000 तक बढ़ी थी, जिससे प्रशिक्षित अध्यापकों की प्रतिशतता 57 से बढ़कर 70 हो गई।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी भारतीय स्कूल (इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टडीज)

*1239. **श्री प० गोपाल** :
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी भारतीय स्कूल, नई दिल्ली को विदेशों से कितनी वित्तीय सहायता मिली है ;

(ख) यदि हां, तो 1952 से 1966 तक अमरीकी अभिकरणों से इस संस्था को कुल कितना धन मिला हैं, औंर

(ग) उस अवधि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस संस्था को कुल कितना धन मिला है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां।

(ख) 1955 से 1966 तक 24,97,478.51 रुपए। (यह स्कूल 1955 में खुला था)।

(ग) 1955 से 1966 तक 44,47,546.55 रुपए।

Reorganisation of Assam

*1240. Shri Y. S. Kushwah :
Shri A. K. Kisku :
Shri S. N. Maiti :
Shri Tridib Kumar Chaudhuri :
Shri Yaspal Singh :
Shri S. C. Samanta :
Shri Abdul Ghani Dar :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Dhireswar Kalita :
Shri Hem Barua :
Shri Vasudevan Nair :
Shri S. M. Banerjee :
Shri D. C. Sharma :
Shri Marndi :
Shri E. K. Nayanar :
Shri Yajna Dutt Sharma :
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Kanwar Lal Gupta :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri J. Ahmed :
Shri Virendra Kumar Shah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri J. Sundar Lal :
Shri Ramji Ram :
Shri Sradhakar Supakar :
Shri Shiva Chandra Zha :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether any talks with the leader of Assam including the representatives of the All Party Hill Leaders' Conference on the question of reorganisation of Assam have been held ; and

(b) if so, the out come there of ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) & (b) Thirteen Members of Parliament from Assam representing differnt parties and thirty two members of the Assam Legislative Assembly representing different parties in the Assembly (including one MP and four Mlas. of Aphlc) hada joint discussion on the 8th and 9th July 1967 at new Delhi on the reorganisation of Assam but no agreed solution emerged at that discussion. However, as most of the members desired that the matter should receive further consideration, a Committee consisting of the Chief Minister of Assam and some other members represented at the meeting was appointed under the chairmanship of the Minister of Planning, Petroleum and Social Welfare to continue the efforts at finding an agreed solution. The Committee has been given time to report up to the 31st August, 1967.

आसाम में बेरोजगारी

1241. श्री रा० बरुग्रा :
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि पिछले दो वर्षों से आसाम में बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या पिछले तीन महीनों में यह बेरोजगारी और भी अधिक बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण चाय-बागान में उपलब्ध नियुक्ति अवसरों की कमी है । इस उद्योग के नियोजन अवसरों में 18,986

स्थानों या 3.8 प्रतिशत कमी सन् 1965 में और 11,411 स्थानों या 2.4 प्रतिशत कमी सन् 1966 के दौरान लिखी गई। बागानों में रोजगार स्थिति के बारे में एक सदस्य की समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट को अगस्त 1967 में बागान सम्बन्धी औद्योगिक समिति के सामने प्रस्तुत करने का विचार है। उक्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

दिल्ली नगर निगम

*1242. श्री प० ला० बारुपाल :
श्री हुकम चंद कछवाय :
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री बूटा सिंह :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री कार्तिक ओरांओ।
श्री शंकरा नंद :
श्री गु० सि० ढिल्लों :
श्री भोला नाथ :
श्री गाडिलिंगन गौड :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रेम चंद वर्मा :
श्री राजदेव सिंह :
श्री सीताराम कसेरी :
श्री जु० रामपथी राव :
श्री अनन्तराव पाटिल :
श्री गा० शं० मिश्र :
श्री व० ब० राजू :
श्री शशि रंजन :
श्री हरि कृष्ण :
श्री कृ० ग० देशमुख :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी :
श्रीमती लक्ष्मीकांतम्मा :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :
श्री दामानी :
श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री रामचंद्र वीरप्पा :
श्री चन्द्रजीत यादव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच हैं कि दिल्ली नगर निगम घाटे में चल रहा है और उसका राजस्व बढ़ाने के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1096/97]**

Prohibition

1243. Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fat that on principle, the Central Government believe in total prohibition :

(b) if so, the extent to which Tek Chand Committee's recommendations have been implemented; and

(c) the time by which total prohibition is likely to be effected ?

The Minister of State in the Ministry of Homn Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Prohibition is the national policy.

(b) The recommendatio..s of the Tek Chand Committee in so for as they relate to the better implementation of the prohibition law in force is the responsibility of the State Governments. The State Governments, by and large, have accepted these recommendations and are implementing them to the extent that their finance permit. It has not been possible to get the States to implement the recommendations for introduction of prohibition in wet areas but this is till under consideration.

(c) It is not possible to set any time limit in this matter.

संयुक्त परामर्श समिति (ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी

***1244. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त परामर्श समिति में कुछ महत्वपूर्व प्रश्नों पर गतिरोध पैदा हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन किन प्रश्नों पर समिति में सहमति नहीं हो सकी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री श्री के०एस० रामास्वामी : (क) राष्ट्रीय परिषद की 29 और 30 मई, 1967 की बैठक में सरकारी पक्ष की ओर से दिये गये वक्तव्यों से कर्मचारी पक्ष को सन्तोष नहीं हुआ और वे अपने विभिन्न संगठनों में पुनः इस विषय को उठाना चाहते थे। तदनुसार बैठक स्थगित कर दी गई।

(ख) वे तीन मामले जिन पर कर्मचारी पक्ष की सरकारी पक्ष के दृष्टि कोण के बारे में सन्तोष नहीं था :—

(i) सरकार का अकुशलता अथवा भ्रष्टाचार के आधार पर तीन महीने का नोटिस देकर 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तथा 25 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर किसी कर्मचारी की सेवा निवृत कराने का अधिकार ग्रहण करने का निश्चय ;

(ii) यह धारणा कि जब तक कोई जांच आयोग संयुक्त परामर्श व्यवस्था के कर्मचारी पक्ष के परामर्श से नियुक्त न किया गया हो, तब तक योजना में दी गई यह बन्दिश, कि सरकार द्वारा किस आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित मामले 5 वर्ष तक पंच निर्णय के लिये नहीं सौंपे जा सकेंगे। लागू नहीं हो सकेगी। यह प्रश्न विशेष रूप से गजेन्द्रगड़कर आयोग के प्रतिवेदन के संदर्भ में उठाया गया था जिसकी नियुक्ति संयुक्त परामर्श व्यवस्था योजना का उद्घाटन होने से पहले की जा चुकी थी ; और

(iii) आपातकालीन स्थिति में हटाये जाने पर उसके लागू होने से पहले वाले काम के घंटे लागू किया जाना।

(ग) राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने 15 सदस्यों की एक कर्णधार समिति नियुक्त की है जिससे आगे सरकार से सम्पर्क बनाये रखने के लिये परिषद के चार सदस्यों को मनोनीत किया है। इन चार सदस्यों के साथ 14 जुलाई 1967 को मंत्री मंडल सचिव तथा गृह कार्य मन्त्रालय में सचिव (सेवाएं) द्वारा एक औपचारिक बैठक की गई। चार सदस्यों के इस दल के जरिये कर्मचारी पक्ष के साथ सम्पर्क बनाए रखने का विचार है।

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए गृह विज्ञान संस्था

*1245. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औपचारिक सरकारी मंजुरी न मिलने के कारण उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिये गृह विज्ञान संस्था के निर्माण के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये 12 लाख रुपयों का उपयोग नहीं किया गया ;

(ख) क्या इस संस्था जैसी संस्थाएं भारत में कुछ एक ही हैं और उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कोई भी संस्था नहीं, और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के रुके रहने के क्या कारण हैं।

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) विशेषज्ञसमिति की सिफारिशों पर विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने गृह-विज्ञान का एक संस्थान स्थापित करने के लिए आगरा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मान लिया हैं, जिस पर 8.95 लाख रुपये का अनावर्ती व्यय तथा 1.45 लाख रुपए वार्षिक तक का आवर्ती व्यय होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने वाली सहायता निम्नलिखित शर्तों के आधार पर (लाइब्रेरी की पुस्तकों के अलावा, जिनके लिये 100 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है) स्वीकृत व्यय के 50 प्रतिशत तक सीमित है।

(1) अन्तर्ग्रस्त व्यय का बकाया विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा ; और

(2) योजना के आवर्ती अनुदान केवल चौथी आयोजना अवधि के दौरान आयोग द्वारा अदा किए जाएंगे।

इन शर्तों के मंजूर करने की पुष्टि की विश्वविद्यालय से प्रतीक्षा है। इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा कोई अनुदान अब तक नहीं दिया गया है।

बम्बई में मजदूर संघों के कार्यालयों से विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

*1246. **श्री जार्ज फरडेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :

क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के सप्ताहों में बम्बई में मजदूर संघ के कुछ कार्यालयों पर छापे मारे गए थे तथा वहां से बहुत सी विदेशी मुद्रा पकड़ी गई थी :

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री श्री यशवन्त राव चव्हान) : (क) एक अपराधिक मामले के सम्बन्ध में बम्बई पुलिस द्वारा 31 मई 1967 को स्टील मजदूर सभा के कार्यालय की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कोई विदेशी मुद्रा बरामद नहीं हुई।

(ख) तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गए हैं।

(ग) मामले की जांच चल रही है।

चौथी योजना की क्रियान्वित के लिये भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी

***1247. श्री लीलाधर कटकी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा में कितने स्थान रिक्त स्थान हैं तथा चौथी पंचवर्षीय योजन को क्रियान्वित करने के लिये भारतीय प्रशासन सेवा के लिये कितने और पद बनाने होंगे ;

(ख) क्या इन रिक्त स्थानों को विशेष भर्ती द्वारा भरने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति का कोटा बढ़ाने के उपायों पर विचार किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस समय चौथी पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वियन से सम्बन्धित अतिरिक्त पदों को मिलाकर विभिन्न राज्यों के भारतीय प्रशासन सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के लिये 301 पद हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) 2365 की संवर्ग संख्या में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले 301 की वर्तमान कमी को वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है।

सेवा के अखिल भारतीय स्वरूप तथा गुणात्मक स्तर को बनाये रखने की दृष्टि से पदोन्नति का कोटा बढ़ाना उचित नहीं समझा गया है।

मिनिकाया द्वीप समूह में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

***1248. श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि 14 अगस्त, 1966 को भारत के स्वतन्त्रता दिवस के पहले दिन मिनिकोय द्वीपसमूह में एक नाविक ने भारत के राष्ट्र-ध्वज पर थूक दिया था;

(ख) उस नाविक का नाम तथा राष्ट्रीयता क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना नहीं आई।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मिजो पहाड़ियों का अलग राज्य बनाने की मांग

***1249. श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1967 के अन्तिम सप्ताह में मिजों पहाड़ियां जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी सदस्य के नेतृत्व मिजों यूनियन के एक प्रतिनिधि मण्डल ने उनसे बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिनिधि मण्डल ने मिजो पहाड़ियों के पृथक राज्य की अपनी मांग को दोहराया था ;

(ग) क्या प्रतिनिधि मण्डल ने संघीय ढांचे के रूप में आसाम के पुनर्गठन का भी विरोध किया था ; और

(घ) यदि हां, तो इन समस्याओं को शीघ्र हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) मिजो पहाड़ियां जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य और मिजो नेशनल यूनियन के प्रधान अनौपचारिक विचार विमर्श के लिए 6 जुलाई 1967 को गृह मन्त्री से मिले थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्रोही मिजों लोगों द्वारा 30 जून, 1967 को किया गया आक्रमण

***1250. श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जून, 1967 को मिजो पहाड़ियों के विभिन्न भागों में विद्रोही मिजो लोगों और सीमा सुरक्षा दल के बीच मुठ भेड़ हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्ति मारे गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना मिली है कि 30 जून 1967 को मिजो विद्रोहियों और सुरक्षा दलों के बीच मिजो पहाड़ियां जिले में एक मुठभेड़ हुई थी। उस दिन सौलेंग गांव में मिजो विद्रोहियों की उपस्थिति की सूचना प्राप्त होने पर सुरक्षा दल के कर्मचारी गांव की ओर झपट पड़े। जब सुरक्षा दल की गश्ती टुकड़ी गांव के पास पहुंच रही थी तब विद्रोहियों ने गोली बरसानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से चलने वाली गोली बारी के दौरान हमारे मार्ग दर्शकों में से एक मारा गया और दूसरा आहत हुए। विद्रोहियों में से दो मारे गये, तीन आहत हुए। विद्रोहियों में से दो मारे गए, तीन आहत हुए और तीन पकड़े गए।

आसाम पाकिस्तान सीमा पर सक्रिय पाकिस्तानी जासूस गिरोह

***1251. श्री मंरडी** : **श्री वेदव्रत बरुआ** :
श्री हेम राज : **श्री न० कु० सांघी** :
श्री यशपाल सिंह : **श्री य० प्र० प्रसाद** :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कछार जिले में एक पाकिस्तानी जासूस से पकड़े गये कागजातों से इस बात का पता लगा है कि आसाम में पाकिस्तानी सीमा पर पाकिस्तानी जासूसों का गिरोह सक्रिय है ;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सीमा सुरक्षा दल की तैनाती के बारे में जानकारी पाकिस्तान को दी गई थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 5–5–67 को एक भारतीय नागरिक सदेहास्पद परिस्थितियों में गिरफ्तार किया गया था। अब तक की गई जांचों से आसाम-पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय जासूसों के किसी गिरोह का पता नहीं चला।

(ख) देश में और विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में जासूसों की गतिविधियों का सामना करने के लिये पर्याप्त व्यवस्था है।

(ग) मामले की अभी तक जांच की जा रही है।

तीन भाषा फार्मूला

***1252. श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री स्वैल :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों ने तीन-भाषा फार्मूला लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा यह कार्यवाही किस प्रकार की गई है; और

(ख) पिछली माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं के परीक्षाफल घोषित करते समय अंग्रेजी को ऐच्छिक विषय बनाने के बारे में बिहार सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री त्रिगुण सेन) : (क) 1961 में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत किया गया त्रि-भाषा सूत्र इस प्रकार है :–

1. मातृ भाषा/प्रादेशिक भाषा
2. हिन्दी (उनके लिए जिनकी मातृ भाषा हिन्दी हैं, कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा). और
3. अंग्रेजी अथवा कोई दूसरी भाषा।

मद्रास को छोड़कर सभी राज्यों ने सिद्धान्त रूप में यह फार्मूला स्वीकार कर लिया है। मद्रास में फार्मूला निम्न प्रकार हैं :–

1. मातृ भाषा/प्रादेषिक भाषा।
2. अंग्रेजी अथवा कोई अन्य विदेशी भाषा।या
3. हिन्दी अथवा कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा।

(1) के अन्तर्गत ली गई भाषा और उसका साहित्य (उच्च स्तर) अहिन्दी भाषी राज्यों में अधिकांश छात्र व्यवहारिक रूप में हिन्दी अंग्रेजी तथा संस्कृति पढ़ते हैं और सूत्र द्वारा अपेक्षित एक आधुनिक भारतीय भाषा नहीं पढ़ते हैं।

(ख) यह मान्यता भारत सरकार के विचाराधीन है।

चण्डीगढ़ तथा भाखड़ा नांगल परियोजना के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री द्वारा मध्यस्थता

***1253. श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**

श्री गु० सं० ढिल्लों : **श्री सूर्य प्रकाश पुरी :**

श्री जार्ज फरनेन्डीज :	**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री श्रीधरन :	**श्री आत्म दास :**
श्री मधु लिमये .	**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री स० मो० बनर्जी :	**श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री महन्त दिग्विजयनाथ :	**श्री यशपाल सिंह :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :	**श्री सं० चं० सामन्त :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्डीगढ़ तथा माखड़ानंगल परियोजना के बारे में उनके द्वारा मध्यस्थ निर्णय के सम्बन्ध में संत फते सिंह ने हाल में उनसे मुलाकात की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस मुलाकात का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) 3 जुलाई, 1967 को सन्त फते सिंह के साथ विचार विमर्श के दौरान प्रधान मन्त्री ने उनके सामने वे कठिनाइयां स्पष्ट करदी जो मध्यस्थ निर्णय के बारे में कार्यवाही के रास्ते में उठ खड़ी हुई थी और उन्हें बता दिया कि मध्यस्थ निर्णय के सुझाव पर तभी आगे कार्यवाही हो सकती थी जब दोनों पक्षों के बीच समझौते की सम्भावना हो और यह कि वे दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच मतभेदों को निपटाने के लिये मेरे उनके साथ प्रस्तावित विचार विमर्श के परिणाम की प्रतीक्षा करेंगी।

आसाम नागालैंड सीमा विवाद

*1254. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड सरकार के साथ हाल में एक करार किया गया है, जिसमें आसाम और नागालैंड राज्यों के बीच के सीमा विवाद का स्थायी हल निकाला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग) इस विषय पर हाल ही में आसाम और नागालैंड की सरकारों के बीच सरकारी स्तर पर विचार विमर्श किया गया था, किन्तु कोई स्थायी समाधान नहीं मिल सका।

Pakistanis Residing in India Under Doubtful Nationality

*1255 **Shri P. N. Solanki** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state;

(a) the number of persons from Pakistan presently residing in India under the pretext of doubtful nationality ;

(b) whether such persons hold any passports ;

(c) if so, of which country; and

(d) the measures being adopted to send out such persons ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (d) : According to the latest information available, the number of such persons is about 1,000. They came to India before the introduction in October, 1952, of the Passport and Visa System for travel between India and Pakistan and have not obtained passports of any country. Since they are not in possession of travel documents of any country, they cannot be sent out of India.

नोभरक प्रणाली की समाप्ति

***1256. श्री जे० एच० पटेल :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नौभरक प्रणाली को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या गोदी कर्मचारी संघों ने नौभरक प्रणाली समाप्त करने के बारे में कोई अभ्यावेदन दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सबन्ध में कब निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) यथा-पूर्व स्थिति रखने का निर्णय किया गया है ।

पूर्वी-पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य

***1257. श्री नम्बियार :**
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री चक्रपाणि :
श्री गणेश घोष :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व गृह-कार्य मन्त्री ने 1956 में लोक सभा में यह बयान दिया था कि त्रिपुरा में असंख्य विस्थापित व्यक्तियों का सामूहिक आगमन पहले ही अधिकतम बिन्दु तक पहुंच चुका था;

(ख) क्या उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि वहां और विस्थापित व्यक्तियों को नहीं बसाया जायेगा और यदि कोई विस्थापित व्यक्ति उसके बाद त्रिपुरा में आ भी गया तो उसे त्रिपुरा से बाहर कहीं और बसाया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के सामूहिक आगमन की अनुमति हो जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० न० मिश्र) (क) और (ख) : 12 सितम्बर, 1956 को भूतपूर्व गृह-कार्य तथा भारी उद्योग मन्त्री ने जो बयान दिया था, उसमें 1954, 1955 और 1956 के प्रवाह के आकड़े देने के उपरान्त उन्होंने यह देखा कि

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का आगमन अधिकतम बिन्दु तक पहुँच चुका है और कोई यह नहीं कह सकता कि आया कि शरणार्थियों को असुविधा, कष्ट तथा अनिवार्य अशक्तता तथा बाधा दिये बिना त्रिपुरा में बसाया जा सकता है। उन्होंने जाली प्रव्रजन कार्डों से दाखिल होने वाले व्यक्तियों को रोकने के सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयत्नों का भी उल्लेख किया था।

(ग) एक विवरण, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के प्रव्रजन के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति स्पष्ट की गई है तथा त्रिपुरा में शिविरों में रह रहे परिवारों को बसाने का व्यौरा दिया गया है। सभा की मेज पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1257/67]** 1964 में आरम्भ हुये नये प्रव्रजन के बारे में भारत सरकार की सामान्य नीति यही है कि स्थायी दायित्व के प्रव्रजनों के अलावा शिविरों में प्रविष्ट किये गये सभी प्रव्रजनों को पुनर्वास के लिये अन्य राज्यों में भेजा जायेगा।

संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में वित्त निगम

***1258. श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालयों द्वारा धन दिये जाने तथा सेवाओं का नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में विधान सभाओं वाले संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों के मार्गदर्शन के लिये केन्द्रीय सरकार ने सेवा अथवा वित्त सम्बन्धी कोई सामान्य नियम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयोजनों के लिये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसे कोई नियम बनाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनकी प्रतियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) : विधान सभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों पर निम्नलिखित नियमावलियों द्वारा वेतन-क्रमों के बारे में कुछ अपवादों को छोड़ कर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों का नियंत्रण करने वाले नियमों को लागू किया गया है :—

(i) संघ राज्य क्षेत्र कर्मचारियों की सेवा की शर्तें नियमावली, 1959 (हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के लिये),

(ii) गोआ, दमन और दिव प्रशासन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियमावली, 1966 और

(iii) पांडीचेरी भूतपूर्व फ्रांसीसी सरकार के कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियमावली 1966

श्रेणी II, III और सेवाओं के लिये स्थायित्व, परिवीक्षा, पदोन्नति और वरिष्ठता के बारे में नियम बनाने के अधिकार प्रशासकों को प्रत्यायोषित कर दिये गये हैं और प्रशासकों ने इन अधिकारों का उपयोग करते हुए नियम बनाये हैं।

इन संघ राज्य क्षेत्रों पर केन्द्रीय सरकार के नियम भी लागू होते हैं।

(ग) सेवा अथवा वित्त-नियम या तो भारत के राज पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं और या राजकीय प्रकाशनों में उपलब्ध होते हैं। अतः उन्हें लोक सभा के पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा गया।

आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

1259. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आसाम के मुख्य मंत्री ने कुछ समय पहले राज्य विधान सभा को बताया था कि आसाम में पाकिस्तानियों की घुसपैठ एक वास्तविक समस्या है;

(ख) क्या यह सच है कि हजारों पाकिस्तानी लोग प्रति दिन आसाम के राज्य क्षेत्र में अवैध रूप से घुस आये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार ने इस समस्या के बारे में आसाम सरकार को कोई पत्र लिखा।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। जनवरी से जून 1967 तक के 6 महीनों के दौरान आसाम में घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी राष्ट्रकों की संख्या 516 थी।

(ग) पाकिस्तानी घुसपैठियों का पता लगाने और उनके निष्कासन तथा आगे और घुसपैठ को रोकने के लिये उपयुक्त व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था में मोटेतौर पर सीमा चौकियों को सशक्त करना और उनकी संख्या बढ़ाना, सीमा पर जबर्दस्त गश्त और अतिरिक्त पुलिस तथा गुप्तवार्ता कर्मचारी नियुक्त करना शामिल है।

(घ) सरकार का इस बारे में आसाम ने लगातार सम्पर्क बना हुआ है ?

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता

***1260. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता का राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकास करने के बारे में सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो किस ढंग से तथा इसको ऐसा विकास कितने समय में कर देने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इसके ब्रिटिश ढांचे को भारतीय ढांचे में परिवर्तित किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता को पूर्वी प्रदेश में राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में पहले ही मान्यता मिल चुकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय संग्रहालय के किसी ब्रिटिश स्वरूप के बारे में हमें पता नहीं है।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले

5995. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में प्रत्येक उच्च न्यायालय में 31 मार्च, 1967 को अनिर्णीत मामलों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या सरकार का विचार इन मामलों के निपटारे के लिये अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने का है और यदि हां, तो कब; और

(ग) उपरोक्त उच्च-न्यायालयों में इन मामलों को निपटाने के लिये कितने अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की आवश्यकता होगी ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में भारतीय प्रशासनिक सेवा पदालि का प्रतिनियुक्ति का कोटा

5996. **श्री नरेश सिंह महीडा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य से केन्द्रीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा पदालि के प्रतिनियुक्ति कोटे में इस समय कितने स्थान रिक्त हैं; और

(ख) उन रिक्त स्थानों को न भरने के क्या कारण हैं और इस कोटे को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस समय सात स्थान रिक्त हैं। उन दो अधिकारियों की नियुक्ति हो जाने पर संख्या घट कर पांच रह जाएगी जिन्हें केन्द्र के प्रतिनियुक्ति के लिए चुन लिया गया है। राज्य सरकार अपनी पदावली में यथोचित वरिष्ठता वाले अधिकारियों की कमी के कारण पर्याप्त संख्या में उनकी सेवाएं केन्द्र के लिए उपलब्ध करने में कठिनाई महसूस कर रही है किन्तु कुछ और अधिकारियों को सेवाएं देने के लिए अभी हाल ही में कहा गया है और उनके लिए नियुक्तियों की व्यवस्था के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

गुजरात में चलते फिरते डाक घर

5997. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में इस समय चलते फिरते डाकघर कितने हैं;

(ख) क्या सरकार का उस राज्य में 1967-68 में ऐसे और डाकघर चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य तथा संचार राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) एक ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुजरात में अन्तर्देशीय पत्रों की कमी

5998. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या संचार-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात से किन-किन जिलों में गत एक वर्ष से अन्तर्देशीय पत्रों की कमी है तथा क्या केरा जिला भी उसमें से एक है; और

(ख) इस कमी के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) : पिछले एक वर्ष के दौरान गुजरात राज्य के केरा, सूरत, भुज, जामनगर. बड़ौदा, भावनगर, राजकोट तथा अहमदाबाद जिलों के कुछ डाकघरों में अन्तर्देशीय पत्रों की कभी कभी कुछ कमी हो गई थी ।

(ख) मुद्रण क्षमता की कमी के कारण टिकट नियंत्रक द्वारा की गई अपर्याप्त सप्लाई ।

गुजरात राज्य में किराये की इमारतों में डाकघर

5999. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय कितने डाकघर हैं;

(ख) ऐसे कितने डाकघर गैर-सरकारी किराये की इमारतों में चल रहे हैं; और

(ग) इन डाकघरों की इमारतों का प्रति वर्ष कितना किराया दिया जाता है ?

संसद-कार्य तथा संचार राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) 5,647

(ख) 780

(ग) 9, 31,520 रुपये 82 पैसे ।

संसद् सदस्यों को दिये जाने वाले प्रकाशन तथा स्टेनोग्राफरों की व्यवस्था

6000. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री गा० श० मिश्र :

क्या संसद-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी लोक सभा के गठन से अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् सदस्यों को कितने प्रकाशन दिये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक संसद् सदस्य को, उसके पत्राचार तथा फाइलों आदि की देख रेख के लिए, एक निजी सहायक–स्टेनोग्राफर देने का है, ताकि संसद सदस्यों को उक्त प्रकाशनों के अध्ययन करने का समय मिल सके; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार प्रत्येक संसद् सदस्य से यह जानकारी प्राप्त करना चाहती है कि वह किन विषयों में रुचि रखते हैं, और उन्हें केवल उन्हीं विषयों के प्रकाशन दिये जायेंगे ?

संसद-कार्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और सुविधायें संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा संचालित होते हैं ।

(ग) सदस्यों को सरकारी प्रकाशन सामान्यत: प्रकाशन काउंटर से दिये जाते हैं और यह सदस्यों की इच्छा पर है कि वे केवल वही प्रकाशन लें जिनमें उनकी रुचि हो ।

Supersession By Juniors

6001. Shri Ram Charan: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state

(a) the number of such Upper Division Clerks and Assistants in various Ministries of Government of India who have been superseded by junior persons because of adverse reports last tenyears (upto 30th June, 1967);

(b) the number of persons among them, who were promoted later on after their annual report became favourable or the adverse remarks were expunged;

(c) whether these persons have been offered the same seniority which they possessed be fore their reports were spilt; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

आई० पी० ओ० तथा आई० पी० ओ० (सी) का मानक

6002. श्री द० रा० परमार : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक तथा तार निदेशालय के निरीक्षण संगठन आई० पी० ओ० तथा आई० पी० ओ० (सी) के लिये निर्धारित किये गये मानकों का व्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उनको लागू किया गया है और यदि हां, तो कब से ?

संसद-कार्य तथा संचार राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) डाक तार महा निदेशालय के निरीक्षण संगठन ने आई० पी० ओ० तथा आई० पी० ओ० (सी) के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किये हैं । एक अध्ययन-दल, जिसे इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, मौजूदा मामलों में संशोधन करने की जांच कर रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यपालों के वेतन

6003. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य मन्त्री राज्यपालों की संख्या, उनके नाम, उनके वेतन और अन्य भत्ते बताने की कृपा करेंगे ?

गृह मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1098/67]

Hindi Teachers Training Colleges in Non Hindi States

6004. Shri Rama Chandra Veerappa : Will the Minister of Education be pleased to state the number of Hindi Teachers' Training Colleges in non-Hindi speaking States separately functioning at present ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): The number of Hindi Teachers Training Colleges set up in non-Hindi Speaking States with 100% Central assistance by the end of Third Five Year Plan and which are functioning at present, is as follows:

Andhra Pradesh	2	
Gujarat	1	
Kerala	1	
Madras	1	
Mysore	3	
Orissa	1	
West Bengal	1	
Assam	1	(likely to function from this year).

Besides, five Hindi Teachers' Training Centres have been set up in Maharashtra which are attached to Basic Training Colleges. An additional Teachers Training College has also been sanctioned for Kerala which is expected to start functioning from this year.

वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के अधीन पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुओं की खुदाई

6005. श्री रणजीत सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने पुरातत्व सम्बन्धी कुछ वस्तुओं की खुदाई के लिये संस्कृत विद्यालय, वाराणसी को अपने कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है;

(ग) इन खुदाइयों पर आज तक कुल कितना धन खर्च हुआ है;

(घ) क्या अब तक किये गये खुदाई कार्य के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ड) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) (क) और (ख) : जी हां । श्री आर० वी० नारायण तकनीकी सहायक को, (जिनका पहले पद नाम गवेषणा सहायक था) विदेश सेवा शर्तों पर, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में खुदाई निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था । उनके निर्देशन में विश्वविद्यालय में 1964-65 और 1965-60 के दौरान जिला गाजीपुर में मसावं में खुदाई कराई थी ।

(ग) खुदाई पर हुआ खर्च विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था । इसलिए, इस कार्य पर हुए खर्च की जानकारी नहीं है । किन्तु इस कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा 1964-65 के दौरान 2500 रुपये का सहायक अनुदान दिया गया था ।

(घ) जी हां । खुदाई के दौरान, भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के एक निदेशक ने भी कार्य का निरीक्षण किया था । कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट क्रमशः 1964-65 और 1965-66 के 'इन्डियन आर्कियोलोजी: ए रिव्यू' में प्रकाशित की जा रही है ।

(ङ) खुदाई द्वारा पूर्व-उत्तरी काली पालिश के बर्तन क्षितिज (लगभग 800 ईसा पूर्व) से उत्तरी काली पालिश वाले बर्तन, सुंग और कुषाण स्तरों को लेकर गुप्त काल तक (लगभग 500 ईसवी) के चार सांस्कृतिक कालों की व्यावसायिक परम्परा का पता चला था ।

Problem of Naga and Mizo Rebles

6006. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the basic difference between Naga rebelllon and Mizo rebellion which has induced Government to start negotiations with the Naga Hostiles while they are not prepared to nagotiate with Mizo Rebels ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : The Government do not consider that any comparison of two distinct political problems of two different groups. each with a separats historical background and arising at different times could provide a rational basis for formulating their policies. The attitude of the Government in regard to each of these two matters has been stated in the House from time to time,

सीमा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति पर राज्यों की बटालियनें

6007. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री दे० अमात :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति पर विभिन्न राज्यों की सैनिक पुलिस की बटालियनें भेजने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) उनको कितने समय तक अग्रिम क्षेत्रों में रखा जाता है;

(ग) क्या उनको छुट्टी के बारे में कोई विशेष सुविधा दी जाती है और यदि हां, तो क्या; और

(घ) उनको क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जब और जैसे आवश्यकता पड़ती है, तथा आरक्षितों की उपलब्धि के अनुसार देश के सीमावर्ती तथा अन्य क्षेत्रों में राज्यों की सशस्त्र पुलिस की बटालियनें प्रतिनियुक्ति की जाती हैं।

(ख) साधारणतः तीन वर्ष की अवधि के लिए।

(ग) ऐसी बटालियनों के लोग राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार छुट्टी प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

(घ) उनको प्राप्त लाभों में प्रतिनियुक्ति भत्ता, मुफ्त राशन, वर्ष में एक बार मुफ्त रेलवे यात्रा तथा मुफ्त चिकित्सा शामिल हैं।

उड़ीसा की सैनिक पुलिस बटालियन

6008. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री दे० अमात :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सैनिक पुलिस की पहली बटालियन 1962 में प्रतिनियुक्ति पर छः महीने के लिये आसाम भेजी गई थी;

(ख) क्या उस बटालियन की आसाम में ठहरने की अवधि छः महीने और बढ़ कर एक वर्ष कर दी गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस अवधि में आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और महाराष्ट्र से भी बटालियनें प्रतिनियुक्ति पर भेजी गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा सैनिक पुलिस की पहली बटालियन को वापिस न भेजने के क्या कारण हैं जबकि अन्य राज्यों की बटालियनें वापिस भेज दी गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) उड़ीसा सैनिक पुलिस की पहली बटालियन 1962 से प्रतिनियुक्ति पर रही है।

(ग) जी हां।

(घ) उड़ीसा सैनिक पुलिस की पहली बटालियन के साथ आन्ध्र, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से प्रतिनियुक्ति बटालियनों में से किसी को भी वापस नहीं भेजा गया। उनकी प्रतिनियुक्ति को उन्हें सौंपे गये कर्तव्यों की विशेष प्रवृति के कारण जारी रखना पड़ा।

प्रतिनियुक्ति पर राज्यों से सीमा क्षेत्रों में भेजी गई बटालियनें

6009. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा राज्यों से सीमा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त बटालियनों को उनका वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता और राशन समय पर नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या इसकी ओर सरकार का ध्यान पहले भी दिलाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई कि राज्य पुलिस की सशस्त्र बटालियनों के सम्बन्धित राज्यों से बाहर प्रतिनियुक्त किये जाने पर उनके कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान अथवा राशन की सप्लाई में विलम्ब होता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्योर ड्रिंक्स (एन० डी०) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली

6010. श्री राम सिंह अग्रवाल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्योर ड्रिंक्स (एन० डी०) प्राइवेट लिमिटेड (कोका कोला) नई दिल्ली में दयनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस फैक्टरी के निम्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए कैंटीन, विश्राम गृह, तथा अन्या सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है, जो फेक्टरी अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को मिलनी चाहिए;

(ग) क्या यह सच है कि सुविधा देने के मामले में उच्च श्रेणी के कर्मचारियों की अपेक्षा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भेद-भाव किया जाता है;

(घ) क्या कर्मचारियों की ओर से उनकी मांगों के सम्बन्ध में उनको कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ग) न तो भारत सरकार को और न ही दिल्ली प्रशासन को, जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रशासन के लिए जिम्मेवार है, इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ।

(ख) विश्राम गृह और अन्य कल्याण सुविधाओं जैसे कि शौचालय, पेशाबघर, पेय जल, कपड़े धोने की सुविधाओं आदि की व्यवस्था की गई है । कैंटीन की व्यवस्था नहीं की गई है । यदि श्रमिकों की संख्या 250 या उससे अधिक हो तो कारखाना अधिनियम के अनुसार कैंटीन खोलना पड़ता है । सूचना मिली है कि इस कारखाने में एक ही समय 150 से अधिक व्यक्ति काम नहीं करते ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति का आधार

6011. श्री राम सिंह अग्रवाल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के लिये पदोन्नतियां वरिष्ठता के आधार पर नहीं की जाती हैं, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के अन्य वर्गों के मामले में किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) श्रेणी III में अन्तःवर्ती तथा श्रेणी II और I में अन्तःवर्ती तथा निम्न श्रेणियों से पदोन्नतियां या तो चयन अर्थात् वरिष्ठता का यथोचित ध्यान रखते हुए अधिकारियों की कुशलता के आधार पर की जाती है अथवा प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर या विभागीय प्रतियोगिता की परीक्षाओं के आधार पर की जाती है। रेलवे तथा डाक व तार विभाग को छोड़कर सामान्यतः श्रेणी IV के कर्मचारियों के श्रेणी III में पदोन्नति की कोई व्यवस्था नहीं है। रेलवे डाक तथा तार विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की श्रेणी III के पदों में पदोन्नति परीक्षा के आधार पर की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रेणी IV और III के कर्त्तव्यों की प्रकृति एक दूसरे से बिलकुल भिन्न है और श्रेणी IV में प्राप्त किया गया अनुभव इस तरह का नहीं है जो श्रेणी III के पदों के कर्त्तव्य निष्पादन के लिए उपयोगी अथवा लाभप्रद हो सके और इसीलिए श्रेणी IV के कर्मचारियों में से श्रेणी III के लिये चयन का आधार श्रेणी IV के कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्ण निष्पादन नहीं हो सकता। इस चयन का आधार तो केवल लिखित परीक्षा द्वारा निर्धारित की जाने वाली श्रेणी IV के कर्मचारियों की मानसिक तथा शैक्षणिक योग्यताएं ही हो सकती हैं। इन बातों का विचार करते हुए श्रेणी IV के कर्मचारियों को श्रेणी III के पदों में परीक्षा के आधार पर नियुक्त किया जाता है न कि वरिष्ठता और योग्यता के। अतः चयन के वर्तमान तरीके को बदलने का विचार नहीं है।

मैट्रिक से कम शिक्षित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति

6012. श्री राम सिंह अग्रवाल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं और अब भी चतुर्थ श्रेणी के ही कर्मचारी हैं;

(ख) क्या चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों को, जो पन्द्रह वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके हैं और मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त हैं, डायरी क्लर्क आदि के तृतीय श्रेणी के पदों पर पदोन्नत करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्ताव का व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग) महालेखा नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक ने भारतीय लेखा नियंत्रक तथा लेखा-परीक्षण विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक वर्ग के पदों में से 10% को ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (मैट्रिक से कम शिक्षा वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिला कर) में से परीक्षा द्वारा भरने के लिये एक योजना बनाई है जिनकी सेवा 15 वर्ष की हो चुकी है। यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

अहमदाबाद के लिए ट्रंक काल में अनियमितता तथा उनका बीच में टूटना

6013. श्री रा० की० अमीन :
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966–67 में गुजरात राज्य के विभिन्न भागों में अहमदाबाद को की गई ट्रंक कालों में कई बार अनियमितता पाई गई है तथा वह बीच में टूट गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ग) अहमदाबाद की ट्रंक काल सेवा को ठीक करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क), (ख) तथा (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही हैं और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

शिक्षा मंत्रालय में नि:संवर्ग पद

6014. श्री राम चरण : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (31 मार्च, 1967 तक) उनके मंत्रालय तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों के कुल कितने नि:संवर्ग पद मंजूर किये गये तया उन पर नियुक्तियां की गई;

(ख) ऐसे नि:संवर्ग पदों में से कुल कितने पदों पर नियुक्तियां सीधी भर्ती के द्वारा और रोजगार दिलाऊ कार्यालयों के माध्यम से की गई;

(ग) ऐसे नि:संवर्ग पदों में से कितने पदों पर नियुक्तियां अधिकारियों को प्रति-नियुक्ति पर लेकर की गई;

(घ) ऐसे नि:संवर्ग पदों में से कितने पदों पर नियुक्तियां वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति करके की गई; और

(ङ) ऐसे नि:संवर्ग पदों में से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को नियुक्त किया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संचार मंत्रालय में निःसंवर्ग पद

6015. श्री राम चरण : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (31 मार्च, 1967 तक) उनके मंत्रालय तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों के कुल कितने निःसंवर्ग पद मंजूर किए गए तथा उन पर नियुक्तियां की गई;

(ख) ऐसे निःसंवर्ग पदों में से कुल कितने पदों पर नियुक्तियां सीधी भरती के द्वारा और रोजगार दिलाऊ कार्यालयों के माध्यम से की गई;

(ग) ऐसे निःसंवर्ग पदों में से कितने पदों पर नियुक्तियां अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर लेकर की गई;

(घ) ऐसे निःसंवर्ग पदों में से कितने पदों पर नियुक्तियां वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति करके की गई; और

(ङ) ऐसे निःसंवर्ग पदों में से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को नियुक्त किया गया ?

संसद्-कार्य तथा संचार राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभा के पटल पर रख दी जायगी।

प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के निःसंवर्ग पद

6016. श्री राम चरण : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (31 मार्च, 1967 तक) उनके मंत्रालय, उससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कितने निःसंवर्ग पद मंजूर किये गये तथा कितने पदों पर नियुक्तियां की गई;

(ख) कुल कितने निःसंवर्ग पदों पर सीधी भर्ती द्वारा तथा रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से नियुक्तियां की गई;

(ग) इनमें से कुल कितने निःसंवर्ग पद अन्य विभागों में से अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके भरे गये;

(घ) वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति के माध्यम से कुल कितने निःसंवर्ग पदों पर नियुक्तियां की गई; और

(ङ) इन पदों में से कुल कितने पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति नियुक्त किये गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

स्मृति में डाक टिकटें

6017. श्री शिंकरे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ के दो प्रसिद्ध व्यक्तियों अर्थात् स्वर्गीय फ्रान्सिसको लूई गोमेज तथा सताड़ी के स्वर्गीय दादा राने की याद में डाक टिकटें जारी करने की किसी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भारत के इन प्रसिद्ध सपूतों की याद में स्मारक टिकटें जारी करने की वांछनीयता को जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त करने का है ?

संसद-कार्य तथा संचार राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) पहले ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं किये गए।

(ख) ये प्रस्ताव डाक-टिकट संकलन सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ उसकी आगामी बैठक में रखे जाएंगे।

Scholarships Awarded to Students of Madhya Pradesh

6018. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of studen's belonging to Madhya Pradesh who were awarded oreign scholarships and who were sent abroad during 1965-66 and 1966-67;

(b) the number of applications received thereof; and

(c) the number out of them who were selected ?

The Minister of State in the Ministrv of Education (Shri Sher Singh) :

(a)

Year	Selected	Sent abroad
1965-66	18	16
1966-67	16	14

(b) The number of applications received from the whole country was :—

1965-66	11,806
1966-67	13,102

(c) The number selected from the whole country was :—

1965-66	485
1966-67	440

Grants to Voluntary Organisation Engaged in the Propagation of Hindi in Madhya Pradesh

6019. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of voluntary organisations of Madhya Pradesh which were given grants during 1966-67 for the development of Hindi; and

(b) the amount sanctioned to each organisation for the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) In Madhya Pradesh only the Madhya Pradesh Rashtrabhasha Prachar Samiti, Bhopal was given a grant of Rs. 20,000/- during 1966-67.

Telephone Connections in Panchayat Samiti Offices in M. P. and Gujarat

6020. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) the number of telephone connections given to the Panchayat Samiti Offices upto the 30th April, 1967 in Madhya Pradesh and Gujarat; and

(b) the number of telephone connections proposed to be given to these offices in the said States during 1967-68 ?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The number of telephone connections given to the Panchayat Samities offices up to 30th April, 1967 in Madhya Pradesh and Gujarat was as under :—

	Madhya Pradesh	14
	Gujarat	299
	Total :—	313
(b)	Madhya Pradesh	4
	Gujarat	36
	Total :—	40

Grants to Voluntary Associations for Development of Sanskrit

6021. G. C. Dixit : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the amount of Central aid given to the voluntary association in Madhya Pradesh in 1966-67 for the development of Sanskrit; and

(b) the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) Satsang Samiti Rishikunj Ashram, Rewa was sanctioned a grant of Rs. 2000/- for books.

ऋण-छात्रवृत्ति योजना

6022. श्री म० ला० सौंधी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कला, विज्ञान, वाणिज्य, इन्जीनियरी, चिकित्सा, विधि तथा शिक्षा के क्षेत्रों में मैट्रिक के बाद के स्तर से लेकर पी० एच० डी० स्तर तक पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रम पढ़ने के लिये विद्यार्थियों को 18,000 ऋण-छात्रवृत्तियां देने की योजना बनाई गई है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त छात्र-वृत्तियां 720 रुपये से लेकर 1,750 रुपये तक प्रतिवर्ष की दर पर ऋण के रूप में दी जायेगी; और

(ग) विभिन्न विषयों के लिये कितनी छात्रवृत्तियां दी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां । शिक्षा मंत्रालय 1963–64 से एक राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना को क्रियान्वित करती रही है । प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियों की संख्या निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है । 1967–68 के दौरान 14,825 छात्रवृत्तियां देने का विचार है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विशिष्ट विषयों के लिये छात्रवृत्तियां निर्धारित नहीं हैं और चुने हुए छात्र किसी भी विश्वविद्यालय या भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त समान संस्थान में किसी भी नियमित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का अनुसरण कर सकते हैं ।

डाक निरीक्षक

6023. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 1965 में हुई परीक्षा में (जिसका परिणाम जून 1965 में घोषित किया गया था) दिल्ली सर्किल में डाक निरीक्षकों के रूप में जिन उम्मीदवारों का चयन किया गया था उन्हें नियुक्त न करने के क्या कारण हैं तथा उसी वर्ष समान संवर्ग के लिये परीक्षा करने के क्या कारण थे जबकि पहले चुने गये सभी उम्मीदवारों को खपाया नहीं गया था;

(ख) क्या उन उम्मीदवारों की तालिका बनाने का विचार है जिन्होंने जून, 1965 की परीक्षा पास कर ली थी परन्तु जिनका चयन नहीं किया गया था; और

(ग) सरकार ने उन उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या उपचारी कार्यवाही की है जिनकी आयु सीमा दिल्ली सर्किल में होने वाली उपरोक्त संवर्ग की आगामी परीक्षा तक अधिक हो सकती है ?

संसद-कार्य तथा संचार राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) वास्तविक रिक्त-स्थानों की संख्या उतनी नहीं थी, जैसा कि पूर्वानुमान था । चूंकि अपेक्षाकृत अधिक रिक्त-स्थानों की प्रत्याशा थी, अतः दूसरी परीक्षा ली गई ।

(ख) जी नहीं । उन चुने हुए उम्मीदवारों के नाम की, जिन्हें अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया है, एक सूची मौजूद है ।

(ग) इस वर्ष के समाप्त होने के पहले एक परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है । ऐसे व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए आयु सीमा में उपयुक्त रियायत दी जाएगी ।

Cochin Port Workers

6024. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 593 on the 5th April, 1967 and state :

(a) whether Government have since taken any decision in regard to the demands of the Cochin Port Workers' Union; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Jaisukhlal Hathi) : (a) and (b) Presumably the reference is to the demands raised by the Cochin Dock Labour Union. The present position in respect of these demands is as under :—

Filling up of existing vacancies :

1. The Cochin Dock Labour Board had appointed a Casual Labour List Sub-Committee for finalising a list of casual workers. The Sub-Committee has since submitted its Report and it is now to be considered by the Cochin Board.

Booking of casual workers :

2. The Cochin Dock Labour Board is of view that this demand can be considered only after the list of casual workers has been finalised.

Cancellation of punishments :

3. The Cochin Dock Labour Board is of the view that all the punishments imposed were proper and no action is called for.

Recognition of Union :

4. A Sub-Committee under the chairmanship of Shri L. M. Nadkarni, Chairman, Bombay Port Trust was appointed to go into the question of recognition of Unions. As the workers' organisations have not been able to come to any agreement with regard to the criteria for recognition of the Unions, the matter is not proposed to be pursued any further.

Neolithic Settlements Traced in Darjeeling District

6025. **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 136 on the 29th March, 1967 and state :

(a) whether the State Government have sent any information regarding the newly found stone-age settlements in the terrain of Kalimpong (District Darjeeling); and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The details (as published in West Bengal, Vol. XII Saturrday 15-10-1966) are appended.

At present there is no programme to undertake any excavation here, on account of financial stringency.

Statement

"Ancient City Discovered in Darjeeling District."

What appears to be an ancient city of fortifications, walls and monuments, scattering around crumbling pony tracks lacing around high-cliffs, has now been discovered on the southern heights of the Great Rangit below Badamtam in Darjeeling district of West Bengal by the Directorate of Archaeology of West Bengal.

An exploration conducted by the Directorate has brought to light for the first time the immeasurable importance of those ruins of stone poled like huge funerary monuments with characteristic circular or oval forms enclosed within slanting uprights or vertical shafts like the megalithic architecture connected with the neolithic tradition. The massive megalithic monuments at Badamtam perched on the Southern cliffs of the Great Rangit at the confluence with the stream Rong-dong are some times more than ten feet in height and their alignment was found to be from the east to the west.

The occurence of such monuments in the Himalayan north will indeed throw a new light upon the origin and distribution of megalithis in their various forms in India more than two thousand years ago. While the South-Indian megalithis have been some-times attributed to the Dravidian-speaking people, the megalithic architectures now discovered may have their source in some other culture once prevailing in the Himalayan environments in north-eastern India in an unknown chronological horizon whose origin may go back to an age before the spread of Budhism in the terrain.

The Directorate of Archaeology of West Bengal have conducted a photographic survey of some of the ancient ruins at Badamtam.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये भर्ती के नियम

6026. श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री शारदा नन्द :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये भरती के नियमों में कुछ परिवर्तन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कुछ विशेषज्ञों की सलाह ली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा में भर्ती के नियमों 1954 में इस प्रकार संशोधन करने का विचार है जिससे भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ वेतन समय-मान में सीधे नियुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति को नियुक्त की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये 'परीक्षण' के आधार पर नियुक्त किया जायगा और उस अवधि के दौरान यदि सरकार को यह निश्चय हो जाय कि उसे वरिष्ठ समय-मान के पद के कर्तव्य निभाने के लिये आवश्यक पर्याप्त अनुभव तथा

दृष्टिकोण की परिपक्वता प्राप्त नहीं है तो किसी भी समय उसे कनिष्ट समय-मान में पदावनत किया जा सकेगा। इस प्रकार की पदावनति का अर्थ, अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियमावली 1955 के अधीन दण्डित किया जाना नहीं समझा जायगा।

(ग) जी नहीं।

Ban on Display of Obscene Literature in Delhi

6027. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to impose a ban on the display of obscene literature on foot-paths of Delhi; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Public exhibition of obscene literature is already an offence under section 292 of the Indian Penal Code.

(b) Does not arise.

Unauthorised Distilleries in Delhi

6028. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that unauthorised distilleries are being run in Delhi;

(b) whether Government have come across any evidence to the effect that such things are being done with the connivance of the Police;

(c) whether it is a fact that other immoral acts are also committed at these places;

(d) if so, whether Government propose to formulate any effective scheme to do away with such distilleries; and

(e) if so, the time, by which it will be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes. 55 cases of unauthorised distilleries were detected by the Police in the Union Territory of Delhi during the period from 1-1-1967 to 15-6-1967. The machinery of the Excise and Police Departments move into the complaints according to law as soon as they are received.

(b) No.

(c) No case of other immoral acts has been reported to the Police.

(d) and (e) The matter is under consideration.

C. B. I. Staff in Patna

6029. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the staff of the Central Bureau of Investigation in Patna is inadequate;

(b) whether its staff is proposed to be increased in view of the work-load there; and

(c) if so, whether there is any proposal to post some of the staff on the northern border ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) Some of the sanctioned posts are at present vacant. . teps are being taken to fill up the vacant posts.

(c) No Sir.

विभिन्न उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड

6030. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क गत दस वर्षों में किन-किन उद्योगों के लिये कितने मजूरी बोर्ड बनाये गये; और

(ख) क्या सरकार ने उनकी सिफारिशों को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकार कर लिया है तथा किन-किन उद्योगों के लिये सिफारिशें पूर्ण. रूप से और किन-किन उद्योगों के लिये आंशिक रूप में स्वीकार की गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क, एक विवरण जिसमें सूचना दी गई है, संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1099/67]

(ख) निम्नलिखित उद्योगों के मजूरी बोर्डों ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं :—

1. सूती कपड़ा
2. चीनी
3. सीमेंट

} प्रथम मजूरी बोर्ड

4. जूट
5. लौह और इस्पात
6. चाय बागान
7. काफी बागान

8. रबड़ बागान

9. कच्चा लोहा खान

10. चूना और डोलोमाइट खान

11. कोयला खान

कोयला खान मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट विचाराधीन है। सूती कपड़ा, रबड़ बागान तथा कच्चा लोहा, चूना और डोलोमाइट खान के मजूरी बोर्डों की रिपोर्टें कुछ संशोधनों सहित स्वीकार कर ली गई।

Action on Applications Written in National Languages

6031. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether neceesary administrative orders have been issued for taking suitable action on applications and suggestions received from public in all national languages;

(b) if so, the date of issue of such instructions and nature thereof; and

(c) whether the aforesaid order is being complied with ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Under Article 350 of the Constitution "every person shall be entitled to submit a representation for the redress of any grievance to any officer of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be." In view of this constitutional position it has not been considered necessary to issue any separate orders on the subject.

(b) Does not arise.

(c) No complaints have come to the notice of Government.

Age of Judges of High Courts and Supreme Court

6032. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of judges of High Courts and Supreme Court whose age had been questioned so far since 1947;

(b) the reasons therefor and the decision arrived at in each case; and

(c) the precaution proposed to be taken at the time of appointment of judges in future ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Supreme Court ; Nil
High Courts : 17

(b) The reasons mainly are that the dates of birth of the Judges concerned entered in documents like Village or Municipal Birth Registers, the Matriculation Examination Certificates, Service records and horoscopes did not tally with each other. The date of

birth in each case was decided on the basis of the documents which were considered more dependable. In one case the Judge concerned resigned his office before his correct age could be determined.

(c) Since July, 1957, every person appointed as a High Court Judge has to furnish a certificate of his date of birth and documentary evidence in support thereof before his appointment.

Teaching of Foreign Languages

6033. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the names of the Universities/institutions having arrangements for the teaching of languages of countries with which India has diplomatic relations; and

(b) the arrangements being made to teach the languages of the remaining countries ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) A statement is attached. **[Placed in Library, See No. L. T 1100/67]**

(b) The Education Commission has recommended that important foreign languages should be taught in all universities, selected colleges and even in a few schools. This recommendation is under the consideration of Government at present. The principal handicaps in developing the programme of teaching of foreign languages are the lack of funds and in many cases, lack of teachers.

Selection of "Miss India"

6034. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether Government propose to ban the selection of "Miss India" on account of its being detrimental to the preservation of Indian culture ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : No such proposal is under consideration.

Reorganisation of Nav-Nalanda Maha-Vihar and Huen Tsang Memorial

6035. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the decision taken on the question of re-organisation of Nav-Nalanda Maha-Vihar and Huen Tsang Memorial which was under consideration;

(b) if no action in this regard has so far been taken, the reasons therefor; and

(c) the steps Government propose to take in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No final decision has yet been taken.

(b) It has not been possible to implement the proposal because of financial stringency.

(c) The position is being reviewed constantly in consultation with the Planning Commission and the concerned Ministries so that it can be implemented as soon as finances permit.

Promotion of Sanskrit

6036. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is proposed to implement certain specific schemes this year to promote Sanskrit;

(b) whether Government are also considering the question of improving the standard of Gurukuls from the financial point of view; and

(c) if so, the time by which a decision would be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The sanctioned scheme for 'Grant of financial assistance to Gurukulas for promotion of Sanskrit' will continue to be implemented by the Government.

जीवन निर्वाह व्यय देशनांक

6037. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1966 की अवधि में अनेक स्थानों पर जीवन निर्वाह व्यय देशनांक बहुत बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा उनके देशनांक में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) इन महीनों के दौरान कुछ केन्द्रों ने औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1960–100 के आधार पर 5 अंकों से ज्यादा वृद्धि रजिस्टर की।

(ख) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1101/67**]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

6038. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मूलतः दायर किये गये तथा अपील वाले कितने मुकदमे 30 अप्रैल, 1967 को अनिर्णीत पड़े थे; और

(ख) इन मुकदमों में निर्णय करने में यदि कोई देरी हुई है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) 30 अप्रेल, 1967 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मूलतः दायर किये गये 8,923 मामले और अपील वाले 52,263 मामले अनिर्णीत पड़े थे।

(ख) देरी का मुख्य कारण अधिक मुकदमें दायर किया जाना है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

6039. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में सरकार ने अध्यापकों को कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिये;

(ख) पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक अध्यापक को कितनी राशि के पुरस्कार दिये गये ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) 98

(ख) सूची संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1102/67**]

(ग) 500/– रुपये।

जाली हुण्डियों के जालसाजों का गिरोह

6040. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने जाली हुण्डियों के जालसाजों के ऐसे गिरोह का पता लगाने के लिये अन्तर्राज्यीय खोज आरम्भ की है जिन्होंने हाल में अनाज के कई व्यापारियों से हजारों रुपये ठगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का व्यौरा क्या है; और

(ग) उसका क्या परिणाम रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस द्वारा कोई अन्तर्राज्यीय खोज आरम्भ नहीं की गई है। किन्तु 17–5–1967 को करौलबाग थाने में, नई दिल्ली के एक निवासी के विरुद्ध, जिस पर जाली रेलवे रसीद तथा नई दिल्ली के एक बैंक के पास जाली रेलवे रसीद और हुण्डिया जमा करके रांची तथा पटना के कुछ अनाज व्यापारियों को ठगने का आरोप लगाया गया है एक मामला दर्ज किया गया। अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है।

मंत्रियों का विदेशों का दौरा

6041. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों में केन्द्रीय सरकार के कितने मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री विदेशों में गये;

(ख) उन्होंने किन देशों का दौरा किया; और

(ग) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के०एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) सूचना को बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1103/67**]

केन्द्रीय गुप्तचर विभाग तथा केन्द्रीय जांच विभाग के कर्मचारियों की संख्या

6042. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री उमानाथ :
श्री वि० कु० मोदक :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में केन्द्रीय जांच विभाग तथा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग में कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) क्या कुछ कर्मचारी विदेशों में तैनात हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) उनमें से कितने कर्मचारियों का मूल वेतन 500 रुपये मासिक से कम हैं; और

(ङ) 1 जनवरी, 1966 और 15 फरवरी, 1967 को केन्द्रीय जांच विभाग, केन्द्रीय गुप्तचर विभाग और केन्द्रीय सरकार के अन्य गुप्तचर कर्मचारी कितनी संख्या में पश्चिम बंगाल और केरल में तैनात थे ?

गृह मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ङ) सदन के सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1104/67**]

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में नीति

6043. श्री ओंकार सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को अधिक भार उठाने की प्रेरणा देने के लिये विस्थापित व्यक्तियों की वर्तमान पुनर्वास नीति में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो नीति में ऐसा परिवर्तन करने से केन्द्रीय सरकार को कितनी राशि की बचत होने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्

6044. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व क्षेत्रीय परिषद् की हाल में कलकत्ता में हुई बैठक में जिन मामलों पर विचार विमर्श किया गया था और जो निर्णय लिये गये थे उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : जिन मामलों पर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की कलकत्ता में हुई पिछली बैठक में विचार विमर्श किया गया उनकी एक सूची संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 1105/67]** इस बैठक में जो निर्णय लिए गए उन्हें शामिल करके अन्तिम रूप से तैयार होते ही बैठक की कार्यवाही का विवरण संसद-पुस्तकालय में रख दिया जायगा ।

दक्षिण क्षेत्रीय परिषद्

6045. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की हाल में हुई बैठक में जिन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था और जो निर्णय लिये गये थे उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : जिन मामलों पर दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की पिछली बैठक में विचार-विमर्श किया गया उनकी एक सूची संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 1106/67]** बैठक में किये गये निर्णयों को कार्यवाही के विवरण में शामिल किया जायेगा और इस विवरण को तैयार होते ही संसद के पुस्तकालय में रख दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के काम का मूल्यांकन

6046. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 मई, 1967 की 'योजना' पत्रिका की ओर दिलाया गया है, जिसमें बताया गया है कि अनुसन्धान का उपयोग राज्य सरकारों की प्रयोगशालाओं तथा गैर-सरकारी और औद्योगिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में सर्वाधिक होता है और हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में न्यूनतम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों द्वारा किये जाने वाले कार्य के वास्तविक उपयोग का पता लगाने के लिये कोई अध्ययन किया गया है; और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां । 'योजना' में प्रकाशित टिप्पण अनुसंधान सर्वेक्षण तथा आयोजना संगठन के अक्वेल अहमद और एस० पी० गुप्त द्वारा लिखित 'ओपिनियन सर्वे आफ साइन्टिस्ट्स एण्ड टैक्नोलोजिस्ट्स' नामक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित है, जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ख) ऐसा कोई अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है । किन्तु राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा विकसित प्रक्रियाओं/उत्पादों के उपयोग से सम्बन्धित सूचना 'रिचर्स फार इंडस्ट्री, 1964' और 'डेटा आन रिसर्च यूटिलाइजेशन 1965' नामक पुस्तिकाओं और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की 1966–67 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

सैन्ट्रल इन्टेलिजैंस एजेन्सी

6047. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत में अग्रिम कृषि परियोजना को सेण्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी द्वारा धन दिया जाता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है, और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं ।

(ख) और (ग) इन्टेलिजैंस ब्यूरो से अभी हाल के चुनावों में तथा अन्य उद्देश्यों के लिये विदेशी धन के प्रयोग के बारे में जांच करने के लिये कहा गया था । इन्टेलिजैंस ब्यूरो से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और इसकी सावधानी से जांच की जा रही है । सरकार को इस प्रतिवेदन के बारे में कोई निष्कर्ष निकालने में और यह निर्णय करने में कुछ समय लगेगा कि क्या और आगे कोई जांच करना आवश्यक है ।

Glossary Unit in Hindi Directorate

6048. Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Glossary Unit was established in the Central Hindi Directorate; and

(b) if so, when it was established and the jobs executed by it so far ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

Bhajan Mandlis

6049. Shri Molahu Prasad :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Bhajan Mandlis were sent to the non-Hindi speaking areas under the auspices of the Central Hindi Directorate;

(b) the particulars of the Officers sent with the Mandlis, their experience, the amount spent on the Mandlis and the achievements therefrom ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) An Assistant Education Officer of the Central Hindi Directorate, who is an M. A. both in Hindi and Sanskrit, is Sahitya Ratna and well versed in classical music and one Research Assistant, who is an M. A. in English and Hindi, a graduate from Gurukul Vishwavidyalaya, Vrindavan, a lyricist and a singer accompanied the Mandlis.

An amount of Rs. 1,777.35 p. was spent on the Mandlis.

From the point of view of propagation of Hindi in non-Hindi speaking States, this programme proved a great success and it helped in establishing closer contacts between the Hindi and non Hindi speaking people.

उड़ीसा डाक व तार सर्किल में प्रथम श्रेणी के अधिकारी

6050. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक व तार के उड़ीसा सर्किल में प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारी अधिवार्षिकी (सुपरएनुएशन) की आयु हो जाने के आठ से दस वर्ष बाद भी कार्य कर रहे हैं;

(ख) कुछ मामलों में ऐसी छूट दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में डाक कर्मचारी संघ से कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Pro-Chinese Elements Going to China for Training Via Nepal

6051. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Avtar Sharma :
Dr. Surya Parkash Puri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Pro-Chinese elements in the country, taking advantage of the Indo-Nepal relations, go to Communist China via, Nepal get training there in guerilla warfare, obtain funds for political activities and return back to India;

(b) whether any complaints have been received by Government in this connection;

(c) if so, the action Government propose to take against the persons concerned; and

(d) the measures Government are contemplating to adopt with a view to check disintegrating activities in the country due to Indo-Nepal relations ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have no information.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) A close watch is being kept on the activities of the pro-Chinese elements.

प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारी

6052. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय, उससे सम्बद्ध कार्यालयों तथा उसके अधीन कार्यालयों के कितने कर्मचारी इस समय प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) इन प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत हैं; और

(ग) प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में कितना अतिरिक्त धन व्यय होता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 1.41

(ख) 1.36 प्रतिशत (लगभग)

(ग) प्रतिनियुक्ति भत्ता, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार मिलता है और प्रत्येक कर्मचारी द्वारा लिए जाने वाली बुनियादी वेतन पर निर्भर करता है। प्रतिनियुक्ति भत्ते की सामान्य दर कर्मचारी के बुनियादी वेतन की 20 प्रतिशत है।

शिक्षा मंत्रालय में राजपत्रित अधिकारी तथा स्टेनोग्राफर

6053. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में दिसम्बर, 1948 को राजपत्रित-अधिकारियों तथा स्टेनोग्राफरों की पृथक्-पृथक् संख्या कितनी थी; और

(ख) मार्च, 1967 में उनकी पृथक्-पृथक् संख्या कितनी थी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) शिक्षा मंत्रालय में दिसम्बर, 1948 और मार्च, 1967 को नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों और स्टेनोग्राफरों की संख्या इस प्रकार है :—

	दिसम्बर, 1948	मार्च, 1967
राजपत्रित अधिकारी	55	186
आंशुलिपिक	24	68

हिन्दी शब्दावलि

6054. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री प्र० रं० ठाकुर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय का हिन्दी विभाग अपने हिन्दी अनुवाद कार्य में उस पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग नहीं कर रहा है, जो शिक्षा मंत्रालय ने तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो यह विभाग किस शब्दावलि का प्रयोग कर रहा है;

(ग) क्या इस शब्दावलि को सरकार द्वारा स्वीकृत तथा प्रकाशित किया गया है;

(घ) क्या हिन्दी अनुवाद में उनके मंत्रालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा इतनी जटिल तथा अस्पष्ट होती है जिसे एक साधारण पढ़ा-लिखा आदमी नहीं समझ सकता;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुवाद में साधारण शब्दावलि का प्रयोग करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) इस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गई हिन्दी शब्दावली इस मंत्रालय के विभिन्न हिन्दी यूनिटों द्वारा हिन्दी अनुवादों और उनके द्वारा किए गए दूसरे कामों में अवश्य ही प्रयोग में लाई जाती है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता ।

Work in Hindi

***6055. Shri Rabi Ray: Shri Molahu Prasad: Shri Ram Sewak Yadav: Shri Maharaj Singh Bharati:**

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of Sections in the Administrative Division of his Ministry where the work is done originally in Hindi;

(b) whether it is a fact that the demand by the high officers for the English translation of the papers received and documents prepared originally in Hindi is the main obstacle in the use of Hindi; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to remove the said obstacle?

The Minister fo Education (Dr. Triguna Sen) : (a) One.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

मंत्रियों की परिलब्धियां

6056. श्री बेणी शंकर शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रियों की परिलब्धियों के निर्धारण में उनको मिलने वाली सुविधाओं जैसे, कार, मुफ्त सुसज्जित निवास स्थान, बाग बगीचे, रेफ्रीजरेटर तथा अन्य ऐसी ही सुविधाओं को सम्मिलित किया जाता है जैसा कि अन्य वेतन पाने वालों के मामले में किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आयकर वाली तथा आयकर से मुक्त आय का वर्गीकरण करने के लिए :—

(i) बागों तथा रेफ्रीजीरेटर जैसे विद्युत् उपकरणों को शामिल करते हुए मुफ्त सुसज्जित स्थान का मूल्य वेतन के 12½ प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाता है;

(ii) पानी तथा बिजली की मुफ्त सप्लाई का मूल्य वेतन की $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत की दर से निर्धारित किया जाता है;

(iii) वेतन में (आतिथ्य भत्ते के अधिकारी मंत्रियों के मामले में) आतिथ्य भत्ते का 10 प्रतिशत जोड़ दिया जाता है। स्टाफ कार का उपयोग केवल सरकारी कार्य के सम्बन्ध में की जाने वाली यात्राओं के लिये किया जा सकता है और इसे परिलब्धि नहीं माना जा सकता।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था

6057. श्री पहाड़िया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था ने किन-किन प्रक्रियाओं तथा उत्पादों का आविष्कार किया है;

(ख) भारत की खाद्य समस्या हल करने में इस संस्था ने कहां तक मदद की है; और

(ग) इस संस्था पर प्रति वर्ष कितना खर्च आता है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर द्वारा विकसित प्रक्रियाओं तथा उत्पादों को दिखाने वाली एक सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 1107/67]**

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) संस्थान का पिछले तीन वर्षों का वार्षिक खर्च नीचे दिया जा रहा है :—

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	बजट शीर्षक	1964–65	1965–66	1966–67
1.	आवर्ती	27.736	33.817	37.585
2.	पूंजी (मार्ग दर्शी प्रायोजना को शामिल करके)	12.576	15.128	15.257
	जोड़	40.312	48,945	52.842

इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज

6058. श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज ने 'इण्डिया एण्ड अमरीका' नामक एक ऐसी पुस्तिका प्रकाशित की है जिसका प्रकाशक अमरीकी हैं और जिसके लेखक फिलिप्स टालबोट और एस० एल० पोपलई है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस संस्था के लिये खरीदी जाने वाली 75 प्रतिशत पुस्तकें या तो अमरीका के बारे में होती हैं अथवा अमरीका में प्रकाशित हुई होती है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं। सम्बन्धित पुस्तक विदेश सम्बन्ध परिषद (अमेरिका) और विश्व मामलों की भारतीय परिषद के बीच सहयोग से प्रकाशित की गई है न कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल द्वारा।

(ख) यह सच नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इण्डियन स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज

6059. **श्री प० गोपालन :**
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन सम्बन्धी भारतीय स्कूल, नई दिल्ली के कार्य-संचालन के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो ये शिकायतें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं। स्कूल के कार्य-संचालन के बारे में सरकार को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Bombay-Burhanpur Direct Dialling System.

*6060. **Shri G C. Dixit :** Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that direct dialling system has not been introduced between Bombay and Burhanpur despite the fact that Burhanpur is an industrial city with a population of one lakh;

(b) whether it is alsso a fact that in the absence of direct dialling system between Burhanpur and Bombay, the citizens of Burhanpur have to waste much time in putting through a call to B. mbay;

(c) if so, Whether Government propose to introduce direct dialling system between Burhanpur and Bombay; and

(d) If not, the reasons therefor ?

Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Direct dialling system has not been introduced between Burhanpur and Bombay.

(b) The calls between Burhanpur and Bombay are worked on a manual basis and the normal delay on this route is of the order of 30 minutes to an hour.

(c) There is not proposal at present to introduce direct dialling between Burhanpur and Bombay. However, there are plans to introduce national subscriber dialling in stages to all parts of the country and Burhanpur will be covered in due course.

(d) Due to paucity of resources, the direct dialling system is being introduced only between the larger cities of the country. The present traffic between Bombay--Burhanpur is only about 10--20 calls per day, The system will be extended to all parts of the country gradually over a period of 20 to 30 years as resources become available.

Teachers of Government School, Madangir, Delhi

6061. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is fact that the teachers of a Government aided school in madangir Delhi, have not been paid their salaries for the past 14 months; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) ; (a) & (b) The teachers have been paid their salaries upto the end of December, 1966. The school stands recognised by the Delhi Municipal Corporation upto the end of April 1967 only. The salaries for the period January to April 1967, have not been paid. The Corporation has not yet released the grant for this period as the Management has not furnished details of the salaries of the teachers so far.

Pak Infiltrations on Rajasthan Border.

6062. Shri Ohkar Lal Berwa : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan is still indulging in infiltration on the Rajasthan Border;

(b) if so, the number of incidents of infiltration, the number of cattle lifted and loss of money during 1966, and upto 20th June, 1967; and

(c) The number of persons murdered and the number of persons abducted by the infiltrators ?

The Minister of Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Infiltrators are still occurring from Pakistan.

(b) and (c) A statement is laid on the table of the House,

Statement

(1) Number of incidents of infiltration :

During 1966	190
From 1st Jan. 1967 upto 20th June, 1967.	63
.... Total	253

(2) Number of cattle lifted :

During 1966	7508
From 1st Jan. 1967 unto 20th June, 1967	354
....: Total	7862

(3) Loss of money :

During 1966	Rs. 337113.50 P
From 1st Jan. 1967 upto 20th June, 1967.	Rs. 66936.00
.... Total	Rs- 404049.50

(4) Number of persons murdered during the above period : Nil

(5) Number of persons abducted during above period. 14

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रशिक्षण केन्द्र

6063. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1967 में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में भारतीय प्रति-निधिमण्डल द्वारा भारत में तीन प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्रों में से एक केन्द्र स्थापित करने के लिये दिया गया सुझाव स्वीकार कर लिया गया है;

(ख) भारत इस केन्द्र को कौन-कौन सी सुविधायें देगा; और

(ग) क्या यह केन्द्र आंध्र प्रदेश में तेलगाना जैसे पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा अथवा भारत के किसी सुविकसित स्थान में ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) सम्मेलन में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Scheduled Castes Constables in Delhi Police

6064. Shri Ram Charan : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state ;

(a) the total number of Constables in the Delhi Police;

(b) the number amongst them belonging to the Scheduled Castes;

(c) the number of those Scheduled Caste Constables who have been retrenched/detached/removed or dismissed from service so far during the last three years; and

(d) the number of those Scheduled Caste Constables who have been removed from service on charges of corruption, negligence and indicipline respectively during the same period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 9798

(b) 1378

(c) and (d) The total number of Scheduled Caste Constables who were dismissed from service or whose services were terminated during the last three years is 134. The break-up is as under :-

(i) Corruption	..	Nil
(ii) Negligence	..	1
(iii) Indiscipline	..	1
(iv) In the interest of security of state	..	2
(v) Unsuitability for police service	..	125
(vi) Absence from duty	..	5

रेलवे डाक सेवा के 'टी' डिविजन (मद्रास सर्किल) का विभाजन

6065. **श्री नम्बियार :** **श्री चक्रपाणि :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री गणेश घोष :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक सेवा के वर्तमान 'टी' डिविजन का विभाजन करके एक अन्य डिवीजन बनाने का प्रस्ताव है जिसका मुख्यालय मदुरै में होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के ब्यौरे की जांच कर ली है;

(ग) इसके बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Wastage of Central Grants by Voluntary Institutions Engaged in the Propagation of Hindi

6066. **Shri J. H. Patel :** **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the **Minister of Education** be pleased to state :

(a) whether the cases of enormous wastage of Central Government grants given to voluntary educational or other institutions engaged in the propagation of Hindi have come to the notice of Government;

(b) if not, the total expenditure incurred by the said institutions on annual functions, parties, seminars and tours etc. during 1966-67; and

(c) the percentage that this expenditure bears to the amount of total grants ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) No such complaint has been brought to the notice of the Government.

(b) and (c) During 1966-67, no voluntary organisation was given any grant for annual functions, dinner parties and tours. Of course, grants were given to various voluntary organisations for holding seminars for Hindi Pracharaks, refresher courses, competitions etc. The detailed accounts in respect of the grants sanctioned to these institutions have not yet been received. It is, therefore, difficult at this stage to indicate the percentage of the actual expenditure on the above items which it bears to the amount of the total grants paid.

शिक्षा मंत्रालय में अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम

6067. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री श्रीधरन :**
श्री निहाल सिंह : **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री श्रीचन्द्र गोयल : **श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी लोगों तथा अहिन्दी भाषा-भाषी लोगों के लिये हिन्दी में पत्राचार पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय की योजना की स्वीकृति वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग ने दे दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन लोगों के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय में भी सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा पाट्यक्रमों की व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कारण है कि एक ही पाठ्यक्रम के लिये दुहरी व्यवस्था है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) योजना आयोग की स्वीकृति से विदेशियों तथा हिन्दीत्तर प्रदेशों को डाक-पाठ्यचर्या द्वारा हिन्दी सिखाने की योजना इस मंत्रालय के चतुर्थ पंचवर्षीय में सम्मिलित की गई है। वित्त मंत्रालय की औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी हां, पर ये पूर्णकालिक पाठ्यक्रम हैं, जो मुख्यतः दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे विदेशी छात्रों के लिये हैं। जिस स्तर के हिन्दी में पत्राचार-पाठ्यक्रम शिक्षा-मंत्रालय

की योजना के अन्तर्गत चलाये जायेंगे, उस स्तर के पत्राचार पाठ्यक्रम केवल हिन्दी में दिल्ली विश्वविद्यालय न तो चला ही रहा है और न ही भविष्य में चलाने की कोई योजना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Articles in the British Museum

6068. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri S. S. Kothari :
Shri Ram Singh Ayarwal
Shri Srichand Goel :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that number of articles belonging to the Archaeological Department are kept in the British museum; and

(b) if so, whether a demand for their return has been made after the independence ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) Full information is being called for and our action in future will depend upon availability of complete information and its scrutiny.

Killing of Kidnapped Persons by Pakistanis

6069. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Nihal Singh :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Assam has stated that three persons kidnapped from a village in Shivsagar district have been killed; and

(b) if so, the assistance provided by Government to the State Government for checking such incidents ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir, vide details already furnished in answer to Unstarred Question No. 4580 on the 5th July, 1967.

(b) The position is reviewed periodically and, in addition to the resources that the State Government can mobilise, the Government of India have been providing assistance, as is found necessary.

चीनी मिलों के कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड, 1962

6070. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :
श्री सेक्वीरा :
श्री निहाल सिंह :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी मिलों के कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड, 1952 के निर्णयों की बहुत सी चीनी मिलों द्वारा अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन मिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) उक्त मजूरी बोर्ड के निर्णयों को क्रियान्वित कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क), (ख) और (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायगी।

सीमा सुरक्षा दल

6071. श्री देवकी नन्दन पाटौदिया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा सुरक्षा दल के वर्तमान ढांचे की कार्य कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से इसका पुनर्गठन करने की योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बात क्या हैं तथा यह कब तक अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) और (ख) सीमा सुरक्षा दल का निर्माण विभिन्न सीमावर्ती राज्यों से सशस्त्र पुलिस बटालियनें लेकर किया गया था। इन सब बटालियनों का ढांचा अलग अलग था। 1 जून, 1967 को इसका पुनर्गठन लागू हुआ। पुनर्गठन किया जाने पर सीमा सुरक्षा दल की सभी बटालियनों के लिये एक सा ढांचा लागू किया गया, बटालियनों के आकार में परिवर्तन किया गया ताकि वे अपने कार्य के लिये अधिक उपयोगी हो सकें और उनके उपकरणों, प्रशिक्षण तथा अधिकारियों की नियुक्ति के क्षेत्र में भी सुधार किया गया।

भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के वेतन-क्रम

6072. श्री गा० शं० मिश्र :　　**श्री गं० च० दीक्षित :**
श्री नाथूराम अहिरवार :　　**श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सिविल सेवा के कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन-क्रम क्या हैं;

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के, उस समय जब यह पदालि बनाई गई थी, तत्समान वेतन-क्रम क्या थे और अब क्या हैं; और

(ग) भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी को अधिकतम वेतन कितना मिलता है और भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कितना अधिकतम वेतन पाने की आशा कर सकता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क)
भारतीय सिविल सेवा

कनिष्ठ वेतन क्रम:–450–50–800–100–1100
द० अ० 100–1300–1300–
1350 रुपये (16 वर्ष)

वरिष्ठ वेतन क्रम:–1100 (5 वां वर्ष)–50–
1200–75–1500–100–2000-
—50—2250 रुपये (24 वर्ष)

(ख) **भारतीय प्रशासनिक सेवा—पदाली की स्थापना के समय:—**

कनिष्ठ वेतन क्रम:–350–400–450–450–500
540–30–600 द० अ०—
30–870–40-950 रु० (19 वर्ष)

वरिष्ठ वेतन क्रम:–800 (छटा वर्ष अथवा उससे
कम)-50–1000–60–1300-
50—1800 रुपये (25 वर्ष)

भारतीय प्रशासनिक सेवा—वर्तमान वेतन क्रम

कनिष्ठ वेतन क्रम:–400–400–500–40—
700–द० अ०–30–1000 रु०
(22 वर्ष)

वरिष्ठ वेतन क्रम:–900 (छटा वर्ष अथवा उससे कम)-50
100–60–1600–50-–1800
रुपये (22 वर्ष)

सलैकशन ग्रेड:–1800–100–2000

(ग) भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी परिषद सदस्य के पद पर काम करते हुये अधिकतम $6666\frac{2}{3}$ रुपये प्रतिमास वेतन प्राप्त कर सकते थे। अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचि (क) के पदों पर काम करते हुए अधिक से अधिक 3500–125–4000 रु० का वेतन प्राप्त कर सकते हैं।

दिल्ली में गुड़–की मण्डी में विस्थापित व्यक्ति

6073. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गुड़ की मण्डी में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के बारे में 1951 में सर्वेक्षण किया गया था और यदि हां, तो पात्र विस्थापित परिवारों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन सभी परिवारों को अब बसाया जा चुका है;

(ग) कितने मकान बनाने अभी शेष हैं तथा वे मकान किन्हें अलाट किये जायेंगे; और

(घ) ये मकान पहले न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं। सर्वेक्षण 1961 में किया गया था नकि 1951 में। अनधिकृत रूप में रह रहे विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों की संख्या 427 थी।

(ख) जी, हां। तथापि सभी परिवारों को दिल्ली नगर निगम द्वारा नये मोती नगर तथा अन्धामुगल में बनाए गये 'स्लम टेनेमेंटस्' अस्थाई रूप से अलाट कर दिये गए हैं।

(ग) पुनर्वास मन्त्रालय की निधि से गुड़–की–मण्डी में 170 मकान बनाए जाने थे तथा शेष परिवारों को ढका तथा निमरी गांवों के क्षेत्र का विकास करके दिल्ली नगर निगम द्वारा आवास दिया जाना था। गुड़ की मंडी में बनाए जाने बाले 170 मकानों में से, 93 मकानों का निर्माण कार्य अग्रिम अवस्था में है।

(घ) इसका मुख्य कारण भूमि के भूतपूर्व मालिकों द्वारा न्यायालव से निषेधाज्ञा प्राप्त कर लेना है।

आसाम में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों का पुनर्वास

6074. श्री ओंकार लाल बैरवा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये आसाम सरकार को 20 लाख रुपये मंजूर किये हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने गत दस वर्षों में आसाम में इस काम के लिये कुल कितना धन खर्च किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां; पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रव्रजकों के लिये शिविरों और सहायता पर व्यय करने के लिये 15 जून, 1967 को 20 लाख रुपये 'लेख पर' अदा करने के लिये मंजूर किये गये थे।

(ख) 1957–58 से लेकर 1966–67 तक पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास पर केन्द्रीय सरकार ने 1038.07 लाख रुपये की धन राशि, खर्च की है, (691.55 लाख रुपये अनुदान के रूप में तथा 346.52 लाख रुपये ऋण के रूप में)

केरल में भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

6075. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि वह भारतीय प्रशासन सेवा/भारत पुलिस सेवा के अधिकारियों को 55 वर्ष की आयु हो जाने के बाद सेवा में नहीं रखेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को देखते हुए कि भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को 58 वर्ष की आयु हो जाने पर सेवा-निवृत्त किया जाता है, इस बारे में केन्द्रीय सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Cultural Relations Between the Northern and Southern India

6076. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri O. P. Tyagi :
Shri R. S. Vidyarthi :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some foreign writers have given a distorted version of facts relating to Indian culture, especially the cultural relations between Northern and Southern India;

(b) whether certain Indian Scholars have drawn the attention of Government of this through a joint statement; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) & (b) Government have no information at present.

(c) Does not arise.

Telephone Arrears in Jaipur

6077. **Shri Onkar Singh :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the amount of telephone arrears at the end of 1966-67 in respect of Jaipur, Rajasthan; and

(b) the amount outstanding against Ministers of the Rajasthan Government and the names of such Ministers ?

The Minister of State for Parliamentary Affairs & Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The amount of telephone arrears at the end of 1966-67 for bills issued upto 31-12 66 in respect of Jaipur was Rs. 2 69 lakhs.

(b) A sum of Rs. 27,590,00 relates to the telephones of the Ministers of the Rajasthan Government. As the telephones are held by the Rajasthan Government and not by the Ministers in their individual capacity, the question of furnishing any names does not arise.

Direct Dialling System in Rajasthan

***6078. Shri N. S. Sharma :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Onkar Singh :
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the **Minister of Communications** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce direct dialling system in almost all the parts of the country;

(b) if so, the parts of Rajasthan where direct dialling system has been introduced so far;

(c) the reasons for not introducing the said system in Kotah; and

(d) when this system is likely to be introduced in Kotah ?

The Minister of State for Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) There is a plan ultimately to introduce National Subscriber Dialling to almost all parts of the country, but this plan is to be progressively put into force over many years subject to availability of resources. Currently, the first phase of the plan is under implementation and about 17 stations will be connected to the scheme.

(b) In Rajasthan, the capital city, Jaipur. has been given point to point STD with Delhi. Jaipur is also to be connected to the National Subscriber Trunk Dialling network in the first phase and after this part of the plan is connected. Jaipur would be able to dial to 16 other cities in the country.

(c) The Kotah telephone exchange is at present a manual exchange. Direct dialling facilities can be introduced only between automatic exchanges and, therefore, it is not possible to provide this facility in Kotah at present.

(d) Plan for automatising the Kotah telephone system are under progress and the new automatic exchange is likely to be commissioned by the end of the 4th Plan. Additional long distance circuits are also proposed to be provided. Direct dialling facilities will be given to Kotah soon thereafter, i. e. early in the 5th Plan period. This is, however, subject to availability of resources.

प्रधान मंत्री की काश्मीर के मुख्य मंत्री से बातचीत

6080. **श्री आत्म दास** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर के मुख्य मन्त्री ने काश्मीर के भविष्य के बारे में प्रधान मन्त्री से बातचीत की थी;

(ख) क्या शेख अब्दुल्ला को रिहा करने के बारे में कोई बातचीत हुई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उन्होंने काश्मीर घाटी के पुनर्गठन के बारे में बातचीत की थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) जी, नहीं ।

(ख) शेख अब्दुल्ला पर लगाये गए प्रतिबन्ध समय-समय पर विचार विमर्श का विषय बने रहे ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आई० सी० एस० अफसरों की तुलना में आई० सी० एस० से भिन्न अफसर

6081. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक वरिष्ठ आई० ए० एस० अफसर ने आई० सी० एस० अफसरों की तुलना में आई० सी० एस० से भिन्न अफसरों के प्रति भेद भाव किये जाने के विरुद्ध उड़ीसा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और 'समान कार्य' के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार किये जाने की मांग की है;

(ख) क्या सरकार ने कभी इस विषय पर विचार किया था और उनके बीच अभी तक क्या वास्तविक विषमता विद्यमान है;

(ग) क्या उच्च न्यायालय में जाने से पूर्व उस अफसर ने इस मामले में सरकार को अभ्यावेदन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां । आई० ए० एस० और आई० सी० एस० के वेतनक्रमों के बीच अन्तर को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अब आई० सी० एस० अधिकारी भी आई० ए० एस० के सदस्य हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पर्यटकों की रुचि के डाक टिकट

6082. **श्री यशपाल सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक नमूने के और पर्यटकों की रुचि के डाक टिकट जारी करने के लिये पर्यटन विभाग की ओर से कोई प्रार्थना आई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ?

संसद-कार्य तथा संचार राज्य मन्त्री, (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) निम्न विषयों पर पर्यटकों की रुचि के डाक-टिकट निकाले गए हैं—

(1) कोणार्क का हाथी

(2) हाम्पी का रथ

(3) पत्र लिखती हुई नारी-मध्ययुगीन मूर्तिकला

(4) डल झील

(5) भाकड़ा बांध

इसके अतिरिक्त प्रशान्त क्षेत्र यात्रा संघ के वार्षिक सम्मेलन की स्मृति में, जो कि नई दिल्ली में हुआ था, 24-1-66 को एक विशेष डाक-टिकट जारी किया गया था। "अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक वर्ष" की स्मृति में 19–3–67 को एक विशेष डाक–टिकट जारी किया गया था, जिस पर 'ताजमहल' का चित्र था।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा–निवृत्ति की आयु

6083. श्री राने : क्या गृह–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के श्रेणी एक और श्रेणी दो के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनकी पदोन्नति सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ा कर 58 वर्ष कर दी जाने के बाद की गई थी;

(ख) इसके परिणाम स्वरूप कितना मासिक व्यय किया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार सेवा निवृत्ति की आयु घटा कर 55 वर्ष करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र ही सदन के सभा–पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, नहीं। केवल 1962 में ऐसा हुआ था कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 58 वर्ष तक बढ़ा दी गई थी। तब से ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा नहीं हुई हैं। जिनके कारण इस निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़े।

Property of Indian Nationals in Angola and Mozambique

6084. Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the **Minister of Labour and Rehabilitation** be pleased to State :

(a) the value of the property left behind by the Indian Nationals turned out of Angola and Mozambique after the 1961 Goa action; and

(b) the scheme under consideration of Government f r repatriating the same ?

The Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shr L. N. Mishra) : (a) The Indian repatriates from Mozambique have claimed that they have left property worth about Rs. 5. 3 crores in Mozambique. So far as Government of India is aware, no person of Indian origin has been repatriated from Angola.

(b) The repatriates were advised to file their claims for their property left in Moxambique with the Portuguese. Authorities direct vide Press Note dated 29-10-1965. In pursuance of this advice, the repatriates have lodged their clamis with the Portuguese Government. The Ministry of External Affairs have taken up with the Portuguese autbo rities through the Mexican Government the question of payment of compensation to the repatriates from Mozambique as early as possible for the assets left by them in Mozambique.

अन्दमान द्वीप समूह में एकाधिकार से भिन्न व्यापार

6085. **श्री मधु लिमये :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तत्कालीन गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अन्दमान कांग्रेस से प्राप्त अभ्यावेदन पर सितम्बर/अक्टूबर 1966 में यह आदेश दिया था कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के, जो अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह (मूल आदिम जाति संरक्षण) विनियम द्वारा प्रशासित एक आदिम जाति राज्य-क्षेत्र है, व्यापार में गैर-आदिम जातीय व्यक्तियों के एकाधिकार को समाप्त करने की कार्यवाही बन्द कर दे।

(ख) यदि हां तो गैर-आदिम जातीय व्यक्तियों के एकाधिकार को समाप्त करके निकोबार द्वीप समूह में व्यापार का पुनर्गठन करने की उनके मंत्रालय की सुनिश्चित नीति पर कार्यवाही रोक देने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकरात्मक हो, तो इस मामले में तथ्य क्या हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) निकोबार द्वीप समूह के व्यापार पर अधिकतर गैर आदिम जाति व्यक्तियों का अधिकार था और बहुत दिन से सरकार की यह चेष्टा रही थी कि आदिम जातियों के व्यक्तियों को शोषण से बचाने के लिए व्यापार अपने हाथ में लेने या उनके लाभ के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने के लिए तैयार किया जा सके। आदिम जातियों के व्यक्ति लगातार यह कहते रहे कि वे इस व्यापार को स्वयं चलाने के लिए साधन सम्पन्न नहीं हैं। फिर भी वे व्यापार को अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करने के लिए सहमत हो गए और उन्हें इस कार्य के लिए समय दिया गया। आशा थी कि अक्टूबर 1966 तक हस्तान्तरण हो जाएगा किन्तु निकोबारी अक्टूबर, 1966 तक व्यापार को अपने हाथ में लेने के योग्य नहीं हो सके और उनके द्वारा दिए गए सुझाव से वे अभी भी शोषण करने वाले गैर आदिम जाति व्यक्तियों के प्रभाव में रह जाते। अतः उन्हें 31 मार्च, 1967 तक अपनी योजना में उपयुक्त संशोधन कर लेने की सलाह दी गई। अब तक भी निकोबारी आगे आने को तैयार नहीं हुए। अब सूचना मिली है कि निकोबारियों ने अपनी कम्पनी बनाली है और 1 जुलाई, 1967 से कार निकोबार का व्यापार सम्भाल लिया है।

श्रम कल्याण उपकर

6086. **श्री सेक्वीरा :** **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री क० प्र० सिंह देव: **श्री गिरिराज शरण सिंह :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोआ में लोह-अयस्क खानों से अब तक श्रम कल्याण उपकर के रूप में कितनी धनराशि एकत्रित की गई है; और

(ख) अब तक कितनी राशि बांट दी गई है तथा किस काम के लिये ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री(श्री जयसुखलाल हाथी):(क)30-6-1967 तक 39,79,500 रु०

(ख) संगठन के कार्यालयों पर 92,250 रु० ।

गोआ प्रशासन के कर्मचारियों का अभ्यावेदन

6087. **श्री सिक्वीरा :** **श्री गिरिराज शरण सिंह :**
श्री कामेश्वर सिंह : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे कर्मचारियों की शिकायतों पर, जिन्हें नौकरी में रख लिया गया था, विचार करने के लिए गोआ प्रशासन द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) 28 सितम्बर, 1966

(ग) मामला विचाराधीन है । स्थानीय प्रशासन के परामर्श से इस मामले की जांच करने और सरकार को प्रतिवेदन देने के लिये मंत्रालय का एक अधिकारी वास्तव में गोआ गया है ।

प्रादेशिक भाषाओं का विकास

6088. **श्री सम्बंधन :**
श्री अंबाजागन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिये सरकार कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1966-67 में प्रत्येक प्रादेशिक भाषा पर यदि कोई राशि खर्च की गई है, तो कितनी कितनी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

भाग (ख) 'आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास' की योजनाओं के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और राज्य सरकारों को विश्वकोश, शब्द कोश संदर्भ-ग्रंथ-सूचियां, चयनिकाएं आदि के और संस्कृति, साहित्य, भारत-विद्या तथा भाषा-शास्त्र पर पुस्तकों के निर्माण और प्रकाशन के लिए साहित्य सम्मेलनों, पुस्तकालयों आदि के लिए अनुदान दिये जाते हैं। बाल साहित्य के लिए पुरस्कार प्रतियोगिता की योजना के अधीन भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के लेखकों को प्रत्येक पुरस्कृत पुस्तक पर 1000 रुपये प्रति पुस्तक से हिसाब से पुरस्कार दिये जाते हैं और प्रत्येक पुरस्कृत पुस्तक की 2000 प्रतियां भी वितरण के लिये दी जाती हैं।

भाग (ग) :

भाषा का नाम	प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए 1966-67 के दौरान दिये गये अनुदान	1966-67 में बाल साहित्य पुरस्कार प्रतियोगिता पर खर्च की गई रकम
	रुपये	रुपये
असमी	795	—
बंगला	82,010	—
अंग्रेजी	6,650	—
गुजराती	25,000	4,315
कन्नड	2,66,588	—
मैथिली	7,500	—
मलयालम	46,724	1,570
मराठी	36,150	—

उड़िया	27,250	–
पंजाबी	30,200	1,075
राजस्थानी	64,200	–
सिंधी	5,000	3,350
तमिल	23,200	1,675
तेलगू	1,07,000	–
उर्दू	46,356	10,970
विविध	1,18,748	–
जोड़	8,93,371	22,955

पान वालों पर बिक्री कर

6089. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने सिफारिश की है कि दिल्ली में पानवालों पर बिक्री कर समाप्त कर देना चाहिये ।

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह मामला बहुत दिन से अनिर्णीत पड़ा है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे कितने पानवाले हैं और उनसे बिक्री कर के रूप में कितनी राशि वसूल की जाती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) कर–निर्धारण की कार्यवाहियां पूरी नहीं हो पाई हैं । अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के कर्मचारी

6090. **श्री आत्म दास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के विभाजन-पूर्व के कर्मचारियों को देश के विभाजन के पश्चात फालतू घोषित कर दिया गया

था और 1949 में उन्हें अस्थायी सरकारी कार्यालयों में, जैसे केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन, रोजगार दे दिया गया था ;

(ख) क्या 1960 में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन जैसे अस्थायी कार्यालयों के बन्द किये जाने के बाद इन कर्मचारियों को अन्य सरकारी कार्यालयों में, जैसे मौसम विज्ञान विभाग, पुनः रोजगार दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या 22 दिसम्बर, 1959 के बाद मौसम विज्ञान विभाग में उन्हें पुनः रोजगार दिये जाने पर इन कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया गया था और नये भर्ती किये गये कर्मचारी माना गया था यद्यपि वे लगभग 15 वर्ष का सेवा काल पूरा कर चुके थे ?

(घ) क्या यह भी सच है कि ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें 22 दिसम्बर, 1959 के बाद वित्त मंत्रालय के निरीक्षण निदेशालय, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कार्यालयों में रोजगार दिया गया था, उनकी वरिष्ठता का विधिवत लाभ दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो 22 दिसम्बर 1959 के बाद मौसम विज्ञान विभाग में जिन कर्मचारियों को इस प्रकार रोजगार दिया गया था, उन्हें वरिष्ठता का लाभ नहीं देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ) मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Hindi Classes

6091. Shri Nihal Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Hindi classes held at each Hindi Teaching Centre for the Central Government employees in Delhi;

(b) the number of students in each of the Pravin, Prabodh and Pragya classes; and

(c) the steps proposed to be taken to conduct these classes regularly ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charn Shukla) : (a) and (b) A statement is attached. [**Placed in Libirary See No, L.T. 1108/67**]

(c) The classes are being held regularly.

National Archives Library

6092. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria

Will the **Minister of Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a paucity of space in the National Archives' Library and the staff is inadequate there;

(b) whether it is also a fact that paucity of space and inadequacy of staff in the Research wing results in the nonavailability of the required facilities to the research scholars; and

(c) if so, the action being taken to meet the inadequacy of staff and paucity of space ?

The Minister of State for Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a)to (c) Government is aware of the paucity of space for the Library as well as Research wing in the National Archives of India. In order to re nove this shortage of space, provision has been made in the Fourth Five Year Plan for the construction of additional accommoda tion for the National Archives of India. For this purpose a 10 acre plot in South Delhi has been earmarked

The staff requirements of the Nati ɔnal Archives of India (including its Library and Research Wing) are being currently assessed by the Staff Inspecting Unit of the Ministry of Finance and further action in the matter will be taken after the receipt of its recommendations.

गृह कार्य मंत्री द्वारा हेलीकाप्टर विमान का प्रयोग

6093: **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री नम्बियार :
श्री प० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अनिरुद्धन :
श्री नायनार :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने चुनाव कार्य के लिये महाराष्ट्र में 4 फरवरी से 9 फरवरी, 1967 तक हेलीकाप्टर विमान में यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इन उड़ानों पर कितना खर्च आया;

(ग) क्या हेलीकांप्टर विमानों के मालिकों को यह राशि दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो किसको, किसके द्वारा तथा कितनी राशि दी गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सरकार द्वारा कोई खर्चा नहीं किया गया।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मालिकों ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की सेवा में हेलीकोप्टर को निशुल्क सौंप दिया था। इस अवधि के दौरान उड़ानों तथा हेलीकाप्टर के रख-रखाव का खर्चा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस द्वारा उठाया गया था।

लड़कियों का अपहरण

6094. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 1967 से लेकर अब तक दिल्ली में लड़कियों के कथित अपहरण के आरोपों में कितने व्यक्ति पकड़े गये तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) भविष्य में लड़कियों के अपहरण को रोकने के लिये दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही का स्वरूप तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इनमें से कुछ अपहृत लड़कियों को वेश्यावृत्ति तथा दासी व्यापार के लिये सीमा पार करके पाकिस्तान ले जाया गया है;

(घ) यदि हां. तो उनकी संख्या कितनी है; और

(ङ) ऐसी गुण्डागर्दी की कार्यवाही को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 81 व्यक्ति संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 1 जनवरी, 1967 से 30 जून, तक 1967 तक लड़कियों के अपहरण के आरोपों पर गिरफ्तार किये गये थे ।

(ख) दिल्ली में लड़कियों के अपहरण की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं ।

(एक) समाज विरोधी तत्वों की कार्यवाहियों को रोकने के लिये दिल्ली पुलिस ने विशेष कदम उठाये हैं । अवांछनीय लोगों और अन्य समाज विरोधी तत्वों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है ।

(दो) गश्ती सिपाहियों और डिवीजनल अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखे जाने के अतिरिक्त अवांछनीय लोगों को समय समय पर कानून की निवारक धाराओं के अधिन गिरफ्तार किया गया है ।

(तीन) जब भी कानूनी कार्यवाही करना आवश्यक हो जाता है । तब पुलिस थानों में समाजविरोधी तत्वों की कार्यवाहियों सम्बन्धी रखे गये अभिलेखों से यह काम सरल हो जाता है । । सुप्रसिद्ध गुण्डों को बाहर निकालने के लिये अधिकारियों को शान्ति देने के लिये संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर बम्बई पुलिस अधिनियम के कुछ उपबन्ध जिनमें धाराएं 55, 56 और भी शामिल हैं, लागू किये गये हैं ।

(चार) 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के अपहरण के मामलों की जांच करने के लिये दिल्ली पुलिस ने विशेष प्रबन्ध किये हैं । यह सारी जांच दिल्ली गुप्तचर विभाग को अपराध शाखा के गुमसुदा व्यक्तियों के सम्बन्ध दस्ते के कर्मचारियों द्वारा एक ही केन्द्र से की जाती है ।

(पांच) पुलिस कंट्रोल रूप में, लड़कियों के अपहरण की आरम्भिक रिपोर्ट प्राप्त करने और उन्हें सम्बन्धित पुलिस स्टेशनों में भेजने के लिये भी प्रबन्ध विद्यमान है।

(छः) अपहरण के मामलों की ओर विशेष ध्यान देने और समय समय पर पुलिस के उप-महा निरीक्षक को प्रगति की जानकारी देने के लिये जिला पुलिस अधीक्षकों को अनुदेश दिये गये हैं।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Pakistan Infiltration in Border Areas

6095. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Atam Das :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Surya Prakash Puri :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 50,000 Pakistanis have infiltrated into the Indian border areas;

(b) whether it is also a fact that Government have made every arrangement for the security of the border areas; and

(c) if so, the steps taken by Government this time in the back-ground of the August, 1965 incidents ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) ; (a) It is presumed that the Hon'ble Members refer to the border areas in Jummu and Kashmir. Attention in this connection is invited to the reply given to Unstarred Question No. 4572 in the House on 5. 7. 1967.

(b) and (c) The happenings of August/September, 1965 in Jammu and Kashmir have been reviewed by the Central and State Governments in the normal course and necessary steps have been taken to strengthen the borders.

दिल्ली में बिक्री कर प्रणाली में सुधार

6096. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : गृह कार्य : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली जनरल मरचेन्ट्स एशोसिएशन द्वारा दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में दिये गये इन कथित सुझावों की दिल्ली में बिक्री कर प्रणाली में अमुक सुधार करने की आवश्यकता है तथा व्यक्त की गई इस चिन्ता की ओर कि दिल्ली में बिना उचित रसीद दिये उपभोक्ता वस्तुओं को दिन प्रति दिन बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है, सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था ने क्या निश्चित सुझाव दिये हैं; और

(ग) इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) (ख) और(ग) कहा जाता है कि दिल्ली जनरल मरचेन्ट्स एशोसिएशन के अवैतनिक महा सचिव ने दिल्ली में 27.10.66 को एक पत्रकार सम्मेलन में निम्नलिखित सुझाव दिये:

(1) बिक्री कर की दरों को सरल किया जाये और जब तक बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन कर नहीं लगा दिया जाता तब तक जनरल मरचेंट व्यवसाय में दो से अधिक दरें नहीं होनी चाहिये और

(2) आगे चल कर होने वाली परेशानी से बचने के लिए किसी विशेष वस्तु पर व्यापारी द्वारा वसूल किये जाने वाले बिक्री कर की दर को बिक्री कर विभाग द्वारा लिखित रूप में स्पष्ट किया जाना चाहिये ।

एशोसिएशन ने इन सुझावों को दिल्ली प्रशासन के साथ उठाया जिन्होंने 3.12.66 को एक उत्तर द्वारा उन्हें संचित किया कि–

(1) पड़ोसी राज्यों में भी कर की अनेक दरें हैं और दिल्ली की दरों को उनसे कम रखने के लिए दिल्ली में दरों की संख्या कम करना व्यावहारिक नहीं है; और

(2) प्रत्येक वस्तु पर कर की दर का स्पष्टीकरण सम्भव नहीं है क्योंकि किसी विशेष वस्तु के लिये कर की दर निर्धारित करना कर निर्धारित करने वाले अधिकारियों का काम है जो कानूनी कार्यवाहियों के दौरान यदि कोई साक्ष्य पेश किया जाये तो उस पर विचार करने के बाद और बेचे जाने वाले माल की प्रकृति, उपयोग बनावट आदि के बारे में जांच करने के बाद कर निर्धारित करते हैं ।

Archaeological Monuments in India

6097. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri R. S. Vidyarthi :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the annual expenditure on the maintenance and management of the old monuments under the Archaeological Department;

(b) the number of monuments of historical importance being used as (i) picnic spots (ii) for research studies (iii) as strategic places; and

(c) the steps taken to utilise the monuments which are not being put to any of the above uses ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a)

1963-64	Rs 46,20,389
1964-65	Rs. 62,77,505
1965-66	Rs. 57,28,702
1966-67	Rs. 48,15,800

(b) (i) The monuments are not meant for picnics, but for the convenience of visitors, in certain monuments, spots are set apart on the lawns attached to them for picnic purposes. (ii) All the monuments are in one way or other important to the research scholars. Persons who approach for such studies are given all facilities. (iii) The Archaeological Survey of India does not deal with Monumens of Military strategy.

(c) Does not arise.

Female Central Government Employees

6098. Shri Brahmanandji :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Molahu Prasad :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of female employees in the various Ministries of the Central Government;

(b) whether Government propose to impose any restrictions on the use of tight dresses by them; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The number of regular female employees in various Ministries of the Government of India (including their attached and subordinate offices) was 45,929 as on 31.3.1965.

(b) No Sir. However, in February, 1954, a circular O. M. was issued recommending the following dress for women officers (civilians)

(1) For formal or ceremonial occasions.	Sober coloured sari of plain material - the border if any, to be simple.
(2) For less formal occasions and evening parties	Sari as in 1, above or Shalwar, Kamiz and Doopata.
(3) Office Dress	Plain cotton or silk sari without a border or with simple border;or Shalwar. Kamiz and Doopata (or, for those who habitually wear them, Skirt and blouse)

Note (1) Materials, colour - schemes and designs should be such as would help to maintain dignity and decorum. Saris and blouses worn in office should be of sober colours and blouse pieces should be of adequate length. Very bright colours gay or florid designs and striking patterns should be avoided; the same applies to Shalwar and Kamiz and Skirt and Blouse.

(2) The materials should be Swadeshi. if possible hand-spun and hand-woven.

These were only suggestions for maintaining correct standard in the matter of wearing dress for different occasions. They were not be treated as orders.

(c) It is not considered necessary to impose any restrictions on individual employee's freedom regarding the fittings of dress.

काश्मीर में श्रीनगर में संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय और गिरजाघरों पर लोगों की भीड़ द्वारा आक्रमण

6099. श्री बलराज मधोक : श्री म० ला० सोंधी :
श्री श्रीचन्द गोयल : श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 7 जून, 1967 को श्री नगर में एक उपद्रवी भीड़ ने संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय पर हमला किया था और दो गिरजा घरों को भी जला डाला था; और

(ख) यदि हां, तो काश्मीर में भविष्य में ऐसी घटनायें न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार ने इस बारे में आवश्यक कदम उठाये हैं ।

महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, बम्बई

6100. श्री बलराज मधोक : श्री पीलु मोडी :
श्री जगन्नाथ राव चौधरी : श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिना बिक्री जीप गाड़ियों के भारी संख्या में जमा हो जाने के कारण मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा, बम्बई ने 1100 स्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) :(क) और (ख) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और भारत सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

उड़ीसा के मुख्य के मंत्री के विरुद्ध ज्ञापन

6101. **श्री यरंडी :** **श्री दे० अमात :**
श्री नाथ पाई : **श्री गु० चं० नायक :**
श्री प्र० के० देव : **श्री जेना :**
श्री म० माझी : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म्र० दीपा : **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जिसमें उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार उन आरोपों की जांच करने के उद्देश्य से एक समिति नियुक्त करने के लिये विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (घ) संसद तथा उड़ीसा विधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के नाम भेजा गया एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें दूसरी बातों के साथ-साथ, उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध भूतकाल से सम्बन्धित आरोप लगाये गए हैं जब वे एक अन्य मंत्रि मंडल में मंत्री थे। उड़ीसा सरकार ने पहले ही उन मन्त्रियों द्वारा जो 1961 के चुनावों तथा हाल के चुनावों के बीच की अवधि के दौरान पदों पर थे, प्रशासनिक क्षेत्र में किये गये तथाकथिक भ्रष्टाचार व अनुचित कार्यों के अभियोगों की जांच करने के लिए एक जांच-आयोग स्थापित करने का निश्चय कर लिया था। उडीसा के मुख्य मंत्री ने बताया कि 1061 से पहले के अभियोगों के लिये इस जांच का क्षेत्र बढ़ाने के लिए प्राप्त सुझावों के उत्तर में, उडीसा की सरकार ने यह भी निश्चय किया था कि यदि, इससे पहली अवधि में मन्त्रियों से सम्बन्धित, विशिष्ट आरोप सामने लाये गये और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला खड़ा हुआ तो उड़ीसा सरकार ऐसे अभियोगों को जांच के लिए आयोग के पास भेजने के बारे में विचार करेगी। तदनुसार उक्त ज्ञापन (जिसमें अन्य कुछ लोगों के विरुद्ध भी अभियोग लगाये गये हैं) उपयुक्त कार्यवाही के लिए उड़ीसा के मुख्य मंत्री के पास भेज दिया गया है।

आसाम में ईसाई धर्म-प्रचारक

6102. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम राज्य में कितने विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारक काम कर रहे हैं;

(ख) उनके कार्यकलाप किस प्रकार के हैं; और

(ग) क्या ये विदेशी ईसाई धर्म-प्रचारक पहाड़ी जिलों में गरीब आदिम जातीय लोगों, गरीब चाय बागान श्रमिकों तथा शरणार्थियों का विशेष रूप से ग्वालपाड़ा जिले के मतिया शिविर में धर्म-परिवर्तन करने के लिये कपड़ा, धन, खाद्यान्न तथा चिकित्सा सहायता देकर दबाव डालने वाले तरीके अपना रहे हैं

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आधुनिकतम उपलब्ध सूचना के अनुसार पंजीकृत विदेशी प्रचारकों की संख्या आसाम में 299 है।

(ख) चिकित्सा, शैक्षणिक, सामाजिक तथा ईसाई धर्म-प्रचार सम्बन्धी गतिविधियों के अलावा वे लोग सहायता कार्य में भी लगे हुए हैं।

(ग) विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा लालच देकर धर्म-परिवर्तन के कुछ समाचार प्राप्त हुए हैं। किन्तु दबाव डालने की कोई स्पष्ट घटना सामने नहीं आई। ऐसे आरोप भी प्राप्त हुए हैं कि विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा मतिया शिविर में भी धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन आरोपों की राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

सरकारी नौकरियों के अभ्यार्थियों के पूर्ववृत्त तथा चरित्र का सत्यापन

6104. श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री नायनार :

क्या **गृह कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी नोकरी के लिए उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त और चरित्र का सत्यापन अन्य पहलुओं के साथ साथ इस पहलू के बारे में भी किया जाता है कि क्या उम्मीदवार का सम्बन्ध कुछ राजनीतिक दलों में से किसी दल के साथ रहा था; और

(ख) यदि हां, तो वे राजनीतिक दल कौन कौन से हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीकी धर्म प्रचारक

6105. श्री प० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 'लारेन' नामक एक अमरीकी धर्म-प्रचारक को आसाम में उसके द्वारा की जा रही कथित भारत विरोधी कार्यवाहियों के कारण हाल ही में 'भारत छोड़ो नोटिस जारी किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):(क) जी, नहीं :

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम में भारतीय नागरिकों को पकड़ लिया जाना

6106. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में गत आम चुनावों के दौरान ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सैनिक आसाम के कछार जिले में गोविन्दपुर गांव के कुछ भारतीय नागरिकों को पकड़ कर पूर्वी पाकिस्तान ले गये थे;

(ख) यदि हां, तो ईस्ट पाकिस्तान के राइफल्स सैनिक अपने साथ कितने व्यक्ति ले गये थे; और

(ग) इन व्यक्तियों को वापिस लाने से लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री(श्री यशवन्तराव चव्हान) (क)से(ग)राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 21 फरवरी, 1967 को जिला कछार को गोविन्दपुर गांव के 27 भारतीय नागरिक पाकिस्तान राइफल्स के सैनिकों द्वारा पकड़ लिये गये थे और उन्हें पूर्वी पाकिस्तान ले जाया गया था । ये सब आदमी उसी शाम को अपने गांव वापस लौट आये । सीमा सुरक्षा दल के सैक्टर कमांडर द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में अपने समकक्ष अधिकारी के पास एक विरोध पत्र भेजा गया था ।

टेलीफोन के तार की चोरी

6107. श्री श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन ट्रंक लाइनों को गत कुछ महीनों में काटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 27 जून, 1967 की रात को तार काटने की एक बड़ी घटना हुई थी जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली, हापुड़ और गुलावठी टेलीफोन ट्रंक लाइनों का काम बिल्कुल ठप्प हो गया था तथा बुलन्दशहर से सम्पर्क बिल्कुल टूट गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

संसद कार्य तथा संचार राज्य मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) (i) अपेक्षाकृत ज्यादा कड़ी सजाओं की व्यवस्था करने के लिए टेलीग्राफ तार (अनाधिकृत कब्जा) अधिनियम, 1950 में संशोधन किया जा रहा है ।

(ii) विभागीय अधिकारी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाये हुए है ।

(iii) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अर्धसरकारी पत्र लिखा गया है ।

संघ लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

6108. श्री गु० च० नायक :
श्री दे० अमात :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में विभिन्न ग्रेडों में आज तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के जातिबार, कुल कितने प्रत्याशी नियुक्त किये गये;

(ख) क्या कोई ऐसे पर रिक्त हैं जिन पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रत्याक्षी नियुक्त किये जाने हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) आधुनिकतम संख्या इस प्रकार है :

	श्रेणी I II तथा III के पद	श्रेणी IV के तथा अन्य पद	योग
अनुसूचित जाति कर्मचारियों की संख्या	55	54	109
अनुसूचित आदिम जाति कर्मचारियों की संख्या	5	6	11

(ख) जी हां ।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के प्रत्याशियों की नियुक्ति के लिए निर्धारित अभ्यंश के अन्तर्गत आने वाले पदों की संख्या इस प्रकार है :

	श्रेणी I II और III	श्रेणी IV	योग
अनुसूचित जातियां	6	1	7
अनुसूचित आदिम जातियां	2	—	2

नक्सलबाड़ी की स्थिति

6109. **श्री यशपाल सिंह :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वामपंथी साम्यवादी दल ने केन्द्रीय सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने सीमा सुरक्षा सेना की सहायता से नक्सलबाड़ी क्षेत्र में गड़बड़ी को बढ़ावा दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रतिभाशाली व्यक्तियों का निकाय (टैलेन्ट बैंक)

6110. **श्री पार्थसारथी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार व्यापार तथा उद्योगों के लिये प्रबन्धक तथा तकनीशन उपलब्ध कराने के लिये प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक निकाय (टैलेन्ट बैंक) स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और ऐसे निकाय कहां कहां स्थापित किये जायेंगे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) कार्यकारी तथा तकनीकी पदों के लिये नियोजकों को विद्यार्थियों से परिचित कराना भी विश्वविद्यालय रोजगार जानकारी तथा मार्ग-दर्शन विभाग का काम है । 38 विश्वविद्यालयों में अब स्थापित किये गये ऐसी सभी विभागों में यह काम किया जा रहा है ।

पुर्तगाली कानूनों के स्थान पर भारतीय कानूनों को लागू करना

6111. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ, दमन और दीव में पुर्तगाली कानूनों के स्थान पर भारतीय कानूनों को लागू करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) वस्तुत; सभी प्रमुख भारतीय कानूनों को, यदि उनके समकक्ष कोई पुर्तगाली कानून गोआ दमन तथा दीव में लागू थे तो उनके स्थान पर, वहां लागू कर दिया गया है। निम्नलिखित 23 भारतीय कानून गोआ दमन और दीव (प्रशासन) अधिनियम, 1962 की धारा 6 के अधीन जारी एक अधिसूचना द्वारा लागू किये गये थे :—

द गवर्नमेंट सेविंग्ज बैंक्स अधिनियम, 1873

द इंडियन टेलीग्राफ ऐक्ट, 1885

द इंडियन पोस्ट ओफिस ऐक्ट, 1898

द पोस्ट ओफिस कैश सर्टिफिकेट ऐक्ट, 1979

द क्रिमिनल लौ एमेन्डमेंट ऐक्ट, 1932

द इंडियन वायरलैस टेलीग्राफी ऐक्ट, 1933

द इंडियन डोक लेबरर्ज ऐक्ट. 1934

द इंडियन कैरेज बाई एयर ऐक्ट, 1934

द एग्रीकल्चर प्रोडियुस (ग्रेडिंग एण्ड मार्किंग) ऐक्ट, 1937

द बोम्बे होम गार्ड ऐक्ट, 1947

डोक वर्कज (रैगुलेशन आफ एम्पलायमेंट) ऐक्ट, 1948

द प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट, 1950

द ट्रांस्फर आफ प्रिज़नर्स ऐक्ट, 1950

द टेलीग्राफ़ वायर्ज (अनलोफुल पोज़ेशन) ऐक्ट, 1950

द मध्य प्रदेश कन्ट्रोल आफ म्यूज़िक ऐण्ड नौइजेज़ ऐक्ट, सम्वत् 2008

द रिक्वीजीशनिंग एण्ड ऐक्वीज़शन आफ इमपूवेबल प्रोपर्टी ऐक्ट, 1952

द इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीचूशन (सर्टिफिकेशन मार्क्स) ऐक्ट, 1952

द क्रिमिनल ला ऐमैंडमैन्ट ऐक्ट, 1952

द फोरवार्ड कंट्रेक्ट्स (रैगुलेशन) ऐक्ट, 1955

द एक्सपैंडीचर टैक्स ऐक्ट, 1957

द पब्लिक प्रैमिसेज् (ऐविक्शन आफ अनौथराइज्ड औकुपेंटस) ऐक्ट, 1958

द गवर्नमेंट सेविंग्स सर्टिफिकेट्स ऐक्ट, 1959

निम्नलिखित विनियम राष्ट्रपति द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, क्षेत्र के लिए प्रख्याप्तित किये गए :—

द गोआ, दमन तथा दीव (करैंसी कौइनेज) रैगुलेशन, 1962
(1962 का छटा)

द दम्मन (ऐबोलिशन आफ प्रोप्राइटरशिप आफ विलेजिज्) रैंगुलेशन, 1962
(1962 का सातवां)

द गोआ, दमन तथा दीव (रिपैल आफ पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ लोज्) रैगुलेशन, 1962
(1962 का आठवां)

द गोआ, दमन ऐंड दीव विलेज पंचायत्स रैगुलेशन, 1962
(1962 का नवां)

द गोआ, दमन और दियू (बैंक्स रिकंस्ट्रक्शन) रैगुलेशन, 1962
(1962 का ग्यारहवां)

द गोआ, दमन और दीव (लौज्) रैगुलेशन, 1962
(1962 का बारहवां)

द गोआ, दमन और दीव शैड्यूल्ड गुड्स (मूवमेंट कन्ट्रोल) रेगुलेशन, 1963
(1963 का 1)

द टैक्सेशन लौज् (ऐक्सटेंशन टु यूनियन टैरिटरीज्) रैगुलेशन, 1963
(1963 का 3)

द गोआ. दमन और दीव (जुडीशियल कमिशनर्ज् कोर्ट) रेगुलेशन, 1963
(1963 का 10 वां)

द गोआ, दमन और दीव (लौज्) नं० 2 रैगुलेशन,
(1963 का ग्यारहवां)

105 भारतीय कानून गोआ, दमन और दीव (लौज) रैगुलेशन 1962 द्वारा लागू किये गए। आयकर अधिनियम को मिलाकर कराधान के 7 कानून कराधान कानून (संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन) विनियम, 1963 द्वारा लागू किये गए। 68 भारतीय कानून गोआ, दमन और दीव (कानून) संख्या 2 विनियम, 1963 द्वारा लागू किये गए।

निम्नलिखित भारतीय कानूनों को लागू करने और क्षेत्र में लागू समकक्ष पुर्तगाली कानूनों के विखंडन के लिये संसद द्वारा कानून बनाया गया :—

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

पंच निर्णय अधिनियम, 1940

गोआ, दमन और दीव (प्रचूषित कर्मचारी) अधिनियम, 1965

गोआ, दमन और दीव की विधान सभा ने भी अनेक कानून पारित किये हैं जिनमें दीवानी न्यायालय अधिनियम शामिल है। इनमें से कुछ ने समकक्ष पुर्तगाली कानूनों का स्थान ले लिया है।

पाकिस्तान के विजय टिकट

6112. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री म० माझी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात् पाकिस्तान ने प्रचार कार्य हेतु विजय टिकट जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रचार हेतु भारतीय विजय टिकट जारी करने के लिये कोई कार्यवाही की थी; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार राज्य-मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : (क) 25 दिसम्बर, 1965 को पाकिस्तान ने निम्नलिखित तीन टिकट निकाले थे :—

(i) 7 पै० के मूल्यवर्ग का "सैल्यूट टु अवर आर्मी" नाम का टिकट।

(ii) 15 पै० के मूल्यवर्ग का "सैल्यूट टु अवर नेवी" नाम का टिकट।

(iii) 50 पै० के मूल्यवर्ग का "सैल्यूट टु अवर एयर फोर्स" नाम का टिकट।

(ख) अपने जवानों के सम्मान में भारतीय डाक-तार विभाग ने 26–1–1968 (गणतंत्र दिवस) को एक विशेष स्मारक डाक टिकट निकाला था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय प्रबन्ध संस्था (इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट) कलकत्ता

6113. श्री नायनार : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आम चुनावों के बाद कलकत्ता में स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्था (इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट) के प्रबन्धक बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने 1966 में इस संस्था को कितना धन दिया था ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता के संस्था ज्ञापन और नियमों के अनुसार, संस्थान की सोसायटी के मामलों का आम अधीक्षण, निदेशन तथा नियन्त्रण, ''संस्थान के शासी मंडल'' नामक निकाय में निहित है । कैन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों की कार्यावधि, उनकी नामजदगी/नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष है ।

बोर्ड के संविधान में अन्य बातों के साथ-साथ, वाणिज्य, उद्योग, श्रम तथा अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले छः व्यक्तियों की राज्य सरकारों के परामर्श से, केन्द्र द्वारा नामजदगी करने की व्यवस्था है । जिन छः सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया था उनमें से पांच स्थानों के लिए नई नामजदगियां की गई हैं । छठे सदस्य की नामजदगी के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

प० बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री पी० सी० सेन ने बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है । संस्था के ज्ञापन-पत्र और संस्थान के नियमों के अनुसार राज्य सरकार के परामर्श से उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ग) 1966–67 के दौरान संस्थान को 12.75 लाख रुपये का सहायक अनुदान दिया गया था ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये लोअर डिवीजन क्लर्कों के पदों का आरक्षण

6114. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लेखा विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्कों के 10 प्रतिशत पदों को आरक्षित करने का निश्चय किया है जिन पर चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों की नियुक्तियां की जायेंगी जिन्हें नौकरी करते हुये 15 वर्ष हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय केन्द्रीय मंत्रालयों तथा सरकार के अन्य विभागों पर भी लागू होगा; और

(ग) यदि नहीं. तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) महालेखा नियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक ने भारतीय लेखा नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण विभाग में कम से कम 15 वर्ष की सेवा वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की निम्न श्रेणी लिपिक वर्ग की रिक्तियों के दस प्रतिशत तक पर निर्धारित परीक्षा पास करने के बाद प्रत्येक वर्ष नियुक्ति की एक योजना बनाई है। महालेखा नियन्त्रक तथा लेखा परीक्षक की योजना की इस समय सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) सरकार इस बारे में जांच करेगी।

"अपना टेलीफोन लगवाइये योजना"

6115. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अपना टेलीफोन लगवाइये योजना" के आरम्भ होने से कितने टेलीफोन लगाये गये हैं;

(ख) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितना धन इकट्ठा हुआ है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत देश में चालू वर्ष में कितने टेलीफोन लगाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये और-क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार राज्य-मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) लगभग 1,10,000।

(ख) लगभग 26,00,00,000 रुपये।

(ग) 18,000

(घ) यह योजना उन स्थानों के लिये उपयोगी सिद्ध हुई है जहां की प्रतीक्षा-सूची लम्बी है तथा जहां कि आवेदकों में प्रारम्भिक रकम की अग्रिम अदायगी करने की आर्थिक क्षमता है। ऐसे स्थानों पर, इस योजना की और उन व्यक्तियों का ध्यान दिलाने के कदम उठाये जाते हैं जो कि टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक हों।

Cooling of Rooms in the Education Ministry

6116. **Shri Sheopujan Shastri :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state ;

(a) the total expenditure incurred in 1966-67 on making cooling arrangements for rooms of his Ministry;

(b) whether any complaints have been received from the employees of the Ministry about this arrangement; and

(c) if so, the action taken thereon ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Rs. 29,591.30 p.

(b) & (c) : No complaints were received from the employees of the Ministry regarding the cooling arrangements as such. Difficulties were, however, experienced like break-down of electricity, low voltage of electric current and low pressure of water supply, which affected the proper functioning of air-conditioning units, room coolers, fans etc. These were attended to promptly.

Circulars issued by the Education Ministry in Hindi

6117. **Shri Sheopujan Shastri :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of circulars office orders and appointment letters relating to class III and IV employees issued by his Ministry during 1966-67;

(b) the number of those among them of which Hindi translation was circulated and the number of those which were originally prepared in Hindi; and

(c) whether Government propose to issue Hindi translation of all the circulars, office orders and appointment letters or to prepare them in Hindi originally, in future ?

The Minister for State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) 2377

(b) 3 and 1920 respectively.

(c) Circulars and Orders pertaining to Class IV and Welfare matters are generally being issued in Hindi. Others circulars, orders etc. as far as possible will be issued in Hindi, or with Hindi translation.

Change in High School Education System

6118. **Shri Sheopujan Shastri :**
Shri Molahu Prasad :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government propose to re-introduce ten-year High School Course in the country; and

(b) if so, the extra expenditure involved thereon ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The recommendation made by the Education Commission that there should be a ten-year period of general school education is under the consideration of Government.

(b) The financial implications are being worked out by the State Governments.

Assistant Education Officers and Research Assistants in the Central Hindi Directorate

6119. Shri R. S. Vidyarthi :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Education** be pleased to state the number of Assistant Education Officers and Research Assistants declared surplus by the staff Inspection Unit of the Central Hindi Directorate who are likely to be absorbed for translation revision and publication work connected with the scheme for bringing out a Hindi edition of the monthly magazine—UNESCO COURIER ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : It is difficult at this stage to indicate the number of surplus Assistant Education Officers and Research Assistants in the Central Hindi Directorate, who are likely to be absorbed in connection with the publication of Hindi edition of the Unesco Cuorier as no fresh staff for this work has yet been sanctioned.

Increase in Prices by Central Government Consumer Cooperative Stores Ltd. New Delhi

6120. Shri S. M. Joshi :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Molahu Prasad :
Shri Madhu Limaye :
Shri S. M. Banerjee :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government Employees Consumer Cooperative Store has increased the price of pulses from the middle of June, 1967;

(b) if so, the percentage of increase in the price of various commodities;

(c) whether it is also a fact that the annual accounts of the said store are closed on the 30th June;

(d) if so, the reasons for increasing the prices from the middle of June;

(e) whether the said increase in the prices is not contrary to Government's policy of stabilising the prices; and

(f) if so, the steps being taken to bring the prices to their previous level ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S Ramaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The percentage of increase in the price ranges from about 4·/· in the case of Kala Chana to about 28./· in the case of Arhar.

(c) and (d) The annual accounts are closed on the 30th June; but this had nothing to do with the upward revision of prices of pulses in that month which became necessary due to increase in their procurement/purchase prices. Still the prices in the stores of the Society were generally lower than those in the open market.

(e) and (f) No Sir. The Society was set up with the object of providing articles of daily necessities to Central Government employees at reasonable and competitive rates. Being a commercial organisation, the Society has to determine the selling prices of various articles with reference to the procurement prices, the overhead cost, the general level of current market prices. The Society cannot afford to sell prices which are uneconomic resuling in loss.

Lathi Charge in Tihar Jail

6121. Shri D. C. Sharma :
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) wherher Government have given an assurance to institute a judicial enquiry regarding the lathi-charge on Goraksha Satyagrahis in Tihar Jail;

(b) if so, the terms of reference of the said enquiry;

(c) the action taken against the officers who ordered the lathi-charge;

(d) whether Government have ascertained the number of people who have become disabled as a result thereof and the amount of compensation paid to them; and

(e) whether Government have removed the Deputy Commissioner of Delhi from the post of Inspector General of Prisons, if so, the person posted now in his place ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e) A statement is attached

The Central Government have appointed under the Commissioner of Inquiry Act, 1952, a single member Commission of Inquiry consisting of Shri S. S. Dulat, a retired judge of the Punjab High Court and at present a member of the Law Commission, for the purpose of making an inquiry into the disturbances that took place in the Central Jail, Tihar, New Delhi, on the 29th June, 1967. The Commission shall:—

(a) inquire into and report on—

(i) the causes and course of the disturbances;

(ii) the way the jail authorities dealt with the situation; and

(b) recommend whether any change in the working arrangements or other measures are necessary to prevent the recurrence of similar incidents in the Jail.

Action, if any, to be taken against the officers and decisions on the question of compensation will be taken after the report of the commission is received. The question of be-linking the functions of I. G. Prisons and the Deputy Commisioner, Delhi is being examined.

Publication of Books by Central Hindi Directorate

6122. **Shri R. S. Vidyarthi :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Sharda Nand :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the reasons for not making sufficient progress so far in the publication of books under the scheme of the Central Hindi Directorate for production, translation and publication of the simplified General Knowledge and Science books with the help of publishers;

(b) whether it is proposed to start this work on departmental basis in the Central Hindi Directorate; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Taking into consideration the funds made available for the implementation of the scheme. The proess made so for cannot be deemed to be unsatisfactory.

(b) and (c) No. Sir; because the scheme aims at production of suitable literature in collaboration with the agencies already working in the field by giving them the necessary incentives.

राजनैतिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति

6123. **श्री पार्थसारथी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राजनैतिक पेंशन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनको उसी श्रेणी में शामिल किया गया है जो निजी थैलियां तथा कुछ विशेष सुविधायें पाने वाले भूतपूर्व राजा महाराजाओं की है;

(ग) क्या इस विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार की ओर से राजनैतिक पेंशनें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। अतः इस प्रकार की पेंशनें प्राप्त करने वालों की आधुनिकतम संख्या उपलब्ध नहीं है। कुछ समय पहले संकलित की गई सूचना के अनुसार उनकी संख्या 3683 थी।

(ख) जी नहीं ।

(ग) राजनैतिक पेंशनों को समाप्त करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

निजी थैलियां

6124. **श्री पार्थसारथी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1948 से (वर्षवार) निजी थैलियों के रूप में कितनी राशि दी जा रही है;

(ख) विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत ये नीजि थैलियां पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) एक लाख रुपये या अधिक राशि की निजी थैलियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) निजी थैलियों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व 1 अप्रैल, 1950 से केन्द्रीय सरकार का निजी थैलियों के रूप में दी गई राशियों को बतलाने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया. देखिये संख्या एल० टी० 1109(1)/67]**

(ख) और (ग) एक अन्य विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1109(2)/67]**

विद्रोही मिजो लोगों की गिरफ्तारियां

6125. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जून, 1967 को इम्फाल से लगभग 20 मील दूर कंघोकपी के निकट मनीपुर राइफल्स ने तीन मिजो लोगों को, जिनमें एक व्यक्ति 'मिजोरम पार्लियामेंट' का स्वनिर्मित सिनेटर तथा दूसरा व्यक्ति तथाकथित 'मिजोरम सेना' का एक कप्टेन तथा तीसरा व्यक्ति उसी सेना का एक लेफ्टिनेन्ट है, गिरफ्तार किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, किन्तु गिरफ्तारियां 29 जून, 1967 को की गई थी ।

(ख) उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है ।

दिल्ली में शवों को फैंकने की जगह

6126. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नरेला, नांगलोई तथा अलीपुर जैसे स्थानों के बारे में यह माना जाता है कि ये स्थान शवों के फेंके जाने के लिये कुख्यात है;

(ख) क्या इन स्थानों में अनेक मृत तथा विकृत शव पाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन अपराधों को रोकने तथा ऐसी घटनाओं के बाद इन क्षेत्रों से भय को मिटाने के लिये पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं। फिर भी, पिछले 6 महीनों के दौरान नरेला थाने के क्षेत्र में मृत शरीर पाये जाने के दो मामले हुए। इन दोनों मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) ये दोनों मामले इक्की-दुक्की घटनाओं के थे। अतः दैनिक गश्त के अतिरिक्त कोई और विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई है।

'सर्वोच्च' पदों पर नियुक्ति

6127. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तरदायी पदों के लिये वस्तुतः योग्यता प्राप्त लोगों की कमी है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियां करने के उद्देश्य से लोगों को प्रशिक्षण देने की कोई योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है तथा उसे कार्यान्वित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) व्यवस्था पर पूर्णकालिक तथा अंशकालिक पाठ्यक्रमों की सुविधायें कलकत्ता तथा अहमदाबाद की इंस्टिच्यूट्स आफ मैनेजमेंट में और विभिन्न विश्वविद्यालयों में पहले ही विद्यमान हैं। कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्तरीय विशेष कार्यक्रमों की भी इंस्टिच्यूट्स आफ मैनेजमेंट्स तथा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालिज, हैदराबाद में व्यवस्था की जाती है। सरकारी कर्मचारियों के न केवल तकनीकी पहलुओं में ही प्रशिक्षण अपितु योजना तथा प्रशासन के तरीकों में सुधार के लिए ही जबरदस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता को सरकार जानती है। प्रशिक्षण के कुछ क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालयों तथा संस्थाओं के परामर्श से ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। एक विशेष कार्य अधिकारी पहले ही नियुक्त किया जा चुका है और आशा है कि प्रशासन, व्यवस्था तथा विकास कार्यक्रमों के आयोजन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तालमेल उत्पन्न करने के लिये शीघ्र ही गृह कार्य मन्त्रालय में एक प्रशिक्षण स्कन्ध स्थापित किया जायेगा। लोक उपक्रम विभाग व्यवस्था नियन्त्रण, उपक्रमों के आयोजन और उपक्रमों की वित्तीय व्यवस्था के प्रशिक्षण में तालमेल रखेगा। इसी प्रकार क्षेत्र विकास आयोजन तथा प्रशासन, आर्थिक आयोजन के उपाय और तकनीकों, वित्तीय व्यवस्था तथा वित्तीय संगठनों, और प्रबन्धकों के प्रशिक्षण तथा उन्हें अनुपस्थिति का ज्ञान प्राप्त कराने, पर्यवेक्षकों तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी। आशा है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से कुछ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लागू हो जायेंगे।

राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, वाशिंगटन के साथ भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखपोषण केन्द्र का करार

6128. **श्री नायनार** :

श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखपोषण केन्द्र ने राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, वाशिंगटन के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हां, करार में क्या क्या मदें शामिल की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) करार की महत्वपूर्ण बातें निम्नांकित हैं:—

(1) यह 1 जुलाई, 1966 से 31 दिसम्बर. 1969 तक लागू रहेगा जब तक कि कोई भी पार्टी तीन महीने की पूर्व सूचना देकर उसे रद्द न कर दे ।

(2) यह करार अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में मूल रूप से प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं, पुस्तकों मालाओं. पुस्तकों. निबन्धों आदि का अंग्रेजी में अनुवाद तथा मुद्रित करने. भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में संदर्भ ग्रन्थ सूचियों का निर्माण तथा दोनों पक्षों में आपस में सहमत अन्य सम्बन्धित मामलों के लिए है ।

(3) करार के अन्तर्गत किये गये कार्य के लिये प्रतिष्ठान इन्सडोक को. मुद्रित पाठ के, प्रतिष्ठान को भेजे गये और स्वीकृत अंग्रेजी पृष्ठों की वास्तविक संख्या के आधार पर निम्न प्रकार अदायगी करेगा:—

	पृष्ठों की संख्या	**प्रति मुद्रित पृष्ठ की दर**
		रुपए
(i)	1 से 4,000 पृष्ठ (समस्त पृष्ठों के लिए)	84.25
(ii)	4001 से 8000 पृष्ठ (समस्त पृष्ठों के लिए)	78.00
(iii)	8001 से 12,000 पृष्ठ (समस्त पृष्ठों के लिए)	71.00

ये दर इस अनुमान पर आधारित हैं कि प्रतिष्ठान का आर्डर किसी भी निस्काय के लिये 500 प्रतियों से अधिक न होगा । 500 प्रतियों से अधिक का आर्डर प्राप्त होने पर 100 प्रतियों के लिए 2.00 रुपये से अधिक का पृष्ठ मूल्य में ऊपर की ओर समंजन कर लिया जायेगा ।

'इन्सडोक' द्वारा भारत की शिक्षा सम्बन्धी सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची के प्रत्येक संस्करण के लिए, जिसकी प्रतिष्ठान को दिये जाने के लिए 4000 प्रतियां छापा जायेगी, उसे 26,345 रुपए मिलेंगे । तथापि, प्रतिष्ठान द्वारा स्वीकृत और 30 प्रतियों में उसे दिये जाने वाले 'इन्सडोक' द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक संस्करण के लिए 'इन्सडोक' को 1 जुलाई, 1967 से 20,545 रुपये दिये जायेंगे ।

इस करार के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य के लिए 'इन्सडोक' को अधिकतम 8,39,872 रुपये की अदायगी हो सकेगी ।

(4) इस करार के अन्तर्गत अनूदित अथवा प्रकाशित कोई भी सामग्री 'इन्सडोक' द्वारा अधिक संख्या में मुद्रित की जा सकती है और उसे बेचा जा सकता है।

अखिल भारतीय रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ, तृतीय श्रेणी केरल सर्किल

6129. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 24 जून, 1967 को अखिल भारतीय रेलवे डाक सेवा कर्मचारी संघ, तृतीय श्रेणी, केरल सर्किल की ओर से कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन में क्या बातें उठाई गई हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) ऐसा एक ज्ञापन 30 जून, 1967 को प्राप्त हुआ था।

(ख) सभा-पटल पर मांगों की एक सूची रखी जा रही है। [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल०टी०1110/67**]। चूंकि ज्ञापन एक सर्कल यूनियन द्वारा पेश किया गया था, अतः केरल के पोस्ट मास्टर जनरल मौजूदा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करेंगे। शाखा तथा सर्कल यूनियनों द्वारा डाक-तार सर्कलों के विभिन्न अध्यक्षों को भेजे गये इसी प्रकार के ज्ञापनों में दी गई रेल डाक व्यवस्था कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करने की सभी पोस्ट मास्टर जनरलों को हिदायतें दे दी गई है।

केरल में चीनी साहित्य का बेचा जाना

6130. श्री कामेश्वर सिंह : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री सेक्वीरा : **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में चीनी साहित्य बेचा जा रहा है तथा बड़े पैमाने पर बांटा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगा लिया है कि यह साहित्य कहां से उपलब्ध होता है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकार से तथ्य मंगाए जा रहे हैं।

गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) योजनायें

6131. श्री जॉर्ज फरनेन्डीज़ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीसरी लोक सभा का प्राक्कलन समिति के 66वें, 100वें तथा 9वें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिश के आधार पर गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) योजनाओं के कार्य के पुनर्विलोकन के लिये विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति के क्या निदेश पद होने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) ये सिफारिशें राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेजी गई थीं और आयोग ने इस विषय पर एक अध्ययन दल नियुक्त करने का निर्णय किया है ।

(ख) यह अध्ययन दल गोदी कर्मचारी (रोजगार का विनियमन) योजनाओं का पुनरीक्षण करेगा और ऐसे अध्ययन व जांच करेगा जो कि पत्तन तथा गोदी श्रमिकों की कार्यदक्षता और उत्पादिता बढ़ाने के लिये पत्तनों में अपनाए गये उपायों के सम्बन्ध में आवश्यक हो ।

गोदी कर्मचारियों की सलाहकार समिति

6132. श्री श्रीधरन :
श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़

क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोदी कर्मचारियों की सलाहकार समिति के क्या कृत्य हैं;

(ख) समिति के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उन्हें किन तारीख़ों को नाम-निर्देशित किया गया था; और

(ग) समिति की पिछली बैठक कब हुई थी तथा उसमें क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) इस समिति का कार्य गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन), अधिनियम, 1948 के प्रशासन या उसके अन्तर्गत चलाई जाने वाली किसी योजना से उत्पन्न ऐसे मामलों पर सलाह देना है जो कि सरकार उसके पास सलाह के लिये भेजे ।

(ख) इस समिति की अन्तिम गठन 17 अगस्त, 1963 को हुआ परन्तु मार्मागोवा पत्तन के तीन प्रतिनिधियों को इस समिति में 7 जुलाई, 1965 को नियुक्त किया गया। समिति के सदस्यों की एक सूची संलग्न हैं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1111/67**]।

इस समिति की अन्ति बैठक 26 अप्रैल, 1967 को कोचीन में हुई। इस समिति की महत्वपूर्ण-सिफारिशें इस प्रकार है:—

(i) श्रमिकों के जिन वर्गों को अभी तक विभिन्न स्थायीकरण और सूचीबद्ध योजनाओं का लाभ नहीं उठाया उन्हें धीरे-धीरे ये लाभ प्राप्त करने चाहिये।

(ii) जब मजदूरी और महगाई भत्ते आदि में संशोधन पिछली तारीख से हो, तो इनसे सम्बन्धित बकाया रकम की अदायगी बोर्डों की निधियों में से की जानी चाहिए और बोर्डों द्वारा, यदि आवश्यक हो, तो नियोजकों पर अतिरिक्त कर लगाकर यह रकम पूरी की जानी चाहिए।

(iii) सक्षम व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए गोदी श्रमिक बोर्डों के कर्मचारियों को पर्याप्त तनख्वाह या वेतन दिया जाना चाहिए।

गुजरात में डाक व तार विभाग द्वारा किराये पर इमारतें ली जाना

6133. **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में डाक व तार विभाग के अपने प्लाट होने के बावजूद उस विभाग ने अहमदाबाद में कैपिटल होटल के निकट अत्यधिक किराये पर एक भवन ले रखा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

संसद-कार्य तथा संचार राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

6134. **श्री नम्बियार :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री उमानाथ : **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री गणेश घोष :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में 1956 से कितने विस्थापित व्यक्ति आ चुके हैं; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को त्रिपुरा प्रशासन ने वहां बसा दिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्रालय में मन्त्री (श्री ल०ना० मिश्र) : (क) 2,33,374 व्यक्ति।
(ख) 2,33,374 व्यक्तियों में से,

(1) त्रिपुरा सरकार द्वारा 61,369 व्यक्ति त्रिपुरा में बसा दिये गये हैं।

(2) इसके अतिरिक्त 4801 परिवार, उनमें से वे जो सम्पत्ति विनियम करने आये थे, उनको. बैलों की जोड़ी, बीज तथा रासायनिक खाद की खरीद के लिए ऋण तथा अनुदान दिया गया है।

(3) 20,531 व्यक्तियों को अन्य राज्यों में पुनर्वास के लिए भेज दिया गया है।

(4) 44,934 व्यक्ति जो 1958 से 1963 के वर्षों के अन्तर्गत त्रिपुरा में आये थे वे सहायता के पात्र नहीं थे।

इसी प्रकार वे प्रव्रजक जो 1964 में या उसके बाद त्रिपुरा आये थे किन्तु सम्पत्तियों का विनियम करके नहीं आये थे और उन्हें शिविरों में आवास भी नहीं दिया गया था, वे भी किसी प्रकार की पुनर्वास सहायता के पात्र नहीं थे। शेष जो त्रिपुरा के शिविरों में रह रहे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी।

मिर्जा अफज़ल बेग की गतिविधियां

6135. श्री यशपाल सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनमत संग्रह मोर्चे के मिर्जा अफज़ल बेग की गतिविधियों पर लगे प्रतिबन्धों की और ढीला करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें किस प्रकार की ढील की जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) मिर्जा अफज़ल बेग को अनन्तनाग कस्बे की म्युनिसपल सीमा के अन्तर्गत रहने की अनुमति प्राप्त है. जहां वह इधर उधर घूमने के लिए स्वतन्त्र हैं। वह मण्डल-प्रायुक्त. कश्मीर. श्रीनगर की लिखित अनुमति के बिना प्रेस के साथ पत्र व्यवहार या कोई सार्वजनिक सभा में भाषण नहीं कर सकते हैं और न ही सार्वजनिक रूप से कोई वक्तव्य दे सकते हैं।

जामिया मिलिया इस्लामिया. नई दिल्ली

6136. श्री बलराज मधोक : **श्री ना० स्व० शर्मा** :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी : **श्री सूरज भान** :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के कालेज सैक्सन के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) गत वर्षों में, वर्ष-वार जामिया मिलिया इस्लामिया को कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क)

	1966-67 के दौरान नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या	स्टाफ की कुल संख्या
मानविकी और विज्ञान संकाय	395	34
शिक्षा संकाय	295	40
जोड़:—	690	74

(ख) वर्ष	शिक्षा मन्त्रालय	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	जोड़
1962-63	5,32,500	500	5,33,000
1963-64	8,50,000	47,150	8,97,150
1964-65	9,63,860	87,238	10,51,098
1965-66	14,85,901	2,68,627	17,54,528
1966-67	12,94,187	2,21,750	15,15,937
जोड़ :-	51,26,448	6,25,265	57,51,713,00

Selection of I.A.S. Officers

6137. **Shri Ram Avtar Sharma : Shri Atam Das : Shri Raghuvir Singh Shastri ; Dr. Surya Prakash Puri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the basis of selection of I.A.S. Officers by the Central Government;

(b) the number of I.A.S. Officers of each State who are working under Central Government on supertime scale;

(c) whether it is a fact that they cannot go to their respective States on this very scale on the basis of their seniority; and

(d) if so, the reasons therefor and the measures adopted by Government to remove the discontentment among the said Officers?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Selections are made on the basis of eligibility and suitability of officers for particular posts.

(b)	A. P.	13
	Assam	7
	Bihar	25
	D. and H. P.	2
	Gajarat	10
	Haryana	7
	J and K	—
	Kerala	6
	M. P.	17
	Madras	13
	Maharashtra	17
	Mysore	8
	Orissa	15
	Punjab	4
	Rajasthan	5
	U.P.	51
	W.B,	9

(c) Yes Sir; in a number of cases that would be so.

(d) The prospects of promotion to the supertime scale differ from State to State, being dependent on the size ef particular cadre, its seniority composition and the number of super-time Scale posts in the State. The Central Government, however, must of necessity adopt a uniform standard of seniority for I.A S. officers appointments to super-time scale posts under it from whichever State the officer might be drawn. That gives rise to the possibility of officers from certain States not being absorbed in super-time scale posts on their reversion to the State. This possibility being inherent in the system of deputation of officers from the States to Centre it cannot be eliminated altogether but efforts are made to keep it at a minimum by giving preference to the more senior officers from each State for appointments at the Centre subject to considerations of merit and suitability.

Criminal Cases in Delhi

6138. Shri Y. S. Kusbwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Ram Avatar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of criminals in Delhi was only 1100 three years ago, which has now gone upto 2600.

(b) whether it is a fact that one of the main causes of increase in the number of criminals is that Police remain on the look out for opportunities when such persons who went to give up criminal activities can be implicated in fabricated cases with a view to extract money from them; and

(c) the steps Government are contemplating to take to reduce the number of criminals ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

(b) No, Sir

(c) Effective surveillance is being maintained.

Statement

The Police maintain history sheets of known bad characters who habitually comit offences againist property. The number of such known bad characters in the Union Territory of Delhi is as under:—

Ist January, 1964	-	1934
Ist January, 1965	—	1957
Ist January, 1966	—	2029
Ist January, 1967	—	1971

In addition, a 'Rough Register' is maintained at every Police Station in order to keep watch over anti-social elements and roughs who do not commit property offences habitually but who otherwise indulge in anti-social activities like eve-teasing, criminal intimidation etc. The number of such persons on the Rough Register is given below:—

Ist January, 1964	—	1149
Ist January, 1965	—	1469
Ist January, 1966	—	1768
Ist January, 1967	—	1772

The figures in respect of history sheeters and those on the Rough Register are not mutually exclusive because many of the notorious history sheeters would also come on to the Rough Register.

श्रमिकों में अनुशासनहीनता

6139. **श्री मरंडी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में श्रमिकों में अनुशासनहीनता के बारे में अध्ययन करने का सरकार का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का भी परामर्श लिया जायेगा;

(ग) क्या इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई समिति बनाई जा रही है, और यदि हां, तो कब: और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने में श्रमिकों में अनुशासनहीनता एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर सरकार हर समय नजर रखती है। कोई विशेष अध्ययन करने का विचार नहीं है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ब्रिटिश स्वामित्व वाली कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी का अपने हाथ में लिया जाना

4140. **श्री मरंडी :**
श्री जार्ज फरनेंन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री रवि राय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार का विचार ब्रिटिश स्वामित्व वाली कलकत्ता ट्रामवे कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उसकी सहमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विधाचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता ट्रम्वेज कम्पनी (व्यवस्था-ग्रहण) विधेयक, 1967 को राज्य विभानांग द्वारा पारित कर दिया गया है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया है।

(ग) विधेयक की जांच की जा रही है।

एर्नाकुलम में स्वचालित टेलीफोन

6141. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अब्राहम :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में एर्नाकुलम टाउन में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब कार्य रूप दिया जायेगा ?

संसद कार्य तथा संचार राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) एर्नाकुलम-कोचीन टेलीफोन क्षेत्र में तीन टेलीफोन एक्सचेंज हैं। दो एक्सचेंजों अर्थात् कोचीन तथा विलिंगडन द्वीप के एक्सचेंजों को पहले ही स्वचल बनाया जा चुका है।

एर्नाकुलम नगर एक्सचेंज के लिए, जो कि इस समय करचल एक्सचेंज है, एक नई इमारत बनाई गई है और 3000 लाइनों के नये क्रासबार स्वचल एक्सचेंज को लगाने का काम प्रगति पर है। इस एक्सचेंज के 1968 के मध्य तक चालू हो जाने की संभावना है।

Free Education

6142. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in nine States of the country, education is free upto eighth class;

(b) if so, whether Bihar is included in those nine States;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether the Central Government are contemplating to provide for free education upto the Entrance Standard in Bihar also by giving some central grants in view of famine conditions prevalent there; and

(e) if so, the details thereof;

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Yes, Sir.

(b) In Bihar education is free upto eighth class for girls only.

(c) Due mainly to paucity of resources.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

भारतीय उर्वरक निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष की पुनर्नियुक्ति

6143. **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री मधु लिमये :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरज निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक श्री बी० सी० मुखर्जी ने सरकारी सेवा से निवृत होने के पश्चात् एक गैर-सरकारी फर्म में नौकरी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फर्म का भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे स्थित कारखाने के निर्माण से कोई सम्बन्ध था; और

(ग) क्या श्री मुखर्जी ने इस गैर-सरकारी फर्म में नौकरी करने से पहले सरकार से अनुमति ले ली थी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) जी नहीं। श्री मुखर्जी सरकारी सेवा से 6-12-60 को निवृत हुए थे। नियमानुसार सेवा निवृत अधिकारी को अपनी निवृति से दो वर्ष तक की अवधि के अन्दर किसी गैर-सरकारी फर्म में नौकरी करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।

सिनेमा हालों में राष्ट्र गान का रिकार्ड बजाया जाना

6144. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **गृह कार्य** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन द्वारा भारत पर किये गये आक्रमण के पश्चात् भारत में सिनेमा हालों में जिस उद्देश्य से राष्ट्र गान का रिकार्ड बजाना आरम्भ किया गया था, क्या वह उद्देश्य पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या भारत में सिनेमा हालों में राष्ट्र गान का रिकार्ड बजाना जारी रखने देने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) सिनेमा हालों में राष्ट्रगान का रिकार्ड बजाना राष्ट्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने, जनता को राष्ट्रगान के सही गायन से परिचित कराने, मातृ भूमि की अखंडता, सम्मान तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके निश्चय के प्रदर्शन, और राष्ट्रगान का सम्मान करने की आदत डालने के लिए शुरू किया गया था। यह कार्य एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है अतः इसको समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

हरयाना के मुख्य मंत्री द्वारा आरोप

6145. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हरयाना के मुख्य मंत्री ने कहा था कि कुछ केन्द्रीय मंत्री गैर कांग्रेसी सरकारों को सता से उतारने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं और वे देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करने की और समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं तथा विकास सम्बन्धी कार्यों की देखभाल नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 6 जुलाई, 1967 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हरयाना के मुख्य मंत्री ने राज्य मंत्रिमंडलों को उखाडने के प्रयत्नों में केन्द्रीय नेताओं के सक्रिय भाग लेने के विषय में एक सरसरी सी टिप्पणी की थी।

(ख) यह आरोप निराधार है। केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण प्रधान मंत्री के उद्घाटन भाषण में स्पष्ट रूप से बता दिया गया था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले में पाकिस्तान के अवैध कब्जे के समाचार

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले के थाना करीमपुर में 4852 एकड़ भारतीय राज्य क्षेत्र पर वर्ष 1963 से चले आ रहे पाकिस्तान के अवैध कब्ज के समाचार"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : नई दिल्ली से प्रकाशित हिन्दी दैनिक हिन्दुस्तान में 17 जुलाई 1967 को एक समाचार छपा था कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के करीमपुर थाना में चार गांवों की 4,852 एकड़ से भी अधिक जमीन पर पाकिस्तान का कब्जा बना रहने के कारण लोगों में बड़ा रोष है। रिपोर्ट में वास्तव में 1657.68 एकड़ अथवा लगभग 2.59 वर्गमील क्षेत्र की चर्चा की गई है। जिसमें बूसभारी, भदूगरी और अन्धरकोट नामक तीन गांव आते हैं। यह इलाका जो 1958 के भारत पाकिस्तान करार के अन्तर्गत भारत के पास आना है, अब पाकिस्तान के कब्जे में है।

2. दिसम्बर, 1948 के अन्तर-डोमिनियन करार के बाद, जिसमें पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के बीच समूची सीमा का रेखांकन करने की व्यवस्था है, कुल 1349 मील में से लगभग 1676 मील का वस्तुतः स्तम्भ लगाकर रेखांकन कर दिया गया है।

3. 1958 के भारत-पाकिस्तान करार के अन्तर्गत, यह निर्णय किया गया कि जो रेखांकन पहले किया जा चुका है, उसके परिणाम स्वरूप प्रदेश की अदला बदली करने के प्रश्न पर जल्दी विचार किया जाना चाहिए। इन करारों की रोशनी में सीमा के रेखांकन के फलस्वरूप कुछ प्रदेश, जो एक देश के प्रतिकूल अधिकार में आगए थे, दूसरे देश की स्थानांतरित कर दिए जायं। लेकिन, पाकिस्तान का कहना है कि इन प्रदेशों की अदला-बदली तभी होनी है जबकि समूची सीमा का रेखांकन हो जाए और पट्टीदार नक्शों का आदान प्रदान कर दिया जाए। इस तरह का रेखांकन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

रेखांकन का कार्य जल्दी निपटाने की पूरी कोशिश की जा रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta : There are certain other territories of India in West Bengal which are in the possession of Pakistan. I would like to know the names of such territories, since when they have been occupied by Pakistan and when those cases were reported to Pakistan. I would also like to know whether possession of some of them has been given to Pakistan in accordance with any agreement.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इन तीन ग्रामों की भूमि 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है। जब क्षेत्रों का तबादला होगा तो यह क्षेत्र भारत को मिलेंगे।

There is no disputed area on West Bengal-East Pakistan border. All the matters have been settled. Now it is only a question of exchange.

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : यह सरकार सभा को कोई सूचना नहीं देती है। आसाम में पाकिस्तान ने भारत के लगभग 748 बीघा क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता।

Shri Shiv Kumar Shastri (Aligarh) : May I know whether any territory belonging to Pakistan is in the possession of India ?

Shri Surendra Pal Singh : Approximately 1.49 square mile land belonging to Pakistan is in our possession whereas 2.59 square miles of land belonging to Pakistan is in our possession. This territory will be exchanged between the two countries.

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : On a point of order, Sir, I would like to draw your attention to Article 1 of the constitution and the occupation of Indian territory by other countries. Nearly 70 to 80 thousand acres of our land has gone to others........

अध्यक्ष महोदय : यह सभी मामले इस प्रकार नहीं उठाये जाने चाहिये। ऐसे मामले मेरे समक्ष लाये जाने चाहियें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Since the time of late Jawahar Lal Nehru, there is a tendency to term such territory which has gone to the possession of other country as a disputed territory and call those incidents as minor and petty incidents.

The Minister has said that this land is in possession of Pakistan since 1947 but the late Prime Minister Shri Nehru stated in reply to a question by Shri Chatterji on 16th September 1963,

"It is unfortunate that till then the **status quo** is not recongnised by Pakistan, although they have agreed to do so some time ago."

It appears that the Bhoodan movement of Shri Vinoba Bhave is being applied by the Government in international spheres and they are giving away Indian territory to other countries.

Shri Surendra Pal Singh : There is no question of land being given. These three villages belong to us and will ultimately come to us. It is in their possession before 1947.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : श्रीमान, मैं लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान, प्रत्येक विवरण के सामने दिखाये गये, मन्त्रियों द्वारा

दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 1	दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 3	(पहला सत्र, 1967) (चौथी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 5	सोलवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 8	पन्द्रहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 12	चौदहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 13	बारहवां सत्र, 1965 (तीसरी लोक-सभा)
(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 18	ग्यारहवां सत्र, 1965 (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० **1072/67**]

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड) सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(2) उपरोक्त प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों के बारे में दिनांक 19 जुलाई, 1967 के सरकारी संकल्प संख्या डी यू आर-21 (4)/66 की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० **1073/67**]

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

दूसरा प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड): श्रीमान, मैं विशेषाधिकार समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

सातवां प्रतिवेदन

श्री पें० बेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)-भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था--के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 76वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

औद्योगिक लाइसेंस देने संबन्धी जांच समिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: COMMITTEE OF INQUIRY ON INDUSTRIAL LICENSING

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ० अ० अहमद) : मैं औद्योगिक लाइसेंस देने सम्बन्धी जांच समिति के बारे में 31 मई, 1966 को राज्य सभा में दिये आश्वासन के सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1095/67]**

विधेयक के पुर : स्थापन के बारे में

Re: INTRODUCTION OF A BILL

An hon. Member : On a point of order, Sir, I would like to know why the permission has not been granted to present Gandhi jis' views on Indian Trusteeship Bill.

अध्यक्ष महोदय : इस पर बाद में विचार किया जायेगा।

तुतीकोरिन बन्दरगाह परियोजन के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: TUTICORIN HARBOUR PROJECT

परिवहन व नौवहन मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : कुछ लोगों द्वारा यह सन्देह प्रकट किया जा रहा है कि तूतीकोरिन पत्तन परियोजना समाप्त कर दी गई है अथवा भारत सरकार का उक्त परियोजना को समाप्त कर देने का विचार है। संसद के कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ से संसद में पूछे गये प्रश्नों में तथा लिखे गये पत्रों में इसकी चर्चा की है और लोक सभा में इस पर आध घंटे के विचार विमर्ष की मांग की है। सरकार को इस आशय के प्रतिवेदन भी दिये गये हैं कि मंगलौर और तूतीकोरिन पतन परियोजनाओं में साम्य बनाये रखा जाये।

मैं माननीय सदस्यों को अश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार ने परियोजना को समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। परियोजना पर काम जारी है। परियोजना में 20 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी धनराशि का विनियोग है। अत: उसके कार्यक्षेत्र की व्याख्या करना और ऐसे अन्य उपायों का करना आवश्यक है जो उसे सशक्त करें। जब यह परियोजना तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई थी तब यातायात सम्भाव्यता की निश्चित निर्धारण न हो सकने के कारण उसके कार्यक्षेत्र का निश्चयन नहीं हो सका था। समूची परियोजना के निर्धारण और स्वीकृति के न होने वे कारण समय समय पर उस पर प्रारम्भिक कार्यों की स्वीकृति दी जाती रही। 1966-67 के अन्त तक उसके तटीय कार्यों अर्थात् भूमि प्राप्ति, सड़क, रेलवे साईडिंग, कर्मचारी निवास स्थान तथा एक छोटी पनकट दीवार की पूर्ति में 5.22 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

प्रयोज्य आर्थिक अनुसन्धान की राष्ट्रीय परिषद, राज्य सरकार तथा परिवहन मंत्रालय के एक अधिकारी द्वारा विभिन्न यातायात अध्ययन किये जा चुके हैं। उनके द्वारा किये गये यातायात के प्राक्कलन 1970-71 तक 115 मिलियन टन से लेकर 20 लाख टन वार्षिक तक के बीच के होते हैं। इन परिवर्तित प्राक्कलनों के कारण संबद्ध मंत्रालयों की सलाह से और आगे जांच की गई जो पत्तन द्वारा बड़े माल के धरे उठाये जाने की सम्भावना के बारे में थी और जिसकी मौजूदा लक्षणों के अनुसार सम्पूर्ण यातायात के 1.55 मिलियन टन होने की आशा है।

पत्तन के तैयार होकर काम करने के बाद प्रथम 18 वर्षों के लिये पूंजी की पुर्नअदायगी की वार्षिक किश्त और व्याज की वार्षिक अदायगी के लिये यातायात पर्याप्त नहीं होता है। इस अवधि में पूंजी और ब्याज की पुर्नअदायगी के लिये 26.86 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण देयता के विपरीत पत्तन केवल 14.98 करोड़ रुपये ही दे सकेगा और 9.35 करोड़ रुपये की कमी रह जायेगी जिसमें संचित हुई कमियों का ब्याज भी शामिल होगा। उन्नसवें वर्ष से पत्तन पूंजी और ब्याज के वार्षिक प्रभार की पूरी अदायगी करने की स्थिति में होगा। यहां यह कह देना भी आवश्यक है कि यातायात सम्भाव्यता के सुधार होने पर उल्लिखित संख्याओं में अनुकूल दिशा में परिवर्तन भी हो सकेगा।

इस वित्तीय स्थिति के कारण, केन्द्र तथा राज्य के सामान्य हितों में यह आवश्यक है कि परियोजना को उपयोगी होने के लिये उसकी आर्थिक जीवाश्मता में सुधार किया जाना चाहिये। बहुत कुछ इस बाद पर निर्भर करेगा कि उस क्षेत्र का औद्योगीकरण करने तथा यातायात की अधिक मात्रा के लिये सुविधाओं का निर्माण करने में मद्रास सरकार स्वयं क्या कुछ करती है। फिर भी यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि अन्य पत्तन परियोजनाओं की तुलना में इस परियोजना की आर्थिक जीवश्मता में सुधार की आवश्यकता है। मैंने इस विषय पर मद्रास के मुख्य मंत्री से 4 जुलाई को विचार विमर्श किया था। हम इस बात पर सहमत हो गये थे कि परिवहन मंत्रालय तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों का एक अधिकारी दल परियोजना की यातायात सम्भाव्यता और जीवश्मता के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचा करे। यह दल आधुनिकतम निर्धारण पर आधारित यातायात का सशक्त पुनरीक्षित प्राक्कलन ही नहीं रखेगा वरन् यातायात की उच्चतर मात्रा के सुनिश्चियन के लिये मद्रास सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली नीतियां भी निश्चित करेगा। दल के रिपोर्ट पेश कर देने के बाद मद्रास के मुख्य मन्त्री और मैं संयुक्तरूप से इस पर विचार करेंगे और उसके बाद परियोजना के कार्य क्षेत्रों और अन्य ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

उपरोक्त अध्ययन न होने तक, आवश्यक सीमा तक परियोजना के काम को जारी रखने के लिये 1967-68 के लिये धन राशि का आवंटन 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 100 लाख रुपये कर दिया गया है।

इस वक्तव्य तथा मद्रास के मुख्य मन्त्री से इस विषय पर हुये मंत्रीपूर्ण विचार विमर्श के प्रकाश में सरकार आशा करती है कि इसमें सब संबद्ध पक्ष समझौता और धेय पूर्ति की भावना से पारस्परिक सहयोग से काम करेंगे और इस प्रश्न पर आन्दोलनकारी रवैया न अपनाएंगे।

जहां तक मंगलौर और तूतीकोरिन पत्तन परियोजनाओं के बीच में भेद करने का प्रश्न है मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रत्येक परियोजना अपनी योग्यता और सम्भाव्य घरा उठाई किये जाने वाली यातायात की मात्रा के अपने स्वयं के गुणों के अनुसार विकसित किया जाता है। यद्यपि इन पत्तनों के बीच स्पष्टतः तुल्यता हो सकती है और वे किसी भी पत्तन परियोजना में हो सकते हैं, किन्तु आर्थिक जीवश्मता निर्धारण करने के लिये एक मानदण्ड लगाने जाने से ही उसे जाना जा सकता है और अन्य किसी तरीके से नहीं।

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मैंने आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे दी है।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : यह मामला बहुत बड़ा है। इसके लिये आधे घण्टे की चर्चा अपर्याप्त होगी।

अध्यक्ष महोदय : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि सदस्यों ने अभी प्रश्न करने आरम्भ कर दिये तो मालूम नहीं कितना समय लग जाये। यह भी हो सकता है कि यह चर्चा लाभदायक सिद्ध न हो। इसलिये मैंने आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति देना ही ठीक समझा है। इससे संसद तथा सम्बन्धित परियोजना को भी लाभ होगा।

श्री कन्डप्पन : मुदालियार समिति के प्रतिवेदन के बारे में मैं एक जानकारी चाहता हूं । सेतुसमुद्रम नहर को गहरा करने का काम भी इसी परियोजना से सम्बन्धित था । क्या कारण है कि सरकार ने यह कहा है यह परियोजना उस परियोजना से अलग है ।

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के बारे में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

STATEMENT ON MEDIA OF EDUCATION AT UNIVERSITY STAGE

शिक्षा मन्त्री (श्री त्रिगुण सेन) : विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार करने का प्रश्न देश के सामने लगभग सौ साल से रहा है । इसके लिए पहली मांग 1 अगस्त, 1867 को पश्चिमोत्तर प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) के ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल को पेश किये गए एक स्मरण-पत्र में की गई थी । इस मांग को इसलिये मन्जूर नहीं किया गया था कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में जरूरी साहित्य उपलब्ध न था । यह प्रश्न बाद में भी कई अवसरों पर उठाया गया । पर फैसला हमेशा यही रहा । भारतीय भाषाओं में काफी साहित्य नहीं है कि शिक्षा माध्यम के रूप में उनका उपयोग किया जा सके । अंग्रेजी 1947 तक विश्वविद्यालय स्तर पर एक मात्र शिक्षा माध्यम बनी रही ।

2. इस सदी के तीसरे दशक में हमारे महान् राष्ट्रीय नेताओं ने इस नीति पर सीधी चोट की । रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने बताया कि भारत को छोड़ कर दुनियां में ऐसा कोई देश नहीं है, जहां शिक्षा की भाषा छात्रों की भाषा से पृथक हो और विश्वविद्यालयों में शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग उच्च ज्ञान और संस्कृति को नागरिकों के एक चुने हुए वर्ग तक ही सीमित कर देता है; उनको जनता के लिए सर्वजनीन रूप से सुलभ नहीं बनाता । "महात्मा गान्धी अक्सर और जोरदार शब्दों में इस विषय पर लिखते रहे : " अपनी मां के स्तनों की भांति ही मैं अपनी मातृभाषा को पसन्द करूंगा, भले ही उसमें कुछ अभाव हों । यह ही मुझे जीवन-प्रदायनी दुग्धधारा का वरदान दे सकती है" । उन्होंने कहा और यह भी लिखा : "मुझे यकीन है कि जिस राष्ट्र के बच्चे अपनी भाषा की जगह पराई भाषा में शिक्षा पाते हैं, वे आत्महत्या करते हैं । इससे उनकी सारी मौलिकता उनसे छीन ली जाती है । उनके विकास को रोक देता है और उनको उनके घर से विलग कर देता है । इसलिए मैं ऐसी चीज को प्रथम श्रेणी का राष्ट्रीय दुर्विपाक मानता हूं ।" गान्धी जी ने इस परिवर्तन को जितनी जल्दी हो सके, करने की जरूरत पर भी जोर दिया था । उन्होंने लिखा था : 'शिक्षा माध्यम को तुरन्त और किसी भी कीमत पर बदल देना चाहिये और प्रादेशिक भाषाओं को उनका उचित अधिकार दिया ही जाना चाहिये । मैं तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रोज-रोज इकट्ठी होती जा रही भयंकर बरबादी की जगह पर अस्थायी उथलपुथल को ज्यादा पसन्द करूंगा ।' इस बात पर भी ध्यान देना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि इस अवधि में जितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शुरू किये गए उन्होंने और भारतीय महिला विश्वविद्यालय ने भी भारतीय भाषाओं को शिक्षा माध्यम के रूप में अपनाया ।

3. इस समस्या की ओर दिये जाने वाले ध्यान में स्वाधीनता के बाद के काल में वृद्धि होती रही है और विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं को शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार करने की मांग निरन्तर बढ़ती रही है । **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग** (1948-49) ने सिफारिश की थी कि "उच्च शिक्षा प्रादेशिक भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिये और यह विकल्प रहना चाहिये कि संघीय भाषा का उपयोग कुछ या सभी विषयों के लिए किया जा सकेगा ।" **राष्ट्रीय एकता परिषद** (जून 1962) ने इस विचार का समर्थन किया था और कहा था ; "शिक्षा माध्यम में परिवर्तन उचित है, सांस्कृतिक अथवा राजनीतिक भावनाओं की दृष्टि से उतना नहीं जितना विषय वस्तु के समझने तथा ग्रहण करने को सुविधाजनक बनाने के बहुत महत्वपूर्ण शैक्षिक विचार से । इसके अलावा, विश्वविद्यालयीयन के व्यक्ति विद्या की प्रगति में सामान्य रूप से और विज्ञान तथा टैक्नोलोजी में विशेष रूप से अपना अधिकतम संभव योगदान देने में तब तक समर्थ नहीं हो सकते जब तक कि उसके जनसमूह, उसके कारीगरों और तकनीशियनों तथा उसके विश्वविद्यालयीयन व्यक्तियों के बीच प्रादेशिक भाषाओं के रूप में निरन्तर आदान-प्रदान का एक साधन न हो । देश में छिपी प्रतिभा का विकास भी, परिषद की राय में, तब तक अवरुद्ध रहेगा जब तक कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग नहीं किया जायगा ।" भावात्मक एकता सम्बन्धी समिति (1962) ने भी इन सिफारिशों से सहमति प्रकट की थी और कहा था "विश्वविद्यालय स्तर पर प्रादेशिक भाषाएं अपनाने में होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों की हमें जानकारी न हो, ऐसा नहीं है । ऐसे उपाय खोजना जरूरी होगा, जिससे स्तरों में गिरावट न आने पाये । परिवर्तन से पहले पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिये, तथा अंग्रेजी और जहां कहीं भी सम्भव हो, विश्व की अन्य आधुनिक भाषाओं से अनुवाद की व्यवस्था की जानी चाहिये । जब प्रादेशिक भाषाओं के रूप में ये परिवर्तन पूरा हो जाएगा, तो अन्तर-विश्वविद्यालय और अन्तर-राज्य संचार को बनाए रखने के लिए, जोडने वाली (कड़ी) भाषा-अंग्रेजी और हिन्दी के शिक्षण पर, विशेष ध्यान देना होगा । किन्तु, हम यह बताना चाहेंगे कि सुरक्षा के नाम पर परिवर्तन में अनिश्चित काल तक के लिए देर नहीं की जानी चाहिए ।"

कुलपति-सम्मेलन (1962) ने भी सामान्यतया राष्ट्रीय एकता परिषद तथा भावात्मक एकता समिति की सिफारिशों का समर्थन किया था । **शिक्षा आयोग** (1964-66) ने इस बारे में प्रबल सिफारिश की थी और कहा था हम सुझाव देते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालयों को एक ऐसा व्यवहारिक कार्यक्रम बनाना चाहिये, जो कि प्रत्येक विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालयों के वर्ग के लिये उपयुक्त हो । यह परिवर्तन यथासम्भव शीघ्र ही किया जाना चाहिये । किसी भी तरह यह लगभग दस वर्षों के भीतर हो जाना चाहिये । अपेक्षित यह है कि एक स्पष्ट नीति बनाई जाए, उसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया जाये, इसका दृढ़, साहसपूर्ण और कल्पनाशील कार्य के साथ अनुपालन किया जाए । इस प्रस्ताव का दसवें राज्य शिक्षा मंत्री सम्मेलन (अप्रैल 1967) द्वारा और शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्य समिति (1967) द्वारा भी समर्थन किया गया है । परन्तु वे इस परिवर्तन को पांच वर्षों में ही लाया जाना ज्यादा अच्छा समझेंगे ।

4. शैक्षिक और जनसमूह के इस अभिमत और इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि भारतीय भाषाओं को स्कूल स्तर और आधे से अधिक विश्वविद्यालयों द्वारा लगभग सर्वजनीन रूप से पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, भारत सरकार ने सिद्धान्तरूप में यह स्वीकार कर लिया है कि अब भारतीय भाषाओं को सभी स्तरों पर तथा कृषि, इन्जीनियरी, कानून, चिकित्सा तथा टेकनालोजी जैसे सभी विषयों में शिक्षा माध्यम के रूप में मान लिया जाना चाहिये। सरकार को दृढ़ विश्वास है कि जब तक यह नहीं किया जाता, तब तक लोगों की सृजन शक्तियां उन्मुक्त नहीं हो सकेगीं, शिक्षा के स्तरों में सुधार नहीं हो सकेगा, ज्ञान जनसाधारण तक नहीं पहुंच सकेगा और बुद्धिजीवियों तथा जनसमूह के बीच की खाई को नहीं पाटा जा सकेगा। इस संघर्ष पूर्ण शताब्दी के इस बड़े ही महत्वपूर्ण शैक्षिक निर्णय को क्रियान्वित करने के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं और वे 15 अगस्त, 1967 को घोषित कर दिए जाएंगे।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : क्या इस परिवर्तन के लिए कोई तिथि निर्धारित की गई है ?

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : Some date should have been fixed for this change over.

श्री कन्डप्पन (मेटूर) : नीति तथा सिद्धान्त पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस समय माननीय सदस्य केवल स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मेरे विचार में इस विषय पर एक घंटे की चर्चा करना अधिक लाभदायक है। इसमें प्रत्येक दल अपने विचार व्यक्त कर सकेगा।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): As the hon Minister has just now stated that this demand was first made on the 1st August, 1867 I would request him to implement this scheme from 1st of August, instead of 15 August, so that this century may constitute a separate chapter.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपना सुझाव दे सकते है।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पांचवा प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं प्रस्तुत करता हूं

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जो 18 जुलाई, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जो 18 जुलाई, 1967 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to request you, Sir, that some time may be allotted for a discussion on the statement in regard to the area of India made by Shri Chagla.

I would also like to request you to increase the time from one hour to two and a half hour for a discussion on the statement made just now by the Education Minister in regard to the medium of education at University level.

Shri S. M. Joshi (Poona) : I would like to request you to allot atleast one hour for discussion on the D. A. issue.

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : I want a clarification whether the members of Business Advisory Committee who fix time for separate items of business there can also ask something here in the House ?

अध्यक्ष महोदय : यदि यहां पर कुछ सुझाव दिये जाते हैं तो वे उन सुझावों पर विचार करेंगे । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को स्वीकार करना होता है ।

मंहगाई भत्ते के प्रश्न पर विचार किया जायेगा । मैंने इस बारे में उप-प्रधान मंत्री से बातचीत की थी । उनका कहना है कि जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं कर लेती वह इस बारे मे कुछ नहीं कह सकते ।

श्री वासुदेव नायर (पीरमाडे) : कोई निर्णय करने से पूर्व सरकार को सदस्यों के विचार जानने चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आगामी तीन अथवा चार दिन में होगी । उसके समक्ष इन सुझावों को रखा जायेगा ।

प्रश्न यह है

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जो 18 जुलाई, 1967 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

केन्द्रीय विधि (जम्मू-कश्मीर पर विस्तारण) विधेयक, 1967

THE CENTRAL LAWS (EXTENSION TO JAMMU AND KASHMIR) BILL

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर राज्य पर कतियय केन्द्रीय विधियों के विस्तारण के लिऐ उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि जम्मू-कश्मीर राज्य पर कतिपय केन्द्रीय विधियों के विस्तारण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

अनुदानों की मागें

DEMANDS FOR GRANTS

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिए तीन घण्टे का समय शेष हमारे पास है । स्वतन्त्र तथा साम्यवादी दल का समय समाप्त हो चुका है ।

श्री कन्डप्पन (मेट्टूर) : इस मंत्रालय के महत्व को देखते हुए आज सारा दिन इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मै पांच बजे के लगभग मंत्री महोदय को बुलाऊंगा । इस मत्रालय की निम्नलिखित कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया समझा गया है ।

कटौती प्रताव संख्या 4,5,7 से 11,22 से 30,34 से 39, 42 से 54, 69 से 91, 93 से 152, 178 से 199,

वर्ष 1967–68 के लिये

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
66	4	श्री रामावतार शास्त्री	टैक्सटाइल कारखानों के कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड के पंचाट को पूर्ण रूप से लागू करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
66	5	,,	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों के लिए गठित किये गये मजूरी बोर्ड के पंचाट पर इस निगम द्वारा अनिवार्य रूप से अमल करवाने में असफलता ।	एक रुपया
66	7	,,	कृषि श्रमिकों की दशा को सुधारने की आवश्यकता ।	100 रुपया
66	8	,,	निहित हितों द्वारा जन समुदाय का शोषण किया जाना रोकने की आवश्यकता ।	,,
66	9	,,	श्रमिक वर्ग को निर्वाह-मजूरी तथा अन्य सुविधायें दिये जाने की आवश्यकता ।	,,

66	10	श्री रामावतार शास्त्री	औद्योगिक श्रमिकों को पर्याप्त मजूरी भत्ते तथा अन्य सुविधायें देने के लिए कोई अखिल भारतीय नीति न होना ।	100 रुपया
66	11	,,	विस्थापित व्यक्तियों को बसाने में असन्तोषजनक व्यवस्था ।	,,
67	22	,,	खान मजदूरों की दशा सुधारने की आवश्यकता ।	,,
68	23	,,	गोरखपुर श्रमिक संघ में अनियमितताएं ।	,,
68	24	श्री रमानी	इंजीनियरी उद्योगों के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश को टैक्सटाइल कम्पनी, गणपति, कोयम्बतूर (मद्रास राज्य) के प्रबन्धकों द्वारा कार्य रूप न दिया जाना ।	,,
68	25	,,	सीमेन्ट उद्योग के दूसरे मजूरी बोर्ड द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब ।	,,
68	26	श्री शिंकरे	गोवा में लोहे और मेंगनीज की खानों में काम करने वालों के लिए चिकित्सा, शिक्षा और आवास की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव ।	,,
68	27	,,	गोवा में मांरमागोवा बन्दरगाह पर गोदी कर्मचारियों की रिहायशी क्वार्टर देने की आवश्यकता ।	,,

68	28	,,	लोहे और मैंगजीज की खानों और मारमागोवा पत्तन पर गोवा के श्रमिकों को रोजगार में प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	,,
68	29	,,	खानों और गोदियों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए चेचक, हैजा आदि के टीके लगाने अनिवार्य करने की आवश्यकता ।	,,
68	30	,,	गोवा स्थित खानों को श्रमिक दिलाने के लिए रोजगार बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
68	34	श्री स० मो० बनर्जी	मजूरी बोर्ड पंचाटों को लागू न करना ।	,,
68	35	,,	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का कार्यचालन ।	,,
68	36	,,	रेयन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की नियुक्ति की आवश्यकता ।	,,
68	37	,,	नियोजकों द्वारा अनुशासन संहिता का उल्लंघन ।	,,
68	38	,,	जीवन बीमा निगम, कम्पनियों तथा उद्योगों के कार्यालयों में इलैक्ट्रानिक संगणकों का प्रयोग तथा परिणामस्वरूप कर्मचारियों का बेरोजगार होना ।	,,
68	39	,,	लक्ष्मी रतन मिल्स, कानपुर में कर्मचारियों को उनकी भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान न किया जाना ।	,,

69	42	श्री शिंकरे	गोवा में निष्क्रान्त सम्पत्ति आयुक्त कार्यालय का असन्तोषप्रद कार्यचालन ।	1 रुपया
69	43	"	गोवा में विदेशों से स्वदेश लौटे व्यक्तियों पर व्यय सम्बन्धी नीति ।	"
68	44	श्री रमानी	इन्जीनियरी मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सिफारिशों को कार्यान्वित न करने के लिए मद्रास राज्य में इन्जीनियरी कारखानों के नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	100 रुपया
68	45	"	श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई मूल्यांकन तथा कार्यान्वियन व्यवस्था को ठीक रूप से चलाने में असफलता ।	"
68	46	"	श्रमिक संघों को अनिवार्य रूप में मान्यता देने के सम्बन्ध में अधिनियम बनाने की आवश्यकता ।	"
68	47	"	नियोजकों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत श्रमिकों की मज़ूरी से काटी गई राशियों की अदायगी न किये जाने के कारण कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मजदूरों को चिकित्सा सुविधायें देने से इन्कार करने के लिए नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही करने में असफलता ।	"

68	48	,,	नेवेली लिग्नाइट खानों के मजदूरों की मजूरी बढ़ाने की मांग-मंजूर करने के लिए तत्काल कार्यवाही में असफलता।	,,
68	49	,,	श्रमिकों को पर्याप्त तथा उपयुक्त भत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक नया लाभांश अधिनियम बनाने में असफलता।	,,
68	50	,,	कम्पूटर लगाने तथा इसके परिणामस्वरूप जीवन बीमा निगम तथा तेल कम्पनियों के कर्मचारियों की बेरोजगारी रोकने में असफलता।	,,
68	51	,,	देश में बीड़ी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए विधान बनाने में असफलता।	,,
68	52	,,	एक व्यापक विधान बनाकर ठेका श्रमिक प्रणाली समाप्त करने में असफलता।	,,
68	53	,,	उपयुक्त मजूरी निर्धारण व्यवस्था बनाकर सारे देश में कृषि श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने में असफलता।	,,
68	54	,,	मद्रास राज्य के कोयम्बतूर जिले में टैक्सटाइल मिलों के बन्द हो जाने से बेरोजगार हुए श्रमिकों की सहायता देने में असफलता।	,,

68	69	श्री मुहम्मद इस्माइल	पश्चिम बंगाल में पहले शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास में असफलता ।	100 रुपया
68	70	,,	पूर्वी पाकिस्तान से आये नये व्यक्तियों के पुनर्वास में असफलता ।	,,
68	71	,,	पश्चिम बंगाल में शिविरों में न रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में असफलता ।	,,
68	72	,,	पश्चिम बंगाल के सड़कों के किनारे की भूमि रेलवे की भूमि सार्वजनिक स्थानों और मुसलमानों द्वारा छोड़े गये मकानों के अनधिवासियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
68	73	,,	पश्चिम बंगाल में 1950 के बाद स्थापित अनधिवासियों की बस्तियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,
68	74	,,	पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की गैर-सरकारी और सहकारी बस्तियों को बसाने में सहायता करने में असफलता ।	,,
68	75	,,	पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के लिए गृह निर्माण ऋण की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की आवश्यकता ।	,,

68	76	,,	पश्चिम बंगाल में अनधिवासियों की बस्तियों के रिहायशी प्लाटों के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को अर्थ-सहायता दिये जाने की आवश्यकता ।	,,
68	77	,,	पश्चिम बंगाल के विस्थापित मुसलमानों के पुनर्वास में असफलता ।	,,
64	78	,,	पश्चिम बंगाल में विस्थापित महिलाओं के लिए लघु कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
68	79	,,	पश्चिम बंगाल में गैर-सरकारी नियोजकों को अपने उद्योगों में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए प्रेरित करने में असफलता ।	,,
68	80	,,	पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों को सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार देने में असफलता ।	,,
68	81	,,	पश्चिम बंगाल में जिन गैर-सरकारी नियोजकों ने पुनर्वास विभाग से इस शर्त पर ऋण लिए थे कि वे अपने उद्योगों में विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देंगे उनसे विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए न कहना ।	,,

66	82	श्री गणेश घोष	घरेलू नौकरों के हित (वेतन, काम करने की परिस्थितियों छुट्टी आदि की सुरक्षा करने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये ।
66	83	,,	कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को, उनके निर्धारित कार्य के समाप्त हो जाने के पश्चात्, स्थायी नौकरियां देने में असफलता ।	,,
66	84		जो नियोजक श्रमिकों सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनके लिए निवारक दण्ड की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
66	85		एक प्रतिष्ठान में केवल एक ही कर्मचारी संघ हो, इसके लिए उपयुक्त नीति बनाने में असफलता ।	,,
66	86	,	ठेका श्रमिक पद्धत्ति को समाप्त करने में असफलता ।	,,
66	87	,,	ठेका श्रमिकों के लिये सर्वतोमुखी कानूनी सुरक्षा की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
66	88	,,	मालिकों द्वारा की जाने वाली तालाबन्दी को गैर-कानूनी ठहराने में असफलता ।	,,
66	89	,,	औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को समझौता वार्ता में भाग लेने के लिए विवश करने में असफलता ।	,,

66	90	,,	श्रम नीति ।	
66	91	,,	उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में बेरोजगारी को कम करने में असफलता ।	,,
68	93	,,	गैर-सरकारी मालिकों को इसके लिये मजबूर करने में असफलता कि वे केवल क्षेत्रीय रोजगार दफ्तरों के माध्यम से ही व्यक्तियों को रोजगार दें ।	,,
68	94	,,	गैर-सरकारी और सरकारी प्रतिष्ठानों में स्वाचालित यन्त्रों का लगाना, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ती है, रोकने में असफलता ।	,,
69	95	,,	दण्डकारण्य क्षेत्र में स्थिति ।	,,
69	96	,,	जिन विस्थापित व्यक्तियों ने दण्डकारण्य, अन्दमान और अन्य अनुपयुक्त तथा निवास-अयोग्य क्षेत्रों को छोड़ दिया है, उनके प्रतिअ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ।	,,
69	97	,,	पूर्वी बंगाल से आये विभिन्न वर्गों के शरणार्थियों को, जैसे कि किसान, शिल्पी आदि, फिर से बसाने के लिए सही और कारगर योजनायें बनाने में असफलता ।	,,

69	98	श्री गणेश घोष	पूर्वी बंगाल से आये जो शरणार्थी क्षयरोग तथा अन्य भयंकर रोगों से पीड़ित हैं उनके लिये पर्याप्त चिकित्सा सुविधा, विशेष रूप से अस्पताल में उपचार की सुविधा, की व्यवस्था करने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
69	99	,,	पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गयी सम्पत्ति को "निष्क्रांत सम्पत्ति" घोषित करने के लिए उपाय करने में असफलता।	,,
69	100	श्री शिकरे	नये-नये स्वतन्त्र हुए पश्चिमी अफ्रीकी देशों से विस्थापित गोवानियों के पुनर्वास के लिए योजना बनाने की आवश्यकता।	,,
69	101	श्री रामावतार शास्त्री	शरणार्थियों का पुनर्वास करने में असफलता।	,,
66	102	,,	बिहार की खानों में काम करने वाले खनिकों के लिए मकानों के निर्माण की आवश्यकता।	100 रुपया
66	103	,,	श्रमिकों सम्बन्धी आवास योजना की नीति को प्राथमिकता देने की आवश्यकता।	,,
66	104	,,	औद्योगिक प्रतिष्ठानों के श्रमिकों के लिये मकानों के निर्माण के लिये राज्यों को अनुदान देने की आवश्यकता।	,,
				,,

66	105	,,	चाय बागान के श्रमिकों के लिये मकानों की कमी।	
66	106	,,	कोयला खानों के श्रमिकों के लिये मकानों की असन्तोषप्रद व्यवस्था।	,,
68	107	श्री मुहम्मद इस्माइल	श्रमिकों के प्रति प्रबन्धकों द्वारा बरते जाने वाले भेदभावपूर्ण और अनुचित व्यवहार को रोकने की आवश्यकता।	,,
68	108	,,	चिकित्सा का अधिकांश व्यय नियोजकों द्वारा दिया जाय और कर्मचारियों को जल्दी चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो इस सम्बन्ध में उपबन्ध करने के लिये कर्मचारी राज्य बीमा योजना में संशोधन करने की आवश्यकता।	,,
68	109	,,	सभी श्रमिकों के लिये न्यूनतम आधारभूत राष्ट्रीय मजूरी निर्धारित करने में असफलता।	,,
68	110	,,	सभी उद्योगों में तालाबन्दी पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता।	,,
68	111	,,	गैर-सरकारी कारों के चालकों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में विधान बनाने की आवश्यकता।	,,

68	112	श्री मुहम्मद इस्माइल	सायकल रिक्शा चालकों और हथ-रिक्शा चालकों की सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में विधान बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपया
68	113	,,	यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि नियोजक भविष्य निधि में अपना अंशदान देना बन्द न करें ओर कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होते ही तुरन्त भविष्य निधि की अदायगी हो जाये ।	,,
68	114	,,	एक अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक बनाने और उसके अनुसार महंगाई भत्ता देने में असफलता ।	,,
68	115	,,	स्वचालित यन्त्र स्थापित किया जाना रोकने की आवश्यकता ।	,,
68	116	,,	कार्मिक संघों को मान्यता देने के लिए बैलेट की अनुमति देने में असफलता ।	,,
68	117	,,	अभ्रक की खानों के मजदूरों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करने में असफलता ।	,,
68	118	,,	कोयला खान श्रमिकों के लिए मनोरंजन योजःनाओं का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
68	119	,,	कोयला खान श्रमिकों के लिये शिक्षा सुविधाओं का अभाव ।	,,

68	120	,,	मजदूरों के लिए सहकारी संस्थाओं की सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता ।	,,
68	121	,,	कोयला खान श्रमिकों को दुर्घटनाओं से बचाने की आवश्यकता ।	,,
68	122	,	लोहे की खानों के मजदूरों की दयनीय दशा में सुधार करने की आवश्यकता ।	,,
68	123	श्री रामावतार शास्त्री	कोयला खान श्रमिकों के कल्याण पर अधिक व्यय करने की आवश्यता ।	,,
68	124	,,	कोयला खान मजदूरों को महाजनों के खूनी पंजे से बचाने में असफलता ।	
68	125	,,	राष्ट्रीय कोयला विकास निमम के मजदूरों की मांगों को पूरा करने में असफलता ।	,,
68	126	,,	राष्ट्रीय कोयला त्रिकास निगम के छंटनी किये गये जजदूरों को रोजगार देने की आवश्यकता ।	,,
68	127	,,	कोयला खान मजदूरों के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करने में असफलता ।	,,
68	128	,,	मजदूरों को निर्वाह-योग्य मजदूरी दिलाने में असफलता ।	,,

68	129	श्री रामावतार शास्त्री	मजदूरों की छंटनी पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपया
68	130	,,	कारखानों में तालाबन्दी को गैर-कानूनी घोषित करने की आवश्यकता ।	,,
68	131	,,	मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता ।	,,
68	132	,,	मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की आवश्यकता ।	,,
68	133	,,	बेकारों को काम या निर्वाह-भत्ता देने की आवश्यकता ।	,,
68	134	,,	बेरोजगारी के लिए बीमा योजना की आवश्यकता ।	,,
68	135	,,	सरकार की श्रम-विरोधी नीति को बदलने की आवश्यकता ।	,,
98	136	,,	पूंजीवादियों की श्रम विरोधी कार्यवाहियों में सरकार द्वारा उनका समर्थन ।	,,
68	137	,,	सरकार द्वारा आई० एन० टी० यू० सी० को संरक्षण दिया जाना ।	,,

68	138	,,	सघर्षशील श्रमिक संघों के प्रति उपेक्षा की नीति ।	,,
68	139	,,	एक उद्योग में एक ही संघ की नीति को लागू करने की आवश्यकता ।	,,
68	140	,,	कार्मिक संघों को यह सिद्ध करने के लिये गुप्त मतदान की आवश्यकता कि वे ही श्रमिकों को प्रतिनिधित्व करते हैं ।	,,
68	141	,,	श्रम न्यायाधिकरण के निर्णयों को पूरी तरह लागू करने में असफलता ।	,,
68	142	,,	समझौता बोर्डों के निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही करने वाले नियोजकों के खिलाफ कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
68	143	,,	समझौता तथा अन्य पंचाटों के उल्लंघन को रोकने में असफलता ।	,,
68	144	,,	श्रमिक सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने में असफलता ।	,,
68	145	,,	शरणार्थियों को फिर से बसाने के लिए मकानों की असन्तोषप्रद व्यवस्था ।	,,

68	146	श्री रामावतार शास्त्री	मजदूरों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी दिलाने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
68	147	,,	खेत मजदूरों के सांस्कृतिक विकास की ओर ध्यान देने में असफलता ।	,,
68	148	,,	एक उद्योग में एक संघ का सिद्धान्त न स्वीकार किया जाना ।	,,
68	149	,,	पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का दमन रोकने में असफलता ।	,,
68	150	,,	भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीति ।	,,
68	151	,,	देश में बेकारी की समस्या का हल निकालने में असफलता ।	,,
68	152	,,	खेत मजदूरों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी दिलाने में असफलता ।	,,
67	178	,,	खानों में सुरक्षा सम्बन्धी नियमों के पालन की आवश्यकता ।	100 रुपया
67	179	,,	खानों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता ।	,,
67	180	,,	बिहार में ढोड़ी खान दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की आवश्यकता ।	,,

68	181	,,	घेरावों के कारणों को दूर करने की आवश्यकता।	,
68	182	,,	घेरावों के मजदूरों का कानूनी अधिकार मानने की आवश्यकता।	,,
68	183	,,	गोदी श्रमिकों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता।	,,
60	184	,,	अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में मजदूरों के सच्चे प्रतिनिधियों को भेजने की आवश्यकता।	,
68	185	,,	बीमा, रेल तथा अन्य क्षेत्रों से ओटोमेशन प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता।	,,
68	186	,,	श्रमजीवी पत्रकारों की कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता।	,,
68	187	,,	प्रेस मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड की स्थापना करने की आवश्यकता।	,,
68	188	,,	बीड़ी मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता।	,,
68	189	,,	कर्मचारी राज्ब बीमा योजना की त्रुटियों को दूर करने की आवश्यकता।	,,
68	190	,,	सभी मजदूर केन्द्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना केन्द्र खोलने की आवश्यकता।	,,

68	191	श्री रामावतार शास्त्री	कर्मचारी राज्य बीमा योजना को सफल बनाने के लिए मिल मालिकों से अधिक धन लेने की आवश्यकता ।	100 रुपया
68	192	,,	कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पतालों से पेटेन्ट दवाएं देने की आवश्यकता ।	,,
68	193	,,	कोयला खानों के दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों को पर्याप्त मदद देने की आवश्यकता ।	,,
68	194	,,	खान बचाव कार्यों की असन्तोषजनक व्यवस्था ।	,,
68	195	,,	बीड़ी मजदूरों के लिए मजूरी बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
69	196	,,	विस्थापित व्यक्तियों को बसाने में असफलता ।	,,
69	197	,,	पुनर्वास विभाग में अनियमिततायें ।	,,
69	198	,,	विस्थापित व्यक्तियों को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
70	199	,,	विस्थापित व्यक्तियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को अधिक धन देने की आवश्यकता ।	,,

डा० मैत्रेयी वसु (दारजीलिंग) : मैं यह नहीं समझ सका कि श्रम मन्त्रालय का कार्य क्या है। रेलवे मन्त्रालय अपने श्रमिकों तथा खान आदि मन्त्रालय अपने अधीन काम करने वाले श्रमिकों के भाग्य का फैसला करते हैं, परन्तु श्रम मन्त्रालय इस देश के श्रमिकों के लिये कुछ भी नहीं करता। श्रम मन्त्रालय ने न तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई मानक तैयार किया है और ना ही पूर्ण रोजगार का कोई कार्यक्रम तैयार किया है।

समाज रूपी पहिये में व्यक्ति का स्थान एक दांते के समान है। जैसे पहिया तभी ठीक काम कर सकता है जबकि उसके सभी दांते ठीक हों, उसी प्रकार समाज तभी सुसंगठित और समृद्ध बन सकता है जबकि उसका प्रत्येक सदस्य स्वस्थ हो, वह रोजगार पर लगा हो। यह भी सच है समाज पर बेरोजगार व्यक्ति का भार रोजगार पर लगे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक पड़ता है, क्योंकि वह समाज के लिये कुछ पैदा करता है। एक समाजवादी समाजमें काम करने का अधिकार या निर्वाह करने का अधिकार सर्वोपरि माना जाना चाहिये। परन्तु खेद की बात है कि इस ओर भारत में कभी ध्यान नहीं दिया गया। इस अधिकार को यहां स्वीकार नहीं किया गया। श्रम मन्त्रालय को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि जब भी किसी मजूरी बोर्ड या अन्य मशीनरी द्वारा मजूरी बढ़ाने के सम्बन्ध में सिफारिशें की जाती हैं तो वे सिफारिशें पूर्ण रूप से लागू नहीं की जाती और उनसे श्रमिकों को यथेष्ट लाभ नहीं होता है। कोयला मजूरी बोर्ड द्वारा दी गई सिफारिशों का भी यह हाल हुआ। अभी कोयले पर से नियंत्रण हटाने की बात चल रही है। इससे भी श्रमिकों को कोई लाभ नहीं होगा। इससे व्यापारियों को लाभ होगा। अतः यह भी एक षडयन्त्र है।

जहां तक चाय बागान के कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनके सम्बन्ध में भी केन्द्रीय कोयला बोर्ड की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। चाय उद्योग पर 19 एजेन्सियों का पूर्ण आधिपत्य हैं। वे चाहें तो चाय का निर्यात बढ़ सकता है आन्तरिक खपत इसमें बहुत बड़ी बाधक नहीं है। चाय का मूल्य भी वे ही नियंत्रित करती हैं। चाय उद्योग में लगे दस लाख श्रमिकों के भाग्य का फैसला भी ये ही करती हैं। श्रम मन्त्रालय यहां भी निस्सहाय प्रतीत होता है। बड़ी बड़ी सरकारीं परियोजनाएं अस्तित्व में आ रही हैं परन्तु उनसे सम्बन्धित मन्त्रालयों का सम्बन्ध है श्रम मन्त्रालय का नहीं। मेरे विचार से तो ऐसी स्थिति में श्रम मंत्रालय की आवश्यकता ही नहीं है। इस मंत्रालय पर आरोप लगाया गया है कि उसने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस को संरक्षण दिया हैं. परन्तु बात ऐसीं नहीं है। हां, इस संस्था को श्रम मन्त्रालय का संरक्षण प्राप्त होना चाहिये। वर्तमान परिस्थितियों में श्रम मंत्रालय की कोई उपयोगिता नहीं रह गई है। अतः मैं इस मन्त्रालय की अनुदानों की सभी मांगों का विरोध करता हूँ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Subha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के बाद दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then assembled after Lunch at Fourteen of the clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोन्डा) : यह जिक्र किया गया है कि श्रमिक वर्ग में असन्तोष व्याप्त है । बात यह बहुत हद तक ठीक है । वैसे तो हमने पिछले 20 वर्षों में बहुत से ऐसे विधान बनाये हैं जो श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हैं परन्तु उनको भली प्रकार क्रियान्वित नहीं किया गया और यही कारण है कि श्रमिक वर्ग में अत्यधिक असन्तोष फैला हुआ है । समाज में सामाजिक न्याय के वातावरण का अभाव है । अविश्वास और सन्देह का वातावरण बना हुआ है । मजदूरों में व्याप्त इस असन्तोष ने ही एक नये तरीके को जन्म दिया है जिसे 'घेराव' की संज्ञा दी जा रही है । घेराव को सत्याग्रह नहीं कहा जा सकता । यह तो एक हिंसक तरीका है जिसके माध्यम से मजदूर अपने मालिक या प्रबन्धकों पर अपनी चाह थोपना चाहता है ।

श्रमिकों में असन्तोष के मुख्य कारण हैं—मूल्यों में वृद्धि, खाद्य पदार्थों का अभाव, मजदूर पर आर्थिक और सामाजिक दबाव, उसका शोषण आदि । श्रमिकों की वे आकांक्षाएं पूरी न हुई जिन्हें वह पूरी हुई देखना चाहता था । अब वह शोषण नहीं चाहता । अब वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है । इसी वजह से उनमें क्षोभ है, असन्तोष है । इसका एक मात्र हल यह है कि उत्पादन में वृद्धि हो । प्रगति की गति तेज हो और सामाजिक न्याय का वातावरण बने ताकि श्रमिक वर्ग अपने आपको सुरक्षित अनुभव करें ।

जहां तक अधिक उत्पादन का प्रश्न है, इस क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं । औद्योगिक तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रमें उत्पादन की स्थिति असन्तोषजनक रही है । इसका अनिवार्य परिणाम हुआ है मूल्यों में वृद्धि । यद्यपि पिछली तीन योजनाकाल में 300 लाख रोजगार नये पैदा किये गये है परन्तु जन संख्या में वृद्धि होने से बेरोजगारी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही । परन्तु ऐसी स्थिति प्रत्येक विकासोन्मुख देश के सामने आती है ।

आज मजदूर को यह चिन्ता बनी रहती है कि कहीं उसका रोजगार न छिन जाये, कहीं उसकी छंटनी न हो जाये । समाज में बढ़ती हुई विषमताएं भी उसकी मानसिक शान्ति को नष्ट करती हैं । अमीर अमीर होता जा रहा है । गरीब और गरीब होता जा रहा है । विषमता दूर करने का प्रयास किया गया जो दुर्भाग्य से सफल न हो सका । मजदूर वर्ग में व्याप्त असन्तोष को दूर करने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिये जनता की इच्छा को प्रेरित करना होगा । उनमें यह भावना फूंकनी होगी कि वे भी समाज का एक अभिन्न और संघठक अंग है । वे भी राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रहे हैं । उनके काम के लिये उनकी सराहना की जानी चाहिये । तभी राष्ट्र के निर्माण में श्रमिकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकेगा, जो नितान्त आवश्यक है । ऐसी स्थिति में एक मजदूर और उसका स्वामी अपने आप को दो नहीं समझेंगे और विकास में दोनों सन्तुलित सहयोग देंगे । मालिक-मजदूर सम्बन्ध घूमिल हो जायेंगे । यदि श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्ध सुधर जायें, उन्हें प्रशिक्षण आदि दिया जायें, उन्हें काम करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये तो निश्चय ही उत्पादन बढ़ेगा । मजदूरों

से ऐसीं मनोवृत्ति बनाने के बजाय मजदूरों में वृद्धि पर रोक लगाने की बात की जा रही है। परन्तु जब तक मूल्यों को नियंत्रित नहीं किया जायेगा तब तक मजदूरी में वृद्धि पर रोक का नारा लगाना फिजूल है। पहले मूल्यों को नियंत्रित किया जाये इसके बाद मजूरी में वृद्धि के रोक प्रश्न आता है। अत: देश में ऐसा वातावरण बनाना चाहिये जिसमें सामाजिक न्याय हो, समान अवसर प्राप्त हों तथा आर्थिक विषमता दूर हो। तभी हमें सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग का सहयोग मिल सकेगा, जो पुनर्निर्माण में अत्यधिक सहायक होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Mr, Dy. Speaker, I support the demands for grants of the Ministry of Labour and Rehabilitatton. 'Gherao' movement is being discussed every-where. It is being branded as anti-national. Such movements are being condemned. Have this Ministry or Government seriously enquired into the root causes of the Gherao movement ? If all the labour problems are solved, Gherao movement will automatically come to an end. No doubt, there are good labour laws. But the justice is so costly that good legislation becomes useless for poor workers. there should not be wage freeze unless there is a price freeze. If prices will go up, you will have to increase the wages or salaries too. In the present structure of dearness a man should have income of at least three hundred rupees instead of Rs. 150/-as mentioned in the Report by Gajendragadkar.

People talk of the capital invested in a factory but they totally ignore the hard labour pot in by the workers of the factory. The fact is that the workers contribute as much in the production as the capital invested. Unfortunately the whole profit goes to the shareholders or the capitalists, while it should be distributed equally between the capital ists and the workers. There is a unit in the Ministry of Finance which is preparing a case for large scale retrenchment. It is my suggestion that this unit should be dissolved There is a Rehabilitation Ministry where 80% to 90% the staff is temporary. It is injustice. The fourth class employees of this Ministry should get the same salaries as their counterparts are getting elsewhere.

There was one Minister by the name of Dr. Dass. When he was defeated in the elections, a new Department was established at the cost of Rs. 2½ lakha per annum to fix him up and a post was created for him. After all what work is he doing there ? I want that the above post be abolisheh

Similarly there are two retired military officers in Mana Camp. Both of them are autocrats. There are charges of embezzlement against them. There is an atmosphere of terror among the labourers owing to their autocratic behaviour. The officers are transferred at their instance and lakhs of rupees are spent. I want that the hon'ble Minister should investigate this matter.

There is another officer by the name of Shri Roy who has been indulging into undesirable activities in Dandakaranya camp. This matter should also be investigated I want to ask the Hon'ble Labour Minister whether any arrangement for the election is being made in which it could be decided as to which union the labour of that area has its faith ? The Government wants to maintain the monopoly of Indian National Trade Union Congress because it is run by Congress Party. The I. N. T. U. C, is in, alliance with factory owners.

Labour laws do not exist, in so many factories. In the end I want to say that in formulating their labour policy, the Government must consult the representatives of the labourers.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिये बधाई देता हूँ कि उन्होंने मेरे इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है जिसमें मैंने कहा था कि राष्ट्रपति द्वारा श्रम आयोग की स्थापना की जानी चाहिये । अब इस राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति हो गई है । यह आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है । मुझे आशा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कर्मचारियों के आन्दोलन में रुचि रखता हो, इस आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली का भलीभांति अध्ययन करेगा और अपनी सुविचारित रिपोर्ट देगा ताकि आयोग उसका मूल्यांकन कर सके और हमें उसका लाभ देने की सिफारिश कर सके जिसके लिये हम इतनी वर्षों से कोशिश करते आये है ।

श्रम मंत्रालय के सम्मुख रखने वाली बातों की संख्या बहुत अधिक है । सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक अधिकारी प्रशिक्षित एवं उचित स्तर के होने चाहिये । उचित स्तर का अर्थ यह नहीं है कि वे अधिक वेतन पाने वाले हों और वे उसी तरीके से काम करें जिस तरीके में वे इतने वर्षों से करते आ रहे हैं । प्रस्तुत प्रतिवेदन में इन अधिकारियों को दिये गये काम का कोई उल्लेख नहीं किया गया । श्रम अधिकारी को उद्योगों के प्रबन्धिक वर्ग के प्रभाव से मुक्त होना चाहिये । श्रम मंत्रालय में ऐसा विभाग होना चाहिये जिसमें प्रबन्धिक और मजदूर दोनों अपनी अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकें या अपने अपने सुझाव दे सकें । सरकार को इस सम्बन्ध में श्रम अधिकारी की सलाह लेनी चाहिये और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि प्रबन्धिक और मजदूर दोनों इन निर्णयों को क्रियान्वित करें । यदि श्रम अधिकारी प्रबन्धिक वर्ग के प्रभाव में रहेगा और मजदूरों के हितों का ध्यान नहीं रखेगा तो उसकी नियुक्ति से कोई लाभ नहीं होगा ।

विभिन्न कारणों से आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हे । पाकिस्तान और चीन के दो आक्रमणों, खाद्य पदार्थों की कमी और कच्चे माल की कमी के कारण उद्योगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इसीलिये बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है । इन परिस्थितियों में इस संकट को दूर करने के लिये कृषि क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन का अत्यधिक बढ़ाया जाना अनिवार्य है ?

खेतिहरों और कर्मचारियों की स्थिति को सुधारने के लिये बहुत कुछ कहा गया है। न्यायाधीश गजेन्द्र गडकर द्वारा हाल ही में प्रस्तुत मंहगाई भत्ते सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में यहां काफी चर्चा होती रही है । हम इस प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं हैं । कम से कम न्यूनतम वेतन पाने वाले को मंहगाई के बराबर मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिये । परन्तु पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया गया । यदि यह सिद्धान्त सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तो गैर सरकारी क्षेत्र में भी न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को कम मंहगाई भत्ता दिया जायेगा । इसलिये मैं यह चाहता हू कि सरकार को आदर्श नियोजक बनना चाहिये और मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित स्वीकृत सिद्धान्तों पर कायम रहना चाहिये । आखिर इस मंहगाई भत्ते से हमें मिलता ही क्या है । हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं । क्या संसार के अन्य भागों में काम करने वाले लोगों से हम कम काम करने वाले हैं ?

यदि कोई भारतीय विदेशों में जा कर काम करता है तो उसे वहां कितनी मजूरी मिलती है उसका यहां की मजूरी से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता । वास्तव में अधिक

उत्पादन के लिये मजदूरों की कुछ प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। एक मशीन के साथ कोई विदेशी भी उतना ही उत्पादन बढ़ा सकता है जितना एक भारतीय मजदूर बढ़ा सकता है। अतः उसे भी वही प्रोत्साहन दिये जाने चाहिये। मालिक मजदूरों के सारे धन को समेट कर कहीं और लगा देना चाहते हैं। यदि मजदूर को अच्छा वेतन मिले तो मंहगाई भत्ता देने की आवश्यकता ही नहीं।

मैं सभी क्षेत्रों के मजदूरों से अपील करूंगा कि वे अधिक से अधिक उत्पादन करें और प्रबन्धक वर्ग को चाहिये कि वे उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन दें। इस समय उत्पादन कम होने के कारण भारतीय मजदूर महंगा प्रतीत होता है। हमने यह दिखा दिया है कि हममें उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है परन्तु फिर भी मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई।

गैर सरकारी उद्योग और सरकार दोनों ही हमें मिलने वाला सारा लाभ समेट ले जाते हैं और इसीलिये आज यह समस्या पैदा हुई है। जब तक हमें उपयुक्त मजदूरी नहीं मिलती तब तक हम काम कैसे कर सकते हैं।

जिस देश में इतनी बड़ी जन शक्ति हो यदि वहां संगणक चालू किये जाते हैं, तो वहां रोजगार कम लोगों को मिलेगा। कपड़े के उद्योग में संगणक क्यों नहीं चालू किये जाते? विरोधी पक्ष खादी के विकास की ओर ध्यान न देकर कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। वास्तव में खादी को इसलिये प्रोत्साहन दिया जाता है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। हमें इस सम्बन्ध में सन्तुलित विचार बनाने चाहिये।

मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह कर्मचारी वर्ग के वेतन ढांचे पर विचार करें जिससे उन्हें उपयुक्त लाभ प्राप्त हो सके।

हाल ही में प्रतिरक्षा उपक्रमों में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। वहां पर 20 से 30 वर्ष तक काम कर रहे स्थाई रसोइये और भिश्ती एकदम नौकरी से हटा दिये गये हैं। श्रम मंत्रालय में पिछले 8 या 9 वर्षों से उनकी यूनियन की मान्यता का मामला चलता रहा है परन्तु उन्हें यूनियन बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। चीनी और पाकिस्तानी आक्रमणों के दौरान इन्होंने सराहनीय कार्य किया था। प्रधान मंत्री तथा अन्य लोगों ने यह वचन दिया था कि जो लोग प्रतिरक्षा विभाग में काम कर रहे हैं, उनकी छंटनी नहीं की जायेगी। परन्तु फिर भी 6000 लोगों की छंटनी कर दी गई है। क्या यह ठीक काम हुआ है? क्या श्रम मंत्रालय इसके लिये उत्तरदायी नहीं है? मंत्री महोदय को इस मामले पर विचार करना चाहिये। इन लोगों को रोजगार का कहीं प्रबन्ध नहीं किया गया है हालांकि सरकारी क्षेत्र में उन्हें रोजगार दिलाने के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं।

मजूरी पर रोक लगाने से पहले मजदूरों को उनके जीवन निर्वाह के लिये उपयुक्त मजूरी दी जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त मजूरी पर रोक लगाने से पूर्व मूल्यों पर रोक लगाई जानी चाहिये। मूल्यों पर रोक लगाये जाने के बाद ही मजूरी पर रोक लगाने की बात की जा सकती है।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Increasing unemployment and due to some other reasons for which Government is responsible, has made the worker in India helpless. But this helpless worker has at time achieved success in securing justice because of their organisational power. The Minister of Labour seems to be maore helpless than the worker. The Government itself is responsible for the loss of her prestige and his Ministry. For instance, Finance Ministry has never supported our labour laws during the last twenty years. A tripartitie meeting was held in Nainital in which Government, the industrialists and the workers participated and a resolution regarding pay-scales was passed but our the then Finance Minister refused to implement that decision and in this way the prestige of Labour Ministry suffered.

Now,-what has happened to the Gajendragadkar Commissions report. The Commission had worked hard and submitted this report but Ministry of Finance is creating difficulties in implementation of this report and Labour Minister is not consulted at all in such an important matter in which lakhs of employees are involved. Similarly there are Labour officers of this Ministry working in Ministry of Defence but their views do not carry any weight. Again who is responsible for the implementation of Labour laws in the public sector ? What happened in N. C. D C. ? In fact this Government does not have any labour policy. The strike by pilots was declared illegal but all the Ministers including the Prime Minister tried to end the strike. In the case of N. C. D. C, because poor labourers were involved, they were backward and had to undertake hazardous jobs in the mines etc. , no one bothered about them and no effort was made to end the stike. This is how the labour policy is being implemented. The code of discipline is an important aspect of labour policy of the Government but it is a matter of regret that neither State Governments nor the Central Government or anyone else has ever bothered about the code of discipline. If this code cannot be enforced, it would be better if it is scrapped. If Government does the honour the code of discipline, it would harm the interest of labour community.

Similarly much has been talked about the voluntary arbitration, but this method has been used in 15 percent of the labour disputes only. It has been seen that the employers adopt oppressive policy when emergency conditions come to an end. Since the Government itself does not follow the policy of voluntary arbitration, how can it complel others to follow this policy.

The result is that disputes are increasing. Where the parties do not come to a mutual agreement, the arbitration is resorted to. But the difficulty is that when the Government itself did not act according to this principle, how can it ask the private sector to follow her.

There has been some thing wrong with the labour movement also. There is a drawback in the labour movement as it does not lay emphasis on collective bargaining and preferred the wage board machinery which in fact is Government machinery. In my opinion there should be wage board for incense and Bidi industries etc. In which it is difficult to organise labour and for other industries there should be collective bargaining.

In order to prepare cost of living index, the labour representatives are not taken in to confidence. Representatives of the Government and other employers sit together and cost of living index is prepared. In fact cost of living index should be prepared in such a way that the interests of labour may not suffer. The Government should take concrete steps to achieve this object. Because if we achieve this, the problems of other movements and strikes will automatically be solved.

So far the question of bonus to the workers is concerned I have read the report of the Ministry but I have not found a single instance in which an employer has been dragged into the court of law. The Ministry must have received complaints about bonus disputes but it seems that Government has not taken any action in the matter. Even in public undertakings just like Fertilizer Corporation the workers had to fight for bonus. In view of this approach the Government cannot ask the private sector to follow her. Now the point is that how to solve the disputes between workers and the employers ? In my opinion there should be trained labour officers, In order to train them a School was established but it is practically not functioning. Therefore trained labour officers are not available.

India is founder member of International Labour Organisation. It has been written in its constitution that the conventions that were adopted by the conference, will be presented in the Parliament of the concerned country within a period of one year. The Government may not agree with the convention but it has not been presented even in the Parliament.

It is not understood why Hind Mazdoor Sabha has not so far been recognised by the Government when it fulfills all the requirements of the rules on the subject. The Hon' ble Minister should look into this matter.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : कांग्रेस पार्टी तथा हमारी सरकार ने इस देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने का निश्चय किया हुआ है। श्रम मंत्रालय इसी दिशा में कार्य कर रहा है। हम शीघ्र से शीघ्र इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते है। हम मजदूर वर्ग के हितों की लापरवाही नहीं कर सकते। हम उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं। इस मंत्रालय के पिछले 20 वर्षों के रिकार्ड से पता चलता है कि हमने मजदूर वर्ग के हितों के लिये बहुत से प्रगतिशील नियम बनाने का प्रयास किया है।

परन्तु यह दुर्भाग्य है कि मजदूर वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनका जीवन स्तर नीचे होता जा रहा है। मूल्य बढ़ रहे हैं और उनकी मजूरी कम हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि कुछ समय के लिये कर्मचारी वर्ग को न्यूनतम मजूरी भी नहीं मिल रही।

इस प्रकार की कठिन स्थिति में यह सुझाव दिया जा रहा है कि मजूरी पर रोक लगाई जाये जिससे मुद्रास्फीति की प्रवृति को रोका जा सके। यह विचित्र तर्क है। मैं इस तर्क को मानने वालों में से नही हूं। जब तक मूल्यों की वृद्धि और लाभ पर रोक नहीं लगाई जाती तब तक मजूरी पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हम यह नहीं चाहते कि मजूरी पर रोक लगाई जाये। मजदूर नेताओं के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिये कि यह सरकार इस बात को स्वीकार कर लेगी कि मूल्यों या मुनाफे में वृद्धि रोके बिना ही मजूरी में वृद्धि रोक दी जायेगी।

अब तक हम मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं कर सकते। हम उन लोगों में से हैं जो इस बात में विश्वास करते हैं कि जब तक बैंकों की ऋण तथा नियोजन नीति में सरकार का प्रभावशाली नियन्त्रण नहीं होता तब तक मूल्यों पर नियन्त्रण नहीं हो सकता। इसलिये अर्थ व्यवस्था के

हित में बैंकों पर नियन्त्रण की आवश्यकता है विशेषकर जबकि इस देश में बैंकों पर कुछ धनी व्यक्तियों का ही नियन्त्रण है । यह सब से बुरी बात है इस लिये अब हमारी पार्टी के, बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण सम्बन्धी, निश्चय को क्रियान्वित किये जाने.की आवश्यकता है ।

मज़दूर वर्ग के पास सामूहिक सौदा करने की शक्ति होनी चाहिये क्योंकि इससे उनके हितों की हानि नहीं होगी । इसी के अभाव के कारण उन्हें नुक्सान उठाना पड़ रहा है । हम चाहते हैं कि इस देश में मजदूर संघ का आन्दोलन सुसंगठित और शक्तिशाली हो । सरकार की कठिनाई यह है कि देश में मजदूर संघ कई हैं और उनका परस्पर एकमत नहीं है । ऐसी स्थिति में हम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते । इसलिये मैं मजदूर संघ के आन्दोलन के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि वे आपस में बैठ कर आपसी प्रतिद्वन्द की भावना को दूर कर लें ।

वास्तव में मजदूर संगठनों के पीछे कोई न कोई राजनीतिक दल होता है । इसीलिये हमारे देश में अन्य उन्नत देशों की भांति औद्योगिक क्रान्ति नहीं हुई । परन्तु अब देश में स्थिति बदल रही है । अब लोकतंत्रीय कांग्रेस के लोग, जो समाजवाद और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, चाहते हैं कि मजदूर संघ आन्दोलन शक्तिशाली बने क्योंकि अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है कि जहां भी मजदूर संघ आन्दोलन शक्तिशाली बना है, वहां लोकतंत्र शक्तिशाली बना है और जहां मजदूर संघ आन्दोलन असफल हुआ हैं वहां लोकतंत्र भी असफल हुआ है । जब तक देश की शासन सता हमारे हाथ में है तब तक हम मजदूर वर्ग को संगठित करने में उनकी सहायता करते रहेंगे ।

मज़दूर वर्ग की कठिनाई यह है कि उन के पास कार्यकर्ता प्रशिक्षित नहीं है । उनके पास प्रशिक्षण संस्थाऐं होनी चाहिये और इस काम में सरकार उनकी सहायता करने के लिये तैयार हो ।

हमारा अनुभव यह है कि हमने जो मजूरी बोर्ड बनाये हैं, मजदूर वर्ग उनके सामने अपना मामला ठीक ढंग से पेश करने में असमर्थ रहा है । प्रबन्धक वर्ग अपेक्षाकृत अधिक संगठित होने के कारण वे अपना मामला अधिक अच्छी तरह पेश कर सका है । इस लिये मजदूर वर्ग को अनुसंधान कक्ष बनाने चाहिये, सरकार इस काम में उनकी सहायता करेगी जिससे वे अपना मामला ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सकें । जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपनी बहुत सी समस्याओं के समाधान के लिये केवल सरकार पर निर्भर नहीं करना चाहिये । अन्य देशों के अनुभव से पता चलता है कि प्रत्येक राजनीतिक दल मजदूर संघों के साथ उचित सम्बन्ध बनाये रखने का प्रयत्न करता हैं । ब्रिटेन तथा अमरीका में मजदूर संघ आन्दोलन होने के कारण उनका सरकार की नीति पर काफी प्रभाव है । हमारे देश में बढ़ते हुऐ औद्योगिकरण के कारण मजदूर वर्ग की संख्या अत्यधिक बढ़ जायेगी ओर यदि मजदूर संघ आन्दोलन शक्तिशाली और सुसंगठित होगा तो उसका प्रभाव सरकार की नीतियों पर अवश्य पड़ेगा । इस से आज वह वर्ग जो सरकार की आलोचना करता है, फिर नहीं करेगा । इस लिये हम चाहते हैं कि देश में स्वस्थ मज़दूर संघ आन्दोलन होना चाहिये ।

श्री ल० ना० मिश्र: सरकारी क्षेत्र के बारे में प्रायः कहा जाता है कि ये अलाभकारी हैं। वहाँ प्रबन्ध अच्छा नहीं है। वहाँ पर एकाधिकार स्थापित हो गया है और वहाँ पर औद्योगिक सम्बन्ध भी अच्छे नहीं हैं। परन्तु ये सब बातें सत्यता से परे हैं। मै बताना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र अब आरम्भिक अवस्थाओं में आने वाली कठिनाइयों को पार कर चुका है और वहाँ अब औद्योगिक सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर श्रमिक कानूनों को पूर्णतया लागू किया जाता है और वहाँ अनेक प्रगतिशील श्रम सम्बन्धी परम्पराएं अपना ली गई हैं। सरकारी क्षेत्र में इस समय 92 लाख कर्मचारी काम करते हैं जबकि गैर सरकारी क्षेत्र में केवल 52 लाख कर्मचारी काम करते हैं। श्रमिकों के कल्याण की अनेक योजनाएं भी सरकारी क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही हैं। वहाँ पर गैर सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र की लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति तथा प्राक्कलन समिति आदि समितियों द्वारा भी जांच की जाती है जबकि गैर सरकारी क्षेत्र इनकी आलोचना और निरीक्षण से परे है। गैर सरकारी एकाधिकारों को तोड़ने के लिये ही सरकारी क्षेत्र में कारखाने लगाये जा रहे हैं। अतः हम सरकारी क्षेत्र के विस्तार के लिये कृतसंकल्प हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसा करना देश की परिस्थितियों के अनुरूप भी है।

श्री कंडप्पन (मैट्टूर) : मैं इन मांगों पर आरंभ से अब तक हुए भाषणों को ध्यान से सुन रहा हूँ और मैने देखा है के सभी सदस्यों ने घेराव के बारे में काफी कुछ कहा है। ये घेराव क्यों हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि घेराव का कारण श्रमिक वर्ग में व्याप्त असंतोष है। परन्तु श्रमिकों में असंतोष क्यों हैं क्योंकि सरकार ने अच्छे श्रम सम्बन्धी कानून बनाये तो हैं परन्तु वह उन्हें क्रियान्वित नहीं कर सकी है। इनको लागू करने में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जब यह कानून प्रबन्धकों के विरुद्ध जाते है तो सरकार अपने आपको निस्सहाय अनुभव करती है क्योंकि कांग्रेस सरकार स्वयं पूंजीपतियों के बल पर चुनाव लड़ती है और उनके विरुद्ध कुछ भी करना उनके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। यह सरकार प्रबन्धकों पर नियंत्रण करने में असफल रही है। सरकारी क्षेत्र में अपने कुप्रबन्ध से कांग्रेस सरकार ने एक बहुत ही गलत उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकारी उपक्रमों के सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि वहां पर श्रम सम्बन्धी कानून ठीक ढंग से लागू नहीं किये जाते है और वहां पर प्रतिभावान प्रबन्धकों का अभाव है। वहां के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के सम्बन्धों में सदैव तनाव रहता है। जब तक सरकार, सरकारी उपक्रमों में प्रबन्ध आदि को नहीं सुधारेगी तब तक गैर सरकारी क्षेत्र में वह सुधार की अपेक्षा कैसे कर सकती है। मंत्री महोदय ने वेतन वृद्धि रोक लगाने की स्थिति को स्पष्ट किया है। मंत्रीमंडल के स्तर के एक मंत्री को इस प्रकार की दायित्वहीन बातें नहीं कहनी चाहिए जिनके कारण श्रम विवाद खड़ा हो जाये। पहले ही देश में पर्याप्त श्रम विवाद दिखाई दे रहा है। यदि वेतन वृद्धि पर रोक लगानी ही है तो पहले आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोका जाना चाहिए।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन मानों में आजकल बहुत भारी विषमता विद्यमान है। सरकार को इस संबंध में कुछ करना चाहिए क्यों कि इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकतायें तो समान ही हैं। अब उचित समय आ गया है जबकि इस विषमता को दूर कर दिया जाना चाहिए, तथा दोनों को वेतन समान दिया जाना चाहिये।

अब मैं कुछ बातें पुनर्वास के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के पुनर्वास पर सरकार ने लगभग 477.44 करोड़ रुपये खर्च किये थे जब कि मोजाम्बीक, श्री लंका और बर्मा से भारत वापिस आये लोगों पर अभी तक कुल 2.39 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं । बर्मा से कुल 1,55,158 लोग भारत आये है जिनमें से केवल 45000 लोगों को बसाया गया है । शेष लोगों का क्या हुआ, कुछ पता नहीं लगता । इनमें से लगभग 82000 तो मद्रास में आये हैं जिनके पुनर्वास की ओर केन्द्रीय सरकार ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है । यद्यपि राज्य सरकार ने केन्द्र से इस बारे में कई बार प्रार्थना भी की है । मद्रास के मुख्य मंत्री का यह सुझाव भी मानने योग्य था कि बर्मा सरकार वहां से आने वाले भारतीयों को नगद धन न देकर भारत सरकार को उसके बदले चावल दे । केन्द्र ने इस सुझाव को भी नहीं माना । इस संबंध में मेरा सुझाव यह भी है कि पुनर्वास उद्योग निगम का कार्यक्षेत्र बढाया जाना चाहिये तथा उसे पर्याप्त वित्त दिया जाना चाहिए ताकि बर्मा से आये लोगों की वह उद्योग स्थापित करने में हर प्रकार से सहायता कर सके ।

एक विकट समस्या है उन तमिल भाषा भाषियों की, जो श्रीलंका से सरकारी समझौते के अनुसार वापिस आ रहे हैं । समझौते के अनुसार 5,25,000 तमिल भाषा भाषी श्रीलंका से भारत आयेंगे । उनके पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार पर है । यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार उन्हें सारे भारत में बसाना चाहती है । जैसे पाकिस्तान से आये शरणार्थी अपने आप को मद्रास में नहीं बसा पाये थे, उसी प्रकार ये तमिल भाषा भाषी लोग भी अपने आप को हर स्थान पर नहीं बसा पायेंगे । इसके बारे में मेरा यह सुझाव है कि इन तमिल भाषा भाषी लोगों को अण्डमान निकोबार द्वीपों में बसाया जाये, क्योंकि वहां पर रबड़ और चाय बागान के लिये बहुत अधिक क्षेत्र है । प्रयोग से ज्ञात हुआ है कि ये द्वीप चाय और रबड़ बागानों के लिये बहुत ही उपयुक्त हैं । अतः मेरा सुझाव है कि इन लोगों को सीधे इन द्वीपों में ले जाकर बसाया जाना चाहिए । इससे ये द्वीप भी आत्म-निर्भर हो जायेंगे और वहां की जनसंख्या भी बढ़ जायेगी ।

[**श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए**
Shri S. M. Joshi *in the Chair*]

श्री प्र० कु० घोष (रांची) : मंत्रालय के प्रतिवेदन मे दिया हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्र में हड़तालों और अनुशासनहीनता के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है । मैं मानता हूं कि ऐसा हो रहा है परन्तु मै बताना चाहता हूं कि इसका मुख्य कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति का दिन पर दिन बिगड़ना है । जितनी महंगाई बढ़ती है कर्मचारियों को उसके अनुरूप मजदूरी नहीं मिल पाती । मूल्य बढ़ रहे हैं, उद्योगपतियों का लाभ बढ़ रहा है परन्तु श्रमिकों का आर्थिक स्तर गिरता जा रहा है । इससे श्रमिकों में क्षोभ है और निराशा है, जो औद्योगिक क्षेत्र में हड़ताल और अनुशासनहीनता को जन्म देता है । सरकारी उपक्रमों में घाटे की स्थिति चल रही है। परन्तु यह श्रमिकों की वजह से नहीं बल्कि वहां के कुप्रबन्ध और भ्रष्टाचार के कारण है । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि श्रम मंत्रालय को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिये, जिससे वह उद्योगपतियों या प्रबन्धकों को इस बात के लिये बाध्य कर सके कि वे अपने कर्मचारियों को उचित मजदूरी दें ।

सरकारी कर्मचारियों ने गजेन्द्रगडकर आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है अतः सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये । मेरा सुझाव यह है कि यदि महंगाई भत्ता

देने के लिये धन दूसरे साधनों से एकत्र किया जाये, जैसे करों की ठीक वसूली आदि, तो मुद्रा-स्फीति और मूल्यों मे वृद्धि से भी बचा जा सकता है।

घेराव आन्दोलन एक असंवैधानिक आन्दोलन है और इसे यथा शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिये। यदि हम घेराव के कारणों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि जब भी प्रबन्धक कर्मचारियों की उचित मांगों को ठुकराते है तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई स्थानों पर तो प्रबन्धक श्रम न्याधिकरणों और श्रम विभाग के अनुदेशों की भी अवहेलना कर देते हैं। अत: श्रम मंत्रालय को अधिक शक्तियां प्राप्त होनी चाहिये जिससे वह सरकारी उपक्रमों में श्रम न्यायाधिकरण के अनुदेशों या अपने अनुदेशों को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर सके। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, रांची का एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। इस निगम ने श्रम विभाग द्वारा दिये गये अनुदेशों की निरन्तर अवहेलना की है। दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने के लिये पहले वह रजामन्द हो गया था परन्तु अभी तक उसने उनको क्रियान्वित नहीं किया हैं। निगम के मुख्य कार्यालय में 14 जून 1967 को जो कलम–छोड़–हड़ताल हुई थी, उसका मुख्य कारण यह था कि वहां के कर्मचारियों को सूखा--राहत-ऋण नहीं दिया गया था।

मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि श्रम मंत्री एक ऐसा विधान प्रस्तुत करें कि कोई भी राजनैतिक दल श्रम संगठनों की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करें या उनमें भाग न ले। राजनैतिक दल ही राजनैतिक लाभ उठाने के लिये श्रमिकों को छोटी छोटी बातों पर भड़का देते हैं जिनसे हड़ताल आदि होती है और देश को भारी हानि उठानी पड़ती है। यदि राजनैतिक दल श्रम संगठनों से दूर हट जायें और उन्हें अपनी गतिविधियां स्वयं चलाने दें, तो देश में इतनी हड़ताले न होंगी और देश को हानि न उठानी पड़ेगी। यदि श्रम संगठन ठीक काम करता है तो उसका समर्थन किया जाना चाहिये। यदि वह गलत काम करता है तो उसका विरोध किया जाना चाहिये।

बिहार के महालेखापाल के रांची स्थित कार्यालय में हाल ही में हड़ताल हुई थी। यहां एक अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के लिये प्रसिद्ध है। उसने 12 कर्मचारियों पर निराधार आरोप लगाये और उनके विरुद्ध झूठे मामले तैयार करके उन्हें मुअत्तिल कर दिया। वहां के श्रम संगठन से मान्यता वापिस ले ली गई। इस सब की क्या आवश्यकता थी। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले में जांच करायें।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) :The Ministry of Labour is just like an orphan in the sense that it has got no powers. It has been done nothing during the last 20 years. What is the labour policy of our Government ? Even after 20 years of independence our Government have not been in the position to formulate a national labour policy or in other words national wage policy. They cannot fix the minimum wage which should be admissible to the labourers everywhere in any industry. There is no uniformity in the wage scales of the labour working in various industries and in different parts of the country. Employers do not give voluntarily to the workers what is reasonable. So employeer have to fight even for their just demands. They have to resort to strike and other tactics and then they get what they want. For example, the workers of tea plantations have forced

their owners to set up a Wage Board for them. But the Boards' recommendations were not accepted and then again the tea plantation workers had to resort to strikes etc. for compeling the owners to implement the Boards' recommendations. In short it can be said that the Government have not so far formulated any stable and strong labour policy.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ **Mr Deputy Speaker** *in the Chair* }

After the division of the country a large number of refugees came to India. They came from Punjab and Bengal. Those who came from Punjab, have been rehabilitated since long but the problem of those who came from Bengal is still standing as it was. Recently they have been devoid of the facilities of camps and doles without properly rehabilitating them. Where they will go. They are roaming aimlessly and helplessly. Nothing is being done to rehabilitate them.

The West Bengal Government had set up a squatters colony in 1956. The Central Government had agreed to help but uptil now a single paisa has not been given in this regard. No effort is being made by the Government to provide employment to refugees engaged in industries. The industries are being given loans for the purpose but even then no employment is provided to the refugees.

Gherao is a natural consequence of the policy persued by the Government for the last twenty years. The Gheraos cannot be stopped until this policy is changed radically.

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : एक समाचार मिला है कि मध्य प्रदेश सरकार भंग हो गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस बारे में कोई जानकारी देना चाहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि निरर्थक बातों को इस चर्चा के दौरान न उठायें।

Shri Tamaskar (Durg): The policy so far persued in the matter of recognition of labour unions is to have only controlled unions. It has caused great resentment amongst the labourers. The Government should allow the majority group to a union instead of recognising a controlled union. It is a matter of great regret that the ministers are playing to the tune of Indian National Trade Union Congress. They should know that even the Indian National Trade Union Congress has begun to support Gherao and their activities should also be watched. There are three major labour unions in India. The members of Indian National Trade Union Congress have joined the Cabinets, but they have no confidence in the congress. The activities of the members of INTUC are objectionable. All the disgruntled persons, who could not be elected have begun to indulge in undesirable activities.

श्री स० कन्डू (बालासोर) : आज देश कठिन आर्थिक परिस्थिति से निकल रहा है। ऐसी स्थिति में श्रम के सम्बन्ध में कोई नई नीति अपनाई जानी चाहिये थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया है और कांग्रेस पिछले 20 वर्षों के अपने शासन में श्रमिकों को उचित स्थान नहीं दिला पाई है। उन्हें उत्पादन में साझेदार नहीं बनाया गया है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि आने वाले वर्षों में उन्हें वह स्थान दिया जायेगा। यह बात स्पष्टतया बताई जानी चाहिये कि उत्पादन में श्रमिकों को साझेदार बनाने के लिये सरकार क्या करना चाहती है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम में पूर्णतया परिवर्तन तथा पुनर्गठन आवश्यक है। सरकार को इस बात का निर्णय करने के लिये मध्यस्थ की तरह नहीं बैठ जाना चाहिये कि कोई विवाद श्रमिक न्यायालय के पास भेजा जाये या नहीं। विभिन्न न्यायालयों ने कहा है कि सरकार के पास यह शक्ति होने से नियोजक का पलड़ा भारी हो जाता हैं। बहुत से ठीक मामलों को, राजनैतिक कारणों से न्यायाधिकरण के पास न्याय निर्णय के लिए नहीं भेजा गया है। सरकार को औद्योगिक विवाद अधिनियम का तुरन्त संशोधन करना चाहिये ताकि सभी विवाद, अधिकरण अथवा श्रमिक न्यायालय को भेजे जा सकें।

मजूरी भुगतान अधिनियम के बावजूद मजूरी का भुगतान कई वर्ष तक नहीं किया जाता है, सरकार को इस अधिनियम में कुछ संशोधन करने के मामले पर विचार करना चाहिये ताकि श्रमिकों की शेष राशियों का भुगतान शीघ्र हो सके।

यह बात बड़े गर्व से कही जाती है कि समाजवादी समाज और लोकतन्त्रात्मक समाज का प्रमाण यह है कि सरकारी उपक्रमों के 91 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं परन्तु उन्होंने श्रम कल्याण का कोई आदर्श नहीं बनाया है।

कोई भी श्रमिक विधि सरकारी उपक्रमों में क्रियान्वित नहीं की जाती। इसका कारण यह है कि वह श्रमिक को उनका अधिकार नहीं देना चाहते। सरकार को इन लोगों से कुछ आश्वासन देना चाहिये कि मजूरी भुगतान अधिनियम से लेकर क्षतिपूर्ति भुगतान अधिनियम तक विभिन्न विधियों को सरकारी उपक्रमों में निर्धारित समय में क्रियान्वित किया जायेगा।

जिस तरीके से घेराव को, विशेषतया पश्चिमी बंगाल में, अपनाया जा रहा है, वह श्रमिक संघ आन्दोलन के प्रतिकूल है। लोकतांत्रिक ढांचे से बाहर जाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये। हमें समूचे देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये कि जहां घेराव संविधान के लोकतन्त्रात्मक ढांचे पर आघात पहुँचाता है और श्रमिक संघ आन्दोलन के लोकतन्त्रात्मक स्वरूप को हानि पहुंचाता है, वहां इस पर रोक लगा दी जाये। हमें इसके विरुद्ध भी आवाज़ उठानी चाहिये।

श्री मनोहरन पीठासीन हुए
Shri Manoharan ***in the Chair***

मेरा एक सुझाव यह भी है कि पंचाटों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। औद्योगिक न्यायाधिकरणों के काम में हस्तक्षेप करने से न्यायालयों को रोकना चाहिये। देश में बेकारी जोरों पर है और लगभग 2½ करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। अतः इस समय स्वचालित और श्रम बचाने वाली मशीनें लगाना उचित नहीं हैं। इससे देश में बेरोज़गारी बढ़ेगी।

Shri K. N. Pandey (Padranna) : Gherao is intended to make the constitutional machinery futile. The position before 1947 was very bad and there was no conciliation machinery but after that the Government intervened and various labour laws were formulated and now the labourers are getting benefit thereby. Gheraos will result in counter violence.

I concur with the view of labour department that wage freeze is not possible without price freeze. Any such attempt will result in strikes. A code of conduct should be introduced for the labour unions. The unions should be formed on democratic lines.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमान् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिये माननीय सदस्य को ये सब बातें यहां पर नहीं उठानी चाहिये।

Shri K. N. Pandey (Padrauna) : We should persuade the workers to secure their support but force should not be used for that purpose.

I would also like to say that Provident Fund Scheme should be introduced for 5½ lakh employees working in shops, restraurants, theatres, etc. so that they may also get some relief when they retire. It is not proper that there were arrears of provident fund to the there of Rs. 5 crores with the employers. Though it is not big amount but if the employers do not deposit it with the Government, it will adversely affect the interests of the workers.

I would also like to say something about minimum wages. I find that minimum wage is not more than one rupee a day in any State. No one can make both ends meet in sixty or seventy Paise or a rupee in these hard days. It should be increased as it is very small amount.

I have been in contact with education of workers. This scheme is quite good and much has been done in this direction but its object could not be achieved. In fact the object of this scheme was that unions would take over this work gradually but due to the restrictions imposed on the finances, no union asks for the Government aid. I am of the opinion that Government should make some arrangements with University for the education of trade union workers so that our workers could get education about trade union also.

I would also like to say something about rehabilitation work done by this Ministry. After partition of 1480 persons were settled in Ganga Khadar area. Out of this number 600 persons have already left this place and 200 more persons might have left. A person who was given licence to start industry there, has no money to invest. Government should try to know the difficulties experienced by these people and remove them.

श्री वि० नरसिम्हा राव (पार्वतीपुरम) : हमारा एक राजनीतिक दल 'घेराव' की प्रवृत्ति को बहुत प्रोत्साहन दे रहा है। वास्तव में हमारे यहां मालिक-मजदूरों के विवादों को हल करने के लिये बड़ी अच्छी सुस्थापित प्रक्रिया है। यहां पंच फैसले और न्यायिक समझौतों की व्यवस्था है। जब तक वर्तमान व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है तब तक घेराव करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को इस प्रवृत्ति को आरम्भ में ही रोक देना चाहिये था। मजदूरों की जो सही शिकायतें हों, उन्हें दूर किया जाना चाहिये परन्तु घेराव जैसे तरीके नहीं अपनाने चाहिये।

वर्ष 1966 में अवमूल्यन किया गया था और वर्ष 1966-67 के दौरान थोक मूल्यों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक जो मार्च 1966 में

174 था, फरवरी 1967 में 198 हो गया। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को पर्याप्त मात्रा में महंगाई भत्ता देना चाहिये तथा उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करना चाहिये।

सरकार को मूल्यों को स्थिर करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने का होना चाहिये।

सरकार वे खेतिहर मजदूरों की ओर कभी ध्यान नहीं दिया जो बहुत गरीब है ओर झोंपड़ियों में रहते हैं। औद्योगिक मजदूरों के लिये तो कुछ नियम, अधिनियम तथा उनके संघ भी बने हुए हैं जिनके द्वारा वे अपनी शिकायतें दूर करा सकते हैं। परन्तु खेतिहर मजदूरों के लिये भारत में इस प्रकार का कोई संगठन नहीं है। इसलिये सरकार को खेतिहर मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिये विशेष ध्यान देना चाहिये।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए }
{ Mr. Daputy Speaker *in the Chair* **}**

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय को आदिवासियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। हमें स्वतन्त्रता प्राप्त किये 20 वर्ष हो गये हैं और संविधान में आदिवासियों की स्थिति सुधारने के लिये सब प्रकार के आश्वासन दिये गये थे। उन्हें प्रशिक्षण देकर सरकारी उपक्रमों में रोजगार दिया जाना चाहिये। इस दिशा मैं अभी तक कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है। इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूँ कि आदिवासियों को राष्ट्रीय जीवन में सम्मिलित होने की प्रेरणा देनी चाहिये जिससे वे अपने पुराने निवास स्थानों को छोड़कर सामान्य भारतीय जीवन को अपनायें। इस समस्या का समाधान यह है कि उनको शिक्षित बनाकर सरकारी सेवाओं में नौकरी देनी चाहिये। इसका दूसरा तरीका यह है कि आदिवासियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अकुशल मजदूरों के रूप में काम पर लगाया जाये। सरकार ने अन्दमान में बेटापुर, उड़ीसा में दंडकारण्य, महाराष्ट्र में चस्दा, उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी तथा दूसरे राज्यों में भी प्रवासियों को शिक्षा, चिकित्सा आदि की सुविधाएं देने के लिये बनाये गये कैंपों में पर्याप्त प्रबन्ध नहीं किया है। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर अधिक ध्यान देगी। इन कैंपों मैं अन्य देशों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 30 प्रतिशत है और उनका काम व्यापार करना है। उन्हें सरकार द्वारा हर प्रकार की सहायता दी जाती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन सब बातों की ओर ध्यान देगी। आरम्भ में ही मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने इस मंत्रालय की मांगों पर कार्य को पूरी तरह सुना है। परन्तु मुझे खेद है कि युद्ध-पीड़ित लोगों के पुनर्वास के बारे में एक सदस्य ने भी कुछ नहीं कहा।

श्री गु० सिं० ढिल्लों (तरनतारन) : 1965 में भारत-पाकिस्तान के संघर्ष का प्रभाव जिन क्षेत्रों पर पड़ा है, उन क्षेत्रों की जनता के पुनर्वास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। जम्मू और काश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान के क्षेत्रों पर इस संघर्ष का अधिक प्रभाव पड़ा है। पंजाब में लगभग 2000 लोग विस्थापित हुए थे। अब तक वे कैम्पों में ही रहते थे। देहाती क्षेत्रों में उनके पुनर्वास के बाद उन्हें 800 रुपये की लागत की एक बैलों की जोड़ी और

कच्चे मकान बनाने के लिये अधिकतम 1000 रुपये और पक्के मकान के लिये 2000 रुपये दिये थे और ऋण के रूप में 4000 रुपये दिये गये थे। हाल ही में श्री हाथी से मुझे पता चला हैं कि सरकार ने उन किसानों को कुछ क्षतिपूर्ति दी है जितनी फसले पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान नष्ट हो गई थी। परन्तु यह भी फीरोजपुर जिले के खेमकरण के आसपास के देहातों में ही दी गई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में खेमकरण तथा अन्य ऐसे शहरों के कारीगरों या वाणिज्यिक संस्थानों अथवा दुकानदारों को, जिन पर इस युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ा है, कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। शरणार्थियों ने श्री हाथी को अभ्यावेदन भेजे हैं कि देहाती क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों को भी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिये।

दूसरे कुछ सदस्य पूर्व यहां पर एक वक्तव्य दिया गया था कि पुनर्वास का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। परन्तु मुझे पता चला है कि लगभग 100 परिवारों को अभी जीवन-निर्वाह भत्ता दिया जाना बाकी है और 880 मामलों में पुनर्निर्माण के लिये अनुदान दिया जाना भी बाकी है। लगभग यही स्थिति दुकानें बनाने के लिये अनुदान देने ऋण के रूप में सहायता दिये जाने की हैं। मेरा यह अनुरोध है कि मंत्री महोदय को इस सभा के कुछ सदस्यों या उनके मंत्रालय के अधिकारियों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो उपरोक्त संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के सम्बन्ध में स्थिति का अनुमान लगा सके। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जब यह समिति उन क्षेत्रों में जायेगी तो उन्हें यह पता चल जायेगा कि वहां की स्थिति इतनी संतोषजनक नहीं है जितनी यहां बताई जाती है। 1947 में जो शरणार्थी यहां पर आये थे, उनके पुनर्वास का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब इससे सम्बन्धित विभाग को बन्द कर देना चाहिये। युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के विस्थापितों या विदेशों से वापिस आये हुए लोगों के पुनर्वास का कार्य शेष है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : पूर्व पाकिस्तान से लगभग 80 लाख लोग भारत में आये हैं जिनमें से पश्चिम बंगाल में लगभग 40 लाख लोग रहते हैं और शेष असम, त्रिपुरा तथा देश के अन्य भागों में फैले हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों से शरणार्थियों की स्थिति बहुत खराब है। कुछ शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल से इसलिये बाहर ले जाया गया कि उन्हें जमीन दी जायेगी परन्तु शरणार्थियों का अनुभव यह है कि वे लोग कुछ सप्ताहों, महीनों तथा वर्षों में वापिस लौट आते हैं। असम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और भारत के अन्य भागों में जहां भी शरणार्थी गये हैं, उन सभी क्षेत्रों में स्थिति विस्फोटक है। इसलिये केन्द्रीय सरकार को इस मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। मंत्री महोदय को सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करना चाहिये। नादिया जिले में केवल 7 लाख जनसंख्या थी जो अब 14 लाख से भी अधिक हो गई है। इन क्षेत्रों में काफी शरणार्थी बेरोजगार पड़े हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार को कुछ योजनाएं भेजी हैं। यदि केन्द्रीय सरकार उनके लिये वित्तीय सहायता दे दे तो जनशक्ति कर उपयोग कृषि, उद्योग और दस्तकारी के कार्यों में किया जा सकता है, मैंने भांगा-बागदा जैसे कुछ सीमावर्ती क्षेत्र देखें है। वहां पर ऐसी बहुत सी भूमि है जहां खेती नहीं होती। यह भूमि शरणार्थियों को दी जा सकती है। बंग, हुगली तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में उद्योग हैं और यदि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार को सहयोग से इन औद्योगिक केन्द्रों की ओर कुछ ध्यान दे तो बहुत से और शरणार्थियों को रोजगार मिल सकता है। केन्द्र सरकार ने पूर्व बंगाल से आने वाले शरणार्थियों के लिये 18 वर्ष पूर्व अशोक नगर बन्दरगाह

योजना बनाई थी। उसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने मकान बनाये हैं और उनमें शरणार्थियों को बसाया गया है। अभी तक उन शरणार्थियों को यह पता नहीं कि वे छोटी-छोटी झोंपड़ियों के मालिक हैं या नहीं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि श्री हाथी उन लोगों के बारे में गम्भीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें जो पूर्व बंगाल से विस्थापित होकर आये हैं।

श्री भगवती (तेजपुर) : यदि सभी लोग राष्ट्रीय उद्देश्य को स्वीकार कर लें तो हमारी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। मजदूर संघ के कर्मचारियों को किसी साधारण समस्या के समाधान के लिये महीनों और वर्षों तक बातचीत करनी पड़ती है। इसके लिये कानून हैं। इन विवादों को हल करने के लिये व्यवस्था भी है। परन्तु आम तौर पर मालिकों के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं यह कहने के लिये विवश हूँ कि सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धक वर्ग के दृष्टिकोण में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

राजकीय क्षेत्र में उद्योग राष्ट्रीयकृत संस्थाएं हैं। वे समाजवादी संस्थाएं हैं। फिर भी कार्य करने का वही पुराना ढंग है और गैर सरकारी क्षेत्र में वही दृष्टिकोण है। मेरे विचार से लोगों के विचार में परिवर्तन लाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में उचित मजूरी के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था, परन्तु यह दुख की बात है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह उल्लेख किया गया है कि उचित मजूरी का आधार केवल एक दीर्घकालीन मार्गदर्शक सिद्धान्त है। वर्तमान स्थिति में यह मामला मजदूरों के वर्तमान स्तर को संरक्षण देने तक ही सीमित कर दिया गया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम मजूरी नियत करने के मामलों में और आगे नहीं बढ़ सके हैं। यहां तक की पोषक आहार सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी क्रियान्वित नहीं किया गया। मुझे ऐसे किसी देश का पता नहीं है जहां मजूरी या आय में इतना अधिक अन्तर हो।

कर्मचारी भी औद्योगीकरण में विश्वास रखते हैं विशेषकर समाजवादी उद्योगों में, क्योंकि उनका यह विश्वास है कि औद्योगीकरण से ही स्तर ऊंचा उठ सकता हैं। यदि देश में औद्योगीकरण हो जाता है तभी देशों अधिक धन हो सकता है और लोगों का जीवन ऊंचा उठ सकतास्तर है औद्योगीकरण के लिये मुख्यत: दो शर्तें हैं। पहली यह कि उत्पादन के लिये नये तरीके और औजारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आयात और निर्यात नीति उतना आश्चर्यजनक कार्य नहीं कर सकती जितना की उत्पादन के लिये प्रयोग किये गये नये तरीके और उपकरण औद्योगीकरण के लिये जो दूसरी चीज की आवश्यकता है वह है श्रम उत्पादिता। मैं इस बात से सहमत हूं कि श्रम उत्पादन में अवश्य वृद्धि की जानी चाहिये। कुछ लोग यह प्रभाव डालना चाहते हैं कि इस देश के श्रमिक बहुत कुशल नहीं है और उनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश के श्रमिक किसी भी देश के श्रमिक से पीछे नहीं हैं। परन्तु काम की शर्तें एक जैसी न होने के कारण देश में उत्पादन लागत अधिक है और उत्पादन कम। इस देश में यह आश्चर्यजनक बात है कि यद्यपि श्रमिकों की मजूरी इस देश में सबसे कम है फिर भी

उत्पादन लागत अधिक है। उत्पादन लागत कम करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि श्रमिकों को पहले से दी जा रही कम मजूरी में और कमी की जाये। सरकार को इस समस्या की और विशेष ध्यान देना चाहिये। चाय बागान उद्योग का विकास बस्तीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था पर किया गया था।

रेगे समिति के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया हैं कि 1944 में आसाम के चाय उद्योग में 10 लाख श्रमिक कार्य कर रहे थे। अब इतने वर्षो के पश्चात भी जब कि चाय का क्षेत्र बढ़ गया है, चाय उद्योग में श्रमिको की संख्या केवल 7 लाख ही है। यह बहुत अजीब बात है। मेरे विचार से यह बहुत गम्भीर समस्या है।

श्रमिकों के मकानों के सम्बन्ध में भी अधिक कुछ नहीं किया गया है। बागान सम्बन्धी अधिनियम और नियमों के अनुसार, मालिकों को 8 प्रतिशत मकान प्रत्येक वर्ष बनाने होते है। पिछले कई वर्षो के दौरान ऐसा नहीं किया गया है। पिछले कई वर्षो से चाय उद्योग लगातार सबसे अधिक लाभ कमा रहा है।

Dr. Surya Pakash Puri (Navada) - There have been Labour Unions to protect the interest of industrial labour. But there is no such union of the agriculturists. I want to know from the hon. Minister whether some decision has been taken to fix the minimum wages of the agricultural labourers. If you pay a little attention towards them, agriculture production could increase a lot.

Now I want to draw your attention towards their housing problems. Have you ever seen the conditions of those houses in which they are living ? I request the Hon. Minister to go there and see these houses in which these villagers are living.

The number of the beggars is increasing day by day. Have you ever found out that what type of beggers are they. I will request you to please make anenquiry into this.

श्री सेक्वीरा : (गोवा, दमन तथा दीव) श्रम के सम्बन्ध में सरकार का यह रवैया रहा है कि सरकार समस्या उत्पन्न हो जाने के बाद ही उसका हल निकालती है। वह पहले से ही ऐसे कदम नहीं उठाती कि समस्या ही उत्पन्न न हो। इसका कारण यह है कि 1931 के बाद श्रम संबंधी समस्याओं पर व्यापक रूप से पुनर्विचार नहीं किया गया।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई है।

श्रम संबंधी समस्याओं और सम्पूर्ण श्रमिक स्थिति पर लगातार पुनर्विचार किया जाना चाहिये।

प्रत्येक मजूरी बोर्ड की नियुक्ति करने के लिये आन्दोलन करने पड़ते हैं। इसके विपरीत यदि प्रत्येक उद्योग के लिये एक सलाहकार दल नियुक्त कर दिया जाये जिससे

श्रम सम्बन्धी समस्याओं पर लगातार विचार होता रहे और आन्दोलन करने से पहले ही समस्याओं का समाधान हो जाये तो मैं समझता हूं ठीक होगा।

आज सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यदि एक बार कोई श्रम समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वर्तमान औद्योगिक अधिनियम मशीनरी उसको हल करने में बहुत समय लगाती है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि अन्त में पीड़ित पक्ष के साथ न्याय हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि इस कार्य को शीघ्रता से किया जाये। राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट मिलने से पूर्व ही मंत्री महोदय को ऐसे सदस्यों की एक संसदीय समिति नियुक्त करनी चाहिये जिन्हें श्रम सम्बन्धी मामलो की जानकारी हो, ताकि औद्योगिक सम्बन्धी विवाद शीघ्र हल किये जा सकें।

भविष्य निधियों के दो तिहाई भाग को सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाता है और इनसे ब्याज की दर बहुत कम मिलती है। यह जनता का रुपया है। श्रमिकों की बचत है, सरकार की आय नहीं। यदि सरकार आकर्षक शर्तें नहीं रख सकती तो न्यासधारियों को इस बात की पूरी छूट होनी चाहिये कि वे इस धन को जहां कहीं भी उन्हें अधिक लाभ हों लगा सके। क्योंकि वह उन्ही की धन राशि है।

मरणोपरान्त सहायता की जो व्यवस्था की गई है मैं उसका स्वागत करता हूं। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान इस और आकर्षित कराना चाहूंगा कि यदि कोई श्रमिक मर जाता है तो उसकी विधवा पत्नी को रुपया मिलने में कठिनाई होती है। यह विषय बहुत सरल हो सकता है यदि पहले ही नामानिर्दिष्ट कर दिया गया हो। जिससे उसकी मृत्यु के बाद केवल प्रमाण-पत्र से ही उसकी विधवा पत्नी को एक सप्ताह के अन्दर ही चैक मिल सके।

बेरोजगारी -बीमा और सेवा-निवृति परिवारिक पशन के विचार का स्वागत है। सहकार को इस सम्बन्ध में सावधानी से काम करना चाहिये। उसे इस योजना को पहले एक उद्योग में आरम्भ करना चाहिये, और उसको एक क्षेत्र में एक वर्ष तक चलाना चाहिये, फिर उसकी त्रुटियों को ध्यान में रख कर इसे अन्य उद्योगों में क्रियान्वित करना चाहिये।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लौह-अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर लागू किया गया है, मुझे उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। इससे 60 लाख रुपये की आय हुई है, परन्तु उसमें से केवल 18 लाख रुपया खर्च किया गया है यह धन वहां से एकत्रित किया गया है जहां लौह अयस्क का उत्पादन होता है। वहां एक स्थानीय समिति है उसे पूर्ण रूप से स्वायत बनाना चाहिये। उसे उन लोगों के कल्याण के लिये तत्काल धन खर्च करने के लिए में समर्थ होना चाहिये जो लौह-अयस्क निकालते हैं।

मैं अन्त में राष्ट्रीय उत्पादन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। यह प्रश्न सरकार, श्रम और श्रमिकों सभी के लिये आवश्यक है।

सरकार को मजदूरों और मालिकों के साथ इकट्ठा बैठकर भावी समस्याओं के सम्बन्ध पहले ही कार्यवाही करनी चाहिये ताकि समस्याओं के उत्पन्न होने पर उन्हें अव्यवस्थित ढंग से हल करने की आवश्यकता न पड़े ।

Shri Shiv Chandika Prasad (Jamshedpur) : I do not agree with the views most of the speakers who have told that during the last twenty years the Government have done nothing for the employees. Government have arranged many facilities for the employees during the last twenty years.

A great deal has been done for the improvement of the conditions of the employees but still a lot of work has to be done. There should be one Labour Law for the whole country.

The responsibility of examining whether this law has been implemented properly or not should be left by the Government on the Labour Unions. Those owners who do not implement the law properly should be punished, severely. Labour disputes should be settled immediately. The posts of conciliation officer should be abolished, The services of the labour officers should be available to both the parties. The list of the penal of arbitration should be prepared. The employees should be allowed to go to the Labour Courts. Those Unions who resort to strike should not be allowed to go to Labour Courts. They should be forced to reach our agreement. It would result in establishing good relations between the employees and the employers. A large number of seminars should be arranged. so that the employees and the employers could be told about their duties and obligations with their help. The leave should be given to all the employees of the factories. Weekly holiday should be observed as paid holidays.

Shri Achal Singh (Agra) : Oil industry is the biggest industry in Uttar Pradesh and oil is being sent in large quantity to Bihar, Bengal and Maharashtra. Their employees are getting hardly 50 or 55 Rupees per month. I have been asking from the Central and the State Minister for the last two years to look into the matter. I am of the opinion that a wage board must be appointed for the oil industry workers so that their salaries may be fixed.

Shri Shinkre (Panjun) : I want to say one thing that labourers who work in the mines of Goa come from outside Goa. There is no provision for small-per vassination for them when they arrive. It is a very important matter. Formerly, the labourers who used to come to Goa, were vaccinated at the border. But so now the labourers come without vaccination and they die of small pox- or cholera.

It is a very important matter and it should be looked into. It is, therefore, necessary that the State Government and the Central Government, make a provision for vaccination for inoculation obligation for the labourers, where ever they may work.

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार जुलाई 20, 1967/ आषाढ़ 29, 1889 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till-Eleven of the Clock on Thursday, July 20, 1967/ Asadha 29, 1889 (Saka)